खण्ड-286, अंक-2
मंगलवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1892
(8 दिसम्बर, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 286 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेंद्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनरायण सिंह, श्री
जय राम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री

जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म दत्त, श्री
धर्मबीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द्र, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसंत लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वर दत्तसिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री

राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल, भाई श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप रा , श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालता प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर
शिव कुमार श्री (जिला सुलतानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री

शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडेय, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :—मुख्य मन्त्री श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मन्त्री श्री कैलास प्रकाश, शिक्षा मन्त्री श्री श्रीपति मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्री श्री पुरुषोत्तम दास कपूर तथा राजस्व मन्त्री श्री प्रभू नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

सदन के नेता के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

कार्य प्रारम्भ करने के पहले मैं कल जो बहस हुई और जिस पर मैंने कहा था कि आज फैसला दूंगा, मैंने सब प्रकार के जो विचार यहां उपस्थित किये गये उन पर विचार किया...

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप व्यवस्था दें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उसके पश्चात् आप व्यवस्था दें, फिर जो आपकी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप सुझाव दे सकते हैं लेकिन इस पर डिबेट नहीं होगी ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है । जब आपने घोषणा कर दी कि आप व्यवस्था देने जा रहे हैं, तब फिर डिबेट का अवसर किसी को प्रदान नहीं करना चाहिये । अगर डिबेट नेता विरोधी दल फिर से ओपिन करना चाहते हैं तो हमें भी अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

वह सुझाव देना चाहते हैं । डिबेट ओपिन नहीं करने जा रहे हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

जब आप अपनी व्यवस्था देने के लिए खड़े हो गये तो क्या उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल का ऐसा सुझाव हो जो सर्वमान्य हो सकता हो तो मैं समझता हूं कि उसको सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है । मैंने उनको इजाजत दे दी है कि वह सुझाव दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं बहस छेड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं । आपकी जो भी व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य होगी । यह जो प्रश्न उठाया गया था वह एक विधि तथा परम्परा का प्रश्न था, कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था । अपने प्रदेश में ऐसी कौन सी परम्परा स्थापित की जाय जैसी लोक सभा में अथवा हाउस आफ कामन्स में है, उस दृष्टि से यह प्रश्न उठाया गया था । अपने प्रदेश में यह स्थिति एक बार पहले पैदा हुई थी । १९६० में जब गुप्ता जी मुख्य मंत्री बने थे । उस समय वह विधान परिषद् के सदस्य थे ।

श्री अध्यक्ष—

आप सुझाव दें । कारण न बतलायें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लेकिन उस समय यह प्रश्न उठाया नहीं गया था । आज हमारे मुख्य मंत्री जी विधान सभा के सदस्य नहीं हैं तो यह प्रश्न उठाया गया कि विधान सभा के सदस्य अगर वह नहीं हैं तो क्या नेता वह हो सकते हैं या नहीं ? मैं सुझाव यह दे रहा था कि इस पर आज व्यवस्था न देकर आप इस मामले को रोक रखें और अच्छा हो कि इस सदन की आप एक छोटी सी कमेटी बना दें जो अन्य प्रदेशों में, लोक सभा तथा हाउस आफ कामन्स में क्या परम्परा है उस को दृष्टि में रखते हुए अपना सुझाव दे, अपनी सिफारिश दें कि हमारे प्रदेश में क्या परम्परा होनी चाहिये और जब वह कमेटी अपनी सिफारिश आपको दे दे तब यह सदन फैसला स्वयं करे कि उस सिफारिश को स्वीकार किया जाय या न किया जाय ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा भी एक सुझाव है । आप सुन लें । इससे आपको व्यवस्था देने में सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठें । मैं व्यवस्था देता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, यह एक मौलिक प्रश्न है जिस पर आपको व्यवस्था देनी है, मेरा सुझाव पहले सुन लें. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठें । मैं फैसला दे रहा हूं । मैंने उनका सुझाव सुन लिया । अब आप बैठिये । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरा भी निवेदन है कि कल सब लोग नहीं बोल पाये, इसलिये या तो त्रिपाठी जी का सुझाव मान लिया जाय कि इस विषय में एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय जो इस प्रश्न पर विचार कर ले, उसके बाद आप अपना कोई फैसला दें । अगर जल्दी में आप कोई फैसला दे देंगे तो गलत परम्परा पड़ जायगी । सब लोगों को सुनने की जो सही परम्परा है वह भी इससे टूट जायगी । या तो सब लोगों को सुन लिया जाय जिससे सब पार्टियों के विचार आपको मालूम हो जायं या आप त्रिपाठी जी के सुझाव को मान लें और सर्वदलीय समिति इस बारे में बना दें, यह बेहतर होगा ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

कल हमें कुछ ऐसी सूचना मिली है कि आप के कमरें में भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त और श्री राजनारायण सिंह जी आपसे मिले थे और उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बात कही थी कि जिससे आप की रूलिंग में कुछ बाधा पड़ सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई बाधा नहीं पड़ सकती । यह गलत बात है ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आपको कल धमकी दी गयी थी । इसलिये आप सब लोगों के विचारों को सुन लें, उसके बाद कोई फैसला दें । कल आपको दबाया गया है, धमकी दी गयी है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, यह आपके ऊपर आक्षेप है, इसको वे वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत बात है ।

(व्यवधान)

यह आप कैसे कहते हैं । मुझे किसी ने धमकी नहीं दी ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियमों के अनुसार तो काम करेंगे । नियमावली के पृष्ठ ४ पर नियम ६ के अन्तर्गत सदस्यों की आसन व्यवस्था में बताया गया है—

"(ख) कोई भी अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभा मंडप में सदस्यों के लिये अभिप्रेत है ।

[श्री चेतराम गंगवार]

टी० एन० सिंह जी कल से उस आसन को ग्रहण किये हुये हैं। क्या आप ने उनको वहां बैठने की आज्ञा दे दी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें जो 'सदस्य' की डेफीनीशन दी गयी है उसको आप देख लीजिये। वह इस प्रकार से है—

"सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद १७७ के प्रयोजनों के लिये उसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं।"

इस प्रकार से वह सदस्य हैं। मंत्री होने के नाते वह सदस्य हैं।

श्री सुखपाल पांडेय—

यह बात तो पहले ही बतायी गयी थी कि आप पर प्रभाव डाला गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको वार्न करता हूं। आप बार-बार वही बात कह रहे हैं। मैंने कह दिया कि मुझे कोई धमकी नहीं दी गयी थी।

श्री सुखपाल पांडेय—

आपसे कल माननीय गुप्ता जी और राजनारायण जी आपके कमरे में मिले थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं मुझ से नहीं मिले थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं कि यह बड़ी अनुचित बात है कि यह कहा जाय कि अध्यक्ष जी को उनके कक्ष में जाकर किसी ने धमकी दी और विशेषकर ऐसे समय जब हम में से किसी ने सुना नहीं कि किस ने उनको धमकी दी और विशेष कर के जब अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। मैं समझता हूं कि विरोधी दल को अब इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहिये, यह उनके गौरव के विरुद्ध है। पहले तो हममें से किसी ने सुना नहीं और जब आपने कह दिया कि धमकी नहीं दी तो फिर बार बार इस बात को उठाना बहुत अनुचित है और मैं उसके लिये आपसे क्षमा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब फैसला मुझे देना है। जो आपने प्रस्ताव रखा उसकी मंजूरी किसी ने दी नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में मुझे फैसला देना आवश्यक हो गया है। मैंने कल भी कहा था कि नेता सदन, यह कोई स्टैटयूटरी अधिकारी नहीं है। यह प्रथा का सवाल है और यह प्रथा बदलती गयी है इंग्लैंड में भी। मैं समझता हूं कि हमारे यहां और इंग्लैंड के प्रोसीजर में भिन्नता है। इंग्लैंड में यह है कि एक हाउस का सदस्य दूसरे हाउस में बोल नहीं सकता। हमारे यहां, चाहे सही किया हो या गलत, संविधान ने इस बात की इजाजत दे रखी है कि बाहर का भी कोई आदमी चाहे चुना न गया हो, वह भी मुख्य मंत्री बन सकता है और प्रधान मंत्री भी शायद इस तरह से बन सकता हो। इंग्लैंड में यह चीज नहीं है कि कोई बाहर से लाकर मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बिठा दिया जाय। तो सवाल तो यह है कि अगर इस देश की आवश्यकता के अनुसार संविधान ने यह तय किया कि अमुक व्यक्ति मुख्य मंत्री हो सकेगा और इसके बाद सब प्रान्तों का अनुभव भी हुआ, अनेक प्रकार के अनुभव हुये। केन्द्र में दो व्यक्ति ऐसे हुये जो बराबर प्रधान मंत्री एक पार्टी के बने रहे और बहुमत में रहे—जवाहर लाल जी और लाल बहादुर

शास्त्री जी---तो कोई प्रश्न उठे ही नहीं इस तरह के। इसके बाद इन्दिरा गांधी जी जो राज्य सभा की सदस्या थीं वह प्रधान मंत्री बनीं। उन्होंने यह उचित समझा कि हम किसी लोक सभा के सदस्य को नेता सदन बना दें। यह अधिकार आज भी सब जगह सुरक्षित है। कोई भी बाहर का हो या बाहर का न हो, अपने यहां का ही सदस्य हो, चुना हुआ हो, किसी को भी बना सकने का अधिकार है। बात ठीक है। इसीलिये मैंने जिक्र किया था कि मुख्य मंत्री किसी अन्य मंत्री को नेता बनाना चाहें बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रथा कायम कर सकते हैं। एक दफा कोई चीज कर ली आपने इसलिये वह प्रथा बन जायेगी ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसी चीजें चली आ रही हों वर्षों से तब प्रथा बनती है। लोक सभा में भी उन्होंने प्रथा शुरू तो कर दी कि बना दिया दूसरे को लेकिन तो भी एक कमेटी बना दी उसके सिपुर्द नियम बनाने का काम कर दिया। वह नियम समिति थी। उसकी तीन रिपोर्टें उसके बाद हुई और तब केन्द्र में उस समिति के सुझाव के अनुसार एक रूल बना दिया। रूल सदन की इच्छा जाहिर करता है। तो उन्होंने जो प्रथा शुरू की वह पूरी तरह से बन नहीं पायी लेकिन उसके लिये रूल बना दिया। यह चीज लोक सभा में हुई। मैंने कल यह कहा था कि किसी भी प्रान्त का कोई सदन इस बात के लिये बाध्य नहीं है कि लोक सभा का रूल वहां पर लागू हो या किसी सदन के नियम लोक सभा में कायम हो जायं। उदाहरण के लिये विरोधी दल के नेता का सवाल है। अपने यहां उस संबंध में अधिनियम बन गया, लोक सभा में नहीं बना। विरोधी दल के नेता का स्थान अब लोक सभा ने भी अधिनियम द्वारा शायद शुरू कर दिया है, लेकिन पहले उसको कोई वेतन नहीं दिया गया था। लेकिन जब तक वहां एक ऐक्ट नहीं बना था तब तक उसको लोक सभा ने यह स्वीकार नहीं किया था कि पेमेंट उनको किया जाय। तो आप अपने रूल या परिपाटी बनाने के लिये बाध्य नहीं हैं कि लोक सभा की ही परिपाटी यहां भी लागू हो। आगे चल कर आप जैसा चाहें वह करें।

तो इस स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि इस सदन की क्या परिपाटी रही है। गुप्ता जी का एक उदाहरण कमलापति जी ने दिया। यहां पर ये शिक्षा मंत्री बैठे हुये हैं, ये न तो यहां के सदन के सदस्य थे और न मैं समझता हूं परिषद् के थे, पर इस गवर्नमेंट के मंत्री भी बने और विधान परिषद् में नेता परिषद् के बने। उसके बाद वह चुने गये विधान परिषद् में। जहां तक मैंने सुना है, सच-झूठ नहीं कह सकता हूं, यहां की जो संविद सरकार थी उसमें कांग्रेस (आर०) और क्रान्ति दल के लोग थे और किसी ने शिक्षा मंत्री के नेता बनने पर एतराज नहीं किया, बल्कि उन्हें कांग्रेचुलेट किया। अब सवाल यह है, मैं माननीय नारायण दत्त जी की अटेंशन ड्रा करता हूं कि आप मंत्री थे, या न हों, आप सपोर्ट कर रहे थे क्रान्ति दल को, लेकिन किसी ने शिक्षा मंत्री सदस्य नहीं चुने गये थे तो भी उनके नेता विधान परिषद बनने का विरोध नहीं किया। तो प्रथा यह भी हुई। अब मोरार जी देसाई की बात है। वह हार गये थे और हार जाने के बाद वह कौंसिल की तरफ से आये, तब वह नेता बने विधान सभा के और बराबर उन्होंने काम किया, किसी ने एतराज नहीं किया।

तो मैं समझता हूं कि अगर एतराज आपका हो तो आगे के लिये हो सकता है, लेकिन आज तक जो प्रथा रही है, जब यह कायम रही है तो मैं तो यह निर्णय देता हूं कि वही प्रथा अब तक कायम रहनी चाहिये। और इस सदन की इस तरह की एक कमेटी, नियम समिति खुली हुई है, वह इस प्रश्न पर आगे के लिये विचार कर के जैसा कि केन्द्र में हुआ फिर वहां की रिपोर्ट और प्रथायें हम मंगा लेंगे और आगे रूल बन सकेगा क्योंकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मुख्य मंत्री किसी दूसरे मंत्री को नेता सदन बना दें।

एक यह भी बहस है कि नेता सदन वह होता है जो सबसे ज्यादा जानकारी रखे अपने विषय के बारे में। इस गवर्नमेंट के बारे में कौन सबसे अधिक जानकारी रखता है? जो उसका नेता है, जो बहुमत दल का नेता है, उसको मुख्य मंत्री और नेता बना देते हैं, आप यह तो मानते हैं और उसको आप यह अधिकार देते हैं कि किसी अन्य मंत्री को वह नेता सदन बना सकता है।

[श्री अध्यक्ष]

फिर साधारण मंत्री को मुख्य मंत्री सदन का नेता बनाने का अधिकार रखता है तो स्वयं अपने को सदन का नेता क्यों नहीं बना सकता।] मुझे आश्चर्य की बात मालूम होती है कि मुख्य मंत्री गवर्नमेंट का सारा प्रोग्राम बनाने वाला होता है और सबसे ज्यादा जानकारी जिसे रहती है कि गवर्नमेन्ट का अमुक प्रोग्राम है तो उसी को फिर नेता बनाने में क्यों कर आपत्ति होती है। वैसे नियम समिति बनी है उसमें यदि माननीय सदस्य तय करेंगे कि कौन सी चीज उचित है, कौन सी स्वस्थ प्रथा है—इस बारे में विचार करना होगा। तो मैंने अपना यह फैसला दिया कि मुख्य मंत्री अब तक की प्रथा के अनुसार फैसला दिया कि नेता सदन भी हैं और मुख्य मंत्री भी रहेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आपकी रूलिंग का। श्रीमन् ने यह कहा कि यह मसला नियम समिति को जा सकता है या जायगा, यह विचार करें। तो नियम समिति को आपने भेज दिया या क्या हुआ ?

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

मेरा अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है ....

(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिवदास—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि उधर माननीय कमलापति जी त्रिपाठी के नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं वे कांग्रेस 'आर' के हैं या कांग्रेस 'ओ' के हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह अब नहीं बाद में....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह बता दें आप कि यह नियम समिति में आप की तरफ से जायगा या हमारी तरफ से जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें, मैं उस को समिति में भेज दूंगा, वैसे मैं भी भेज सकता हूं, लेकिन आप भी अगर लिखकर देंगें तो मैं भेज दूंगा।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग के गठन की मांग

****१—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार नगरमहापालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के लिये कोई नया वेतन आयोग गठित करने जा रही है ? क्या सरकार ने वर्ष १९६९–७० में भी ऐसा आयोग गठित किया था ? यदि हां, तो किन कारणों से उसे भंग कर दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

नागरिक क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के संबंध में एक वेतन आयोग का गठन करने का सुझाव दिया गया है । अभी तक सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है । वर्ष १९६९–७० में सरकार ने एक वेतन आयोग गठित किया था जिसे सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों दोनों के वेतन तथा भत्ता आदि के पुनरीक्षण की मांगों पर विचार करना था । किन्तु तत्कालीन सरकार ने इस आयोग को २८ मार्च, १९७० की विज्ञप्ति द्वारा समाप्त कर दिया ।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस अधिवेशन की समाप्ति तक यानी २४ तारीख के अन्दर ही इस विषय में मंत्रिमंडल स्तर पर निर्णय ले लेंगे? इन कर्मचारियों के विषय में कोई वेतन आयोग ४८ के बाद से नहीं बैठा है, क्या वह उस को अब शीघ्रतिशीघ्र बैठाने का आश्वासन देने की कृपा करेंगे?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

अभी इस विषय में हमारी कैबिनेट का निर्णय नहीं हुआ है परन्तु इन लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है और उन के बारे में निकट भविष्य में ही यह सरकार विचार करेगी ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उस वक्त वेतन आयोग बना था और वह सरकार भी जब उस में शामिल है तो इस में अब क्या कठिनाई है कि २४ तारीख से पहले ही उसके पुनर्गठन की घोषणा कर दी जाय ?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

जैसा कि मैंने बताया कि यह तो तत्कालीन सरकार जिस में नेता विरोधी दल के लोग भी शामिल थे और जो सरकार अब समाप्त हो गई है, अभी इस सरकार ने इस विषय में निर्णय नहीं लिया है लेकिन जल्द ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछला वेतन आयोग जो गठित हुआ था उसको भंग करने के कारण क्या थे?

[श्री रूपनाथसिंह यादव—

उस वक्त की सरकार ने उसे समाप्त किया था और उसने प्रशासनिक कारणों से अनावश्यक समझा था ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में नगर महापालिका कर्मचारियों का जो महासंघ है उसके प्रतिनिधियों ने उन्हें कोई स्मृतिपत्र दिया है और यदि दिया है तो उसमें कौन कौन सी उचित मांगें उन्होंने रखी हैं और उन को पूरा करने का मंत्री जी ने इलाहाबाद में उन्हें क्या कोई आश्वासन भी दिया है?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मैंने अपने उत्तर में कह दिया है कि हमको उनके सुझाव मिले हैं इन संघों के द्वारा, हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे और जैसा कि मैंने बताया अभी हमने इस पर निर्णय नहीं लिया है, वेतन में पैरिटी आदि की उनकी आवश्यक मांगें हैं, उनपर शीघ्रातिशीघ्र सरकार निर्णय लेगी और उसके बाद उसकी सदन में घोषणा होगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि जिस सरकार ने इस वेतन आयोग के गठन को अस्वीकार किया और समाप्त किया था उस सरकार के लोगों ने अब अपनी भूल को स्वीकार किया है और अब वह महसूस करते हैं कि वह गलत काम किया गया है, कर्मचारियों के हित के खिलाफ काम किया गया है और पक्षपात किया गया है तो क्या अब वह उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और २४ दिसम्बर से पहले ही उसके लिये घोषणा वह कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी समझ गये हों तो उत्तर दे दें, मैं तो समझा नहीं हूं ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अगर नेता विरोधी दल हम को साधन के कोई श्रोत बता देंगे और लिखकर दे देंगे तो हम विचार कर लेंगे और इस कार्य को जल्दी कर देंगे । हमें तो साधनों की कठिनाई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मंहगाई बढ़ गयी है और केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को १५–४५ रुपये तक अंतरिम (मंहगाई भत्ता) सहायता स्वीकार की है क्या मंत्री जी वेतन आयोग के गठन होने तक अपने इन कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह प्रश्न अभी नहीं उठा है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा था कि वे शीघ्र घोषणा कर देंगे और अभी उन्होंने यह कह दिया कि यदि माननीय नेता विरोधी दल साधनों के श्रोत को बता देंगे तो वे शीघ्र विचार कर लेंगे। तो इन दोनों उत्तरों में कौन सी बात सही है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने यह माननीय मैनेजर सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में कहा था । हमारी सरकार तो इस पर विचार करेगी ही । सरकार के सामने सारी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी उनके

प्रति हमारी हमदर्दी है लेकिन अगर माननीय नेता विरोधी दल साधनों के ढूंढ़ने में हमें सहयोग दे देंगे कि फलां फलां श्रोतों से रुपया उपलब्ध हो सकता है तो हम उनके आभारी होंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिये एक बार नहीं १० बार उठा पर मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दी । ऐसा लगता है कि या तो आप मुझ से नाराज हैं या मेरी और देखते नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको खड़े नहीं देखा । नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है ।,

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं एक बार नहीं १० बार खड़ा हुआ फिर भी आपने मुझे अवसर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको खड़े नहीं देखा । अब आप पूछ लीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

क्या यह सही है कि जिस इलाहाबाद के डेपुटेशन का उल्लेख माननीय सदस्य, इलाहाबाद, ने किया, उसको आश्वासन दिया गया कि पे कमीशन नियुक्त कर दिया जायगा, तो क्या यह सही है या जो समाचार पत्रों में हैडलाइन्स में छपा है, वह सही है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

यह प्रश्न प्रैस के लोगों ने पूछा था । हमने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे । हमारी सरकार निम्न वेतन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखती है । यह सरकार अभी अभी गठित हुयी है और हमारा इरादा है कुछ करने का ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लियें धन की मांग

**२---श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये धन बढ़ाने के लिये उन्होंने २४, २५ अक्तूबर सन् १९७० को केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री वाई० बी० चाह्वाण साहब से मुलाकात कर धनराशि बढ़ाने की मांग की है ?यदि हां, तो कितने धन की और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है ?

मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)---

यह सही है कि मैंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की । मैंने उनसे कहा कि योजना में कुछ नये कार्यक्रम बेरोजगारी व पिछड़ेपन की समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक हैं और विशेष तौर पर पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें, पहाड़ी जिले, बुन्देलखण्ड और पूर्वी जिले शामिल हैं, मैं नये कार्यक्रमों को चलाने के लिये कम से कम १०० करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चौथी योजना अवधि के लिये आवश्यक होगी । केन्द्रीय वित्त मंत्री से सिवाय इसके कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम लिये जा सकते हैं, कोई अन्य आश्वासन नहीं मिला । उन्होंने कोई धनराशि भी इंगित नहीं की । पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भी सिवाय इस सूचना के कि केन्द्रीय सहायता में ऋण और अनुदान का भाग आधा-आधा रहेगा, किसी अन्य केन्द्रीय वित्तीय सहायता अथवा कार्यक्रम की सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । अभी जो उत्तर पढ़ा गया उसमें बार बार शब्द "मैंने" "मैंने" का प्रयोग हुआ है । अभी तक कभी भी शब्द "मैंने" का प्रयोग सरकार की ओर से जब उत्तर दिया जाता है तब नहीं किया गया है.....

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न ही यह किया गया था कि उनकी क्या कोई बातचीत हुई थी, शब्द 'मैंने' मुख्य मंत्री को रिप्रेजेन्ट करता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, सरकार की ओर से जब उत्तर दिया जाता है तब कभी "मैंने" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसे ठीक करवा दीजिये । (व्यवधान) इस सरकार को उत्तर देने का अभी अन्दाज नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया प्रश्न को देखें, यह व्यक्तिगत प्रश्न है । इसलिये उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है ।

न्याय मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य, नैनीताल बिना प्रश्न को पढ़े ही इतने अधिक जोश में आ गये । यह सारा प्रश्न ही मुख्य मंत्री से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है । ऐसी सूरत में शब्द "मैं" नहीं लिखा जायेगा तो क्या "तुम" या "आप" लिखा जायेगा ? (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह---

इस "मैं" से मतलब क्या है ? क्या मुख्य मंत्री से उसका मतलब है अथवा उप-मंत्राणी जी से है जिन्होंने उत्तर अभी पढ़ा था ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि उनको यह अच्छा नहीं लगता कि बार-बार अपने को मुख्य मंत्री कहें । इसीलिये शब्द "मैंने" का प्रयोग किया है । (हंसी)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

यहां की यह परम्परा रही है कि जो भी उत्तर दिये जाते हैं वे सरकार की ओर से ही दिये जाते हैं, उसमें 'मैं' कह कर उत्तर नहीं दिया जाता । भविष्य के लिये इसे करेक्ट करवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

बार-बार अपने को मुख्य मंत्री कहना उनको अच्छा नहीं लगा । अब आपने कह दिया है तो वे आइन्दा खयाल रखेंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने क्या केन्द्र के सामने पर्वतीय क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्रों तथा बुन्देलखण्ड के विकास के लिये कोई निश्चित योजना बना कर रखी और उसके लिये कितने धन की मांग की ?

मुख्य मन्त्री (श्री त्रिभुवन नारायणसिंह)---

मैंने चाह्वाण साहब से कहा, मैं बार-बार अपने को शब्द "मैं" ही कहूंगा, उनसे बातचीत की और इन पिछड़े हुये जिलों के बारे में अधिक धन देने के लिये बहुत आग्रह किया । मैंने उनको बताया कि यह इलाके बहुत ही पिछड़े हुये हैं, यहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही नीचा है ।

उनके सामने मैंने अपने कुछ सुझाव भी रखे कि मैं यहां के लिये यह यह चीजें करना चाहता हूं। मैंने यह भी कहा कि मैं इस दृष्टि से योजना में कुछ परिवर्तन भी करना चाहता हूं। मैंने कहा कि इन सब कार्यों के लिये १०० करोड़ की मुझे जरूरत है। मगर उन्होंने कुछ भी देने से इनकार किया। मैं चाहता हूं कि इस बारे में अवश्य कुछ न कुछ किया जाय। जो भी बहुत पिछड़े हुये इलाके हैं वहां के लिये कुछ किया जाय। इसके लिये कुछ अर्थ-शास्त्रियों और अनुभवी लोगों की एक मीटिंग भी मैंने ११-१२ तारीख को बुलाई है। उस मीटिंग से पहले, क्या क्या विशेष सुझाव हैं उनको अभी कहना मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि कोई निश्चित योजना जिसके लिये कितना धन चाहिये था पेश की या नहीं ? माननीय मुख्य मंत्री बताने में संकोच कर रहे हैं, तो आशय बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या चाहते हैं, पूर्वी क्षेत्र में क्या चाहते हैं और बुन्देलखंड क्षेत्र में क्या चाहते हैं, उसके लिये कोई निश्चित योजना, जिसके लिये कितना धन चाहिये, पेश की या नहीं? और की तो क्या की ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

थोड़ी सी रूपरेखा जो मेरे दिल दिमाग में है, उसे मैंने उनसे कहने की कोशिश की। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं स्थिर रूप से योजना बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपको बताऊंगा। लेकिन मोटी तरह से मैंने कहा कि हमारे यहां जीवन स्तर बहुत नीचा है, खेती वगैरह पुराने तरीके से हो रही है, बेकारी है। इन सब के लिये कई योजनायें लेना चाहते हैं। मैं हाउस से कोई चीज छिपाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो अर्थशास्त्री मिलने वाले हैं, उनकी बात हो जाय तो आपके सामने मैं खुद आऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप उसमें समर्थन करें, सपोर्ट करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी १०० करोड़ रुपये की योजना के लिये जो वह चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक सभा के सदस्यों की एजेंसी को भी केन्द्रीय सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

मैंने इस तरह का कोई पत्र नहीं भेजा है लेकिन एक बड़ा लम्बा चौड़ा पत्र जो अपने सदस्य हैं लोक सभा के और राज्य सभा के उनके पास भेजा है, अपनी आर्थिक स्थिति की बातों पर, उनका ध्यान आकृष्ट करते हुये कि हमारी क्या स्थिति है। बड़ा ब्योरेवार खत है। अगर आप चाहेंगे तो आपको भी दिखला सकता हूं।

श्री गोविन्दसिंह--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पर्वतीय जिलों के आर्थिक कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार सहायता देना चाहती है, क्या माननीय मुख्य मंत्री ने पर्वतीय क्षेत्र के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है, यदि नहीं तो कब तक बनाने का इरादा है ?

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र के लिये मैंने बड़ी सिफारिश की। मुझे खेद है, और दुख है कि कम से कम उस इलाके के लिये जरा भी योजना में वृद्धि करने के लिये इनकार किया गया और यह कहा गया कि एक करोड़ में अनुदान और लोन का क्या हिस्सा होगा, उसमें ५० फीसदी कर्ज होगा और ५० फीसदी अनुदान। इसके अलावा कोई जानकारी देने से साफ इनकार किया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

माननीय मुख्य मंत्री जी यह महसूस करते होंगे कि पिछले २३ वर्षों से केन्द्रीय सरकार ने उत्तर देश की उपेक्षा की है। तो क्या मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई संघर्ष की योजना बनायेंगे जिससे उत्तर प्रदेश को जन संख्या के अनुपात में पंचवर्षीय योजना में हिस्सा मिले ?

श्री त्रिभुवन ननारायण सिंह---

मैं तो आर्थिक उन्नति की योजना बनाना चाहता हूं। संघर्ष की योजना बनाने का मेरा विचार नहीं है।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिले, बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके जो कि पिछड़े हुये हैं उनकी विकास की कोई योजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार अलग से धनराशि खर्च करे और उसके आधार पर केन्द्र से डिमांड की जाय कि वे भी हमारी मदद करके इन इलाकों के पिछड़ेपन को दूर करें ?

श्री त्रिभुवननारायण सिंह---

आपने जो सुझाव दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और इसी किस्म का कुछ करने का यत्न भी कर रहा हूं।

इन्दामऊ, जिला उन्नाव में बस स्टाप की मांग

**३---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर रोडवेज, लखनऊ रीजन को जिला उन्नाव के पहारीखेरा, कोसीखेरा, भोगइता, इन्दामऊ व बरदहा की ग्राम सभाओं के सभापतियों का इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक १४ अगस्त, १९७० को प्राप्त हुआ है कि उक्त ग्राम इन्दामऊ में बस स्टाप (स्टेशन) स्थापित किया जाय ? क्या जनरल मैनेजर को सर्वश्री भगवती सिंह विशारद तथा दुलारे लाल, सदस्य विधान सभा के उक्त विषय से सम्बद्ध दो पत्र दिनांक २४ सितम्बर, १९७० व २७ अक्तूबर, १९७० भी प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की और इन्दामऊ में बस स्टाप (स्टेशन) कब तक बन जायगा ?

न्याय उप-मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)---

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। वैसे इन्दामऊ में बस स्टाप (स्टेशन) बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अल्पसूचित सवालों पर प्रश्न करने का दो तीन आदमियों को मौका दिया और इतने सदस्य बार बार खड़े हो रहें हैं, आपने मौका नहीं दिया। यह पालिसी का सवाल है। हमें भी प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिये। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष---

गोल जवाब मिलता है कि हमने इतना किया। डेफिनिट फिगर्स आपको दी नहीं गयी है। डिटेल्स के बारे में बहस नहीं है। अगर डिटेल्स के बारे में बहस करनी है तो वह प्रश्नों से नहीं होगी। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिये। आप मेरे पास प्रस्ताव भेंजे। मैं एक आध दिन की चर्चा करा दूंगा। जब यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी स्कीम क्या है तो फिर पचासों सवाल भी करें तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं आगे बढ़ गया।

श्री छांगुर राम---

चूंकि पालिसी का सवाल है तो औरों को भी पूछने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष---

चर्चा के लिये आप प्रस्ताव भेज दें, उस पर मैं समय दे दूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय उप मंत्री जी ने कहा कि पत्र प्राप्त नहीं हुआ । जनरल मैनेजर के कार्यालय में जो दरख्वास्त सभापति ने दी और उसकी जो कापी पायी गयी है दरख्वास्त के साथ वह हमारे पास मौजूद है । तो क्या माननीय मंत्री जी उनके कार्यालय में जो गलती हुई और जिसके कारण उन्हें गलत उत्तर देना पड़ा, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

यदि माननीय सदस्य प्रतिलिपि दे देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जायेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्री जी वहां की जनता की जरूरतों और कठिनाइयों को महसूस करते हुये अगले वित्तीय वर्ष में बस स्टाप खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

इन्दामऊ उन्नाव से एक मील दूरी पर है और वहां (उन्नाव) आलरेडी बस स्टाप है । साथ ही इन्दामऊ का यह एक मील का रास्ता कच्चा है । ऐसी हालत में वहां बस स्टाप बनाना ठीक नहीं होगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां निकट भविष्य में कोई बस स्टाप खोलने की योजना है अथवा नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द---

अभी मैंने माननीय सदस्य को बताया कि चूंकि इन्दामऊ एक मील की दूरी पर है जहां पर कच्चा रास्ता है इस कारण से वहां पर बस स्टेशन को बनाने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद---

बस स्टेशन को पक्की सड़क पर ही बनाने का सवाल है तो कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि पक्की सड़के हैं और बसें जाती हैं । क्या आप ऐसे स्थान पर बस स्टेशन को बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द---

इस पर विचार किया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि दो प्रकार के बस स्टेशन होते हैं । एक तो रिक्वेस्ट पर बसों को रोकने के और दूसरे जहां पर बस स्टेशन की बिल्डिंग्स बनी हैं । क्या ऐसे स्थानों पर जहां पर बिल्डिंग्स नहीं बनीं वहां पर रिक्वेस्ट बस स्टेशन को बनाने की आज्ञा प्रसारित करेंगे ताकि यात्रियों के रिक्वेस्ट करने पर बसें रुक जायं ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)—

आन रिक्वेस्ट पर बसों को रुकने का काम बराबर हो रहा है। जब उसके लिये रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पर बसें रुक जाती हैं। साथ ही वहां से एक मील की दूरी पर ही बस स्टेशन है। परन्तु यदि बस को रोकने के लिये प्रार्थना की जाती है तो वहां पर भी बसें रुक जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी और प्रकार का प्रार्थना पत्र हमको मिलता है तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

जिला परिषद् के कर्मचारियों के लिये पेन्शन तथा ग्रेचुएटी

**४—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला परिषद् कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेचुटी इत्यादि देने का प्रश्न सन् १९६४ से शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्णय में विलम्ब का क्या कारण है?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

ग्रेचुइटी के विनियम का आदर्श प्रारूप समस्त जिला परिषदों द्वारा अपनाने हेतु २ अगस्त, १९६७ को भेज दिया गया था जिसके फलस्वरूप ४३ जिला परिषदों ने प्रश्नगत विनियमों को अपनाकर शासन को भेजा था और उन सभी की शासन द्वारा पुष्टि की जा चुकी है।

जहां तक पेंशन का प्रश्न है, यह मामला वर्ष १९६४ से लगातार शासन के विचाराधीन है। कुछ जिला परिषदों से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिनमें काफी भिन्नता थी। एकरूपता की दृष्टि से पेंशन विनियमों का आदर्श प्रारूप बनाया गया था। इस आदर्श प्रारूप के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत परीक्षण आवश्यक था जिसमें समय लगना अवश्यम्भावी था। अब इन आदर्श विनियमों को शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ व अन्य शहरों में नंगे व्यक्तियों का घूमना

*१—श्री वंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा अन्य शहरों के अन्दर नंगे लोग (स्त्री व पुरुष) घूमते हैं जिसका कि प्रभाव छोटे-छोटे बच्चों तथा सड़क पर आने-जाने वाले व्यक्तियों पर बुरा पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिये कोई योजना बनाई है कि इनको शहरों से अलग कर आगरे के पागलखाने में रखने की व्यवस्था की जा सके?

राज्य स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर पुरुषोत्तमदास कपूर)—

लखनऊ व प्रदेश के अन्य कुछ शहरों में ऐसे लोग घूमते देखे गये हैं। ऐसी कोई योजना अभी नहीं है।

श्री वंशगोपाल शुक्ल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह योजना क्यों नहीं बनाई गई जब कि शहरों में ऐसे बहुत से नंगे लोग घूमा करते हैं जो कि हमारे लिये कलंक हैं? क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का प्रबन्ध करेंगे कि जो इस प्रकार के नंगे लोग शहरों में घूमा करते हैं उनको किसी दूसरी जगह पर भिजवा दिया जाय?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

मान्यवर, प्रश्न यह था कि ऐसे लोगों को आगरे के पालखाने में भिजवा दिया जाय और वहां पर रखने की व्यवस्था की जाय। ल्यूनेसी ऐक्ट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

यह प्रश्न मैंने बहुत पहले दिया था और उसपर अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उसका क्या कारण है क्योंकि नंगे लोगों के शहरों से घूमनें में यहां के वातावरण तथा व्यवस्था दोनों में खराबी आती है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसे लोगों को कहां पर भेजा जा सकता है?

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

इस विषय में मंत्री महोदय स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि उनको कहां पर भेजा जाय अथवा उनको कहां पर बसाना उपयुक्त होगा। मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रश्न पर वह पुरन्त ही ध्यान दें।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस प्रकार के नंगे लोग शहरों में घुमते हैं, वे पागल हैं अथवा अर्द्धबागल हैं तो क्या पुलिस के द्वारा अथवा जिलाधीश के द्वारा ऐसे लोगों को शहरों से हटा कर किसी अन्य स्थानों पर भिजवा दिया जायगा क्योंकि इनके न हटाये जाने के कारण अक्सर शहरों में एक्सीडेंटस भी होते रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इनका मतलब है कि ऐसे लोग पागल होते हैं।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

पागलों के लिये ल्यूनेसी एक्ट में यह है कि जिन लोगों को अपने लिये खतरा हो या जो जनता के लिये खतरनाक हों, उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट द्वारा पागलखाने भिजवा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

जो नंगे रहते हैं उनके लिये क्या है ?

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

वह पागल हैं या नहीं, यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह आब ीन तो लगता है कि क्या इसके लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो नंगे लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, यह स्कूल के बच्चों के पास भी घूमते हैं, लड़कियों के स्कूलों के पास भी घूमते है और जो हमारा पागलों के लिये कानून बना है उसमें केवल उन्हीं पागलों को पागलखाने में भेजते है जो वायलेन्स करते हैं, विचार करेंगे कि यह नंगे लोग भी इस ऐक्ट में आ सकें क्योंकि यह मारल

वायलेंस है । बच्चों की सुरक्षा के लिये कुछ करने की आवश्यकता है इसलिये इसके लिये एक केन्द्र आगरा या बरेली में नहीं तो लखनऊ में बना दिया जाय और इन लोगों को वहां रहने की व्यवस्था कर दी जाय ।

डाक्टर पुरुषोत्तम दास कपूर—

अभी ऐसी कोई योजना नहीं है । अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई सुझाव देंगे तो सरकार विचार करेगी ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या इन लोगों को बन्द नहीं किया जा सकता है ? (व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा बरेली में ली गई जमीन का मुआविजा

*१—श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री चेतराम गंगवार

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम मथुरापुर के कृषकों की हजारों बीघे जमीन सरकार द्वारा इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन हेतु सात वर्ष पहले अधिग्रहण किये जाने के बावजूद अभी तक कृषकों को उसका मुआबिजा नहीं दिया गया । यदि हां, तो मुआविजा न दिये जाने के कारण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

उल्लिखित ग्राम की २०६ बीघे १४ विस्वे १० विस्वासी भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि०, कानपुर द्वारा कार्यान्वित की जा रही औद्योगिक क्षेत्र प्रयोजना के लिए १९६३ में अर्जित की गई थी और १,४२,२६६.९८ रु० मुआविजे और ब्याज के रुप में सम्बन्धित कृषकों को बांटे जा चुके हैं । केवल ८,६२१.४७ रु० जिसके विषय में झगड़ा है, बांटने को बाकी रह गए हैं ।

अभी सूचना मिली है कि अब केवल ९५५ रु० बाकी रह गये हैं जिनके बारे में झगड़ा है । बाकी अदा हो गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि यह जो रुपया अदा होने में ७ साल का विलम्ब हुआ है उसके लिये कौन दोषी है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां ।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मुआबजा अदा होने में इतना विलम्ब होता है तो क्या इसक लिये ऐसे नियम बनायेंगे कि इतने समय के अन्दर मुआबजा दे दिया जाय ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नियम तो है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग रिट आदि कर देते हैं और उसमें बहुत समय लग जाता है। सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके मुआबजा दे दिया जाय।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न करने के पश्चात् वहां मुआवजा १५ दिन में वितरण हुआ है। तो इस जिले में वहां अधिकारी कौन है, क्या उसके खिलाफ माननीय मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको धन्यवाद दे दिया कि नहीं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह सही है कि कुछ ही दिनों पहले यह ६५५ रु० दिया गया है। मैं स्वयं चिन्तित हूं कि इसमें ७ साल की देरी क्यों हुई। मैं इसको देखूंगा और जो उचित कार्यवाही हो सकेगी करने की कौशिश करूंगा।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, किसानों की जमीन ऐसी होती है कि उसी से उनकी रोटी चलती है। यह जानते हुए कि जिनकी जमीन छीन ली जाती है वे गरीब किसान हैं, और मुआबजा में कई साल लग जाते हैं, क्या उनके जीवन निर्वाह के लिये कोई सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, फिर से कहें।

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

मान्यवर मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन किसानों की जमीन ली जाती है, उनकी रोजी रोटी बन्द हो जाती है और आप मुआबजा भी ७ साल में देते है। यह देखते हुए कि उनकी रोटी का सहारा छीन लिया जाता है, क्या उन किसानों को मुआवजा के अतिरिक्त कोई अन्य सहायता देने के बारे में क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुआवजा मारकेट रेट पर दिया जाता है, दूसरा कोई नियम नहीं है। जो मुआवजे के नियम हैं उनके अनुसार दिया जाता है जब तक कि कोई परिवर्तन न हो।

श्री रामचन्द्र विकल—

मान्यवर यह जानते हुए कि मुआवजे के नियम सही नहीं हैं, क्या सरकार इनके परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह प्रश्न सरकार के सामने बहुत पहले से है। जिनकी जमीन ले ली जाती है उनको मुआवजा जल्दी मिल जाना चाहिये। उनको कोई कठिनाई न उठानी पड़े कि खेत भी निकल जाय और मुआवजा भी न मिले। सरकार इस पर विचार करेगी।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, मंत्रीजी ने कहा कि मुआवजे देने के आदेश पहले से ही सरकार ने दे रखे हैं और मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया कि संबंधित मामले में अधिक विलम्ब हुआ है। तो क्या मंत्रीजी सरकारी अधिकारियों को यह सख्त आदेश देंगे कि भूमि अधिग्रहण के साथ ही किसानों को उचित मुआवजा दे दिया जाय और न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस बारे में सरकार विचार करेगी।

खिरिया मझगांव, जिला गोंडा में, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना

*२—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के स्थान खिरिया मझगांव में सरकारी जच्चा बच्चा का अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

जनपद गोंडा के स्थान खिरिया मझगांव में अगस्त १९६९ में एक मातृ एवं शिश कल्याण केन्द्र खोला जा चुका है। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

बजीरगंज, जिला गोंडा में फाइलेरिया अस्पताल खोलने की मांग

*३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकार जनपद गोंडा में स्थान बजीरगंज म फाइलेरिया की यूनिट (अस्पताल) खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

बजीरगंज में फाइलेरिया यूनिट (अस्पताल) खोलने का विचार नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

जिला फर्रुखाबाद में परिवार नियोजन कार्य के लिये अन्य विभागों की सहायता लेना

*४—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले के जनवरी, १९६९ से ३१ मार्च, १९७० तक परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चलाया गया उसमें क्या स्वास्थ्य विभाग के अति रिक्त अन्य विभागों द्वारा भी इस कार्य को कराया गया ? यदि हां, तो किन-किन विभागों के माध्यम से उक्त अवधि के अन्दर नसबन्दी कराने तथा लूप लगवाने के केस हुए है ? क्या यह भी सही है कि जमीन, बंदूकों के लाइसेंस आदि के प्रलोभन को देखकर नसबन्दी के लिये लोग तैयार किये गयें ? जिनमे कुछ की शिकायतें भी राज्य सरकार को भेजी गई थीं ? यदि हां तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जनवरी १९६९ से मार्च १९७० तक जिला फर्रुखाबाद में जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया उसमें परिवार नियोजन के अतिरिक्त राजस्व तथा नियोजन विभागों के सहयोग से भी कार्यक्रम चलाया गया।

उपर्युक्त अवधि में जो कार्य हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

विभाग का नाम	नसबन्दी	लूप
परिवार नियोजन	२८६	१,२०७
नियोजन	१६९	२
राजस्व	१२०	..
योग ..	५७५	१,२०९

यह सही नहीं है कि जमीन या बन्दूक के लाइसेंस दिये जाने के प्रलोभन में नसबन्दी के लिए लोग तैयार किए गये। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पब्लिक हेल्थ नर्सों को वार्षिक बढ़ोत्तरी का न मिलना

*५—श्री गोविन्द सिंह—

क्या स्वास्थय मंत्री बताने की कृपा करेंगे समाज कल्याण (महिला) विभाग को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप किन प्रभावित महिलाओं को पब्लिक हेल्थ नर्स (सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचारिका) के पद पर नियुक्त करके प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिये भेजा गया है, क्या उनके वेतन में होने वाली नियमित वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह बढ़ोत्तरी एरियर के साथ उन्हें शीघ्र दी जायगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां। उन्हें वार्षिक बढ़ोत्तरी अभी नहीं दी जा रही है।

यह बढ़ोत्तरी उन्हें शीघ्र दिलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

बांदा जिला अस्पताल की नई इमारत

*६—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला अस्पताल की नई इमारत तीन वर्ष से खाली पड़ी है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस अस्पताल की नयी इमारत सन् १९६८ में बनकर तैयार हो गयी थी, लेकिन उसमें जल सम्पूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण इसे अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

खाद्य तथा रसद विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*७—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में कितने जिला पूर्ति अधिकारी ए० आर० ओ०, सीनियर सप्लाई इन्सपेक्टर तथा सप्लाई इन्सपेक्टर हैं ? इनमें से प्रत्येक श्रेणी में परिगणित जाति के कितने है ? क्या इनकी संख्या १८ प्रतिशत है ? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)—

जिला पूर्ति अधिकारी, एरिया राशनिंग आफिसर, सीनियर इन्सपेक्टर, तथा सप्लाई सर्किल इन्सपेक्टरों की संख्या क्रमशः ५१,२५,५५ तथा ४६४ है। इनमें एक जिला पूर्ति अधिकारी तथा १७ सप्लाई सर्किल इन्सपेक्टर परिगणित जाति के है। एरिया राशनिंग आफिसर तथा सीनियर इन्सपेक्टरों के पदों पर परिगणित जाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

उपर्युक्त पदों पर परिगणित जाति के कर्मचरियों की संख्या १८ प्रतिशत न होने का कारण यह है कि उक्त सभी पदों पर नीचे के पदों से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा अधिकांश नियुक्तियों की जाती रही है। खाद्य तथा रसद विभाग सन् १९४२ से अस्तित्व में आया और

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्रीमती कुदसिया बेगम)---

अधिकांश पदों का सृजन व उन पर भर्तियां उसी समय से आरम्भ हुयीं। उस समय परिगणित जाति के लिये १८ प्रतिशत पदों को सुरक्षित रखने का प्रश्न नहीं था। अतः परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या नगण्य रही। सन् १९४८ व १९५३ में खाद्य संगठन में भारी मात्रा में छटनी की गई। विभाग के पुनः बढ़ने पर छटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करनें में प्राथमिकता दी गई। अतः परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या १८ प्रतिशत नहीं हो सकी।

मेरठ जिले में जच्चा-बच्चा तथा चिकित्सा की सुविधायें

*८---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक परीक्षतगढ़ व ब्लाक मेरठ में किन-किन गांवों में सरकारी अस्पताल हैं और क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी कि जिससे ग्रामीण जनता को जच्चा-बच्चा एवं चिकित्सा आदि की सुविधा मिल सकें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जिला मेरठ के अन्तर्गत पुनर्गठन ब्लाक परिक्षतगढ़ में माछरा तथा परीक्षतगढ़ में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय (एलोपैथिक) तथा ग्राम अमरपुर में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकिसालय है। पुनर्गठन ब्लाक मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज अस्पताल, है।

ग्रामीण जनता को जच्चा बच्चा एवं चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान करने के लिये प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उनके अर्न्तगत उप केन्द्रों द्वारा योजना बद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है अतः इस समय नई योजना बनाने का प्रश्न नहीं है।

अस्पताल तालबेहट, जिला झांसी के लिये ली गई जमीन का मुआविजा

*९---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल तालबेहट जिला झांसी की इमारत के लिये भूमि कब ली गई थी और उसका मुआविजा कब दिया जायेगा ? यदि नहीं दिया गया तो कब तक दे दिये जाने की आशा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अस्पताल तालबेहट जिला झांसी की इमारत के लिये भूमि वर्ष १९४८ में ली गई थी। चूंकि यह भूमि श्री लिटोरिया से दानस्वरूप प्राप्त हुई थी, इसलिये इसका मुआविजा देने का प्रश्न नहीं उठता। तत्पश्चात श्री लिटोरिया से कुछ भूमि और प्राप्त की गई थी, जिसका मुआविजा ६५०० रु० उन्हें दिया जाना है। यह मुआविजा इस भूमि के गिफ्ट एवं ट्रान्सफर डीड के निष्पादन एवं रजिस्ट्री के बाद ही अदा किया जा सकेगा। यह दोनों डीड शासन द्वारा निष्पादित कियें जा चुके हैं तथा रजिस्ट्री के बाद मुआविजा का भुगतान हो जायेगा।

लखीमपुर खीरी जिले के स्वास्थ्य सहायकों का निलम्बन तथा तत्सम्बन्धी आरोप-पत्र

*१०---श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे, कि लखीमपुर खीरी जनपद के अन्तर्गत जनवरी, १९६८ ई० से दिनांक १५ मई, १९७० तक के बीच कितने, कौन और कहां के स्वास्थ्य सहायक निलम्बित हैं ? ऐसे निलम्बित स्वास्थ्य सहायकों के ऊपर आरोप क्या हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लखीमपुर खीरी जनपद के अन्तर्गत जनवरी १९६८ ई० से १५-५-७० तक के बीच दो स्वास्थ्य सहायक निलम्बित किये गये उनके नाम व स्थान निम्न प्रकार हैं।

(१) श्री राम समुझ यादव, स्वास्थ्य सहायक उपकेन्द्र औरंगाबाद प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, पसगवां, २०-११-६८ को निलम्बित किये गये।

(२) श्री ईश्वर दत्त त्यागी, स्वास्थ्य सहायक उप केन्द्र सिसैया, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र धौराहरा, दिनांक २२-१२-६८ को निलम्बित किये गये।

आरोप

(१) श्री राम समुझ यादव, स्वास्थ्य सहायक

(१) वार्षिक लक्ष्य ६० नसबन्दी होने के आधार पर ५ (पांच) केस प्रति माह प्रेरित करके आपरेशन करवाना चाहिये था परन्तु अप्रैल १९६८ से २०-११-६८ तक केवल दो केस करवाये इस कारण इन्होंने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा न करके सरकारी कार्य के प्रति असावधानी बर्ती। इसलिये उन्हें समय-समय पर चेतावनी भी दी गई थी।

(२) नियुक्ति के दिन (३-९-६७) से उसी क्षेत्र में रहने पर भी २०-११-६८ तक अपने क्षेत्र की लक्ष्य दम्पत्ति पंजिका की पूर्ति नहीं की।

(२) श्री ईश्वर दत्त त्यागी, स्वास्थ्य सहायक

(१) वार्षिक लक्ष्य ६० नसबन्दी निर्धारित होने के आधार पर पांच केस प्रतिमाह प्रेरित करके आपरेशन करवाना चाहिये था परन्तु १-४-६८ से २२-१-६८ तक एक भी केस नहीं करवाया तथा लक्ष्य पूर्ति पूर्णतया शून्य रही। इस प्रकार सरकारी कार्य की अवहेलना की। इस सम्बन्ध में समय-समय पर इन्हें लक्ष्य पूर्ति हेतु चेतावनी भी दी गई थी।

(२) नियुक्ति के दिन (६-९-६७) से उसी क्षेत्र में रहने पर भी निलम्बन की तिथि तक अपने क्षेत्र का लक्ष्य दम्पति रजिस्टर पूरा नहीं किया और इस प्रकार राजकीय आदेशों की अवहेलना की।

*११—श्री रामदेव—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निलम्बित स्वास्थ्य सहायकों को निलम्बन के कितने महीनों बाद आरोप पत्र दिया गया और आरोप-पत्र का उत्तर कब प्राप्त हुआ तथा निलम्बित स्वास्थ्य सहायकों का मामला विचाराधीन क्यों है? क्या सरकार शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करायेगी और निलम्बन के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री राम समुझ यादव, स्वास्थ्य सहायक को निलम्बन के लगभग आठ महीनों बाद आरोप पत्र दिया गया और आरोप पत्र का उत्तर २८-८-६९ को प्राप्त हुआ। इनके मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है। निलम्बन के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगाये गयें थे वह सिद्ध पाये गये।

श्री ईश्वर दत्त त्यागी, स्वास्थ्य सहायक को निलम्बन के आठ महीने के बाद आरोपत्रपत्र दिया गया और उसका उत्तर ३०-८-६९ को प्राप्त हुआ। इनके मामले में भी अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है। निलम्बन के उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध पाया गया।

विकास क्षेत्र गौर, जिला बस्ती के स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आरोप

*१२—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि विकास क्षेत्र गौर, जिला बस्ती के स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप-पत्र उनके कार्यालय में फरवरी में आया है ? यदि हां, तो अब तक कौन कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अनन्तराम जायसावाल—

जी हां । आरोप पत्र फरवरी में नहीं, परन्तु मार्च में प्राप्त हुआ था । विकास क्षेत्र गौर, जिला बस्ती में नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध बभनान क्षेत्र के कुछ दुकानदारों ने सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपत्र पत्र दिया था । इस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

जिला गोरखपुर निवासी श्री मोहित यादव की डाक्टरी परीक्षा

*१३—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १६ मार्च, १९७० को गोरखपुर जिले के अन्तर्गत ग्राम पडपुरवा के निवासी श्री मोहित यादव की, जो मार पीट की घटना में गम्भीर रूप से घायल थे, गंगहा के राजकीय चिकित्सालय में डाक्टरी परीक्षा नहीं की गई ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

१६ मार्च, १९७० को गंगहा के राजकीय चिकित्सालय में श्री मोहित यादव नाम के किसी व्यक्ति को मारपीट से घायल अवस्था में डाक्टरी परीक्षा के लिये नहीं लाया गया । अतः श्री मोहित यादव की डाक्टरी परीक्षा न करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के गंगहा चिकित्सालय के डाक्टर की शिकायतें

*१४—श्रीमती मसाली देवी—

क्या स्वास्थ्य मंन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक उक्त चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध जिला अधिकारी एवं थाना गंगहा एवं पुलिस प्रशासन तथा जनता की ओर से जनवरी, १९७० से १५ मई, १९७० तक सिविल सर्जन, गोरखपुर , के कार्यालय में कितनी शिकायतें हुई, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जनवरी, १९७० से १५ मई, १९७० तक गंगहा राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सालयाधिकारी के विरुद्ध थाना गंगहा के स्टेशन आफिसर से दो शिकायती पत्र सिविल सर्जन, गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त हुये थे । इन शिकायती पत्रों पर सिविल सर्जन, गोरखपुर द्वारा जांच की गई । सिविल सर्जन, गोरखपुर ने चिकित्सा अधिकारी को लिखित रूप में सतर्क कर दिया है कि वह मेडिकल लीगल मामलों को दिन या रात जिस समय भी लायें जायं तुरन्त जांच करें ।

उक्त दो शिकायतों के अतिरिक्त और कोई शिकायत सिविल सर्जन गोरखपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई ।

प्यारेलाल शर्मा अस्पताल तथा डफरिन अस्पताल, मेरठके तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होना

*१५—श्री मंजूर अहमद तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या यह सही है कि प्यारे लाल शर्मा अस्पताल तथा डफरिन अस्पताल, मेरठ के अधिकांश कर्मचारी मेरठ के ही रहने वाले है और उनकी सर्विस इन्हीं अस्पतालों में बीती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इन अस्पतालों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जिनमें सेकेन्ड ग्रेड वर्लक, फार्मेसिस्ट, टेक्नीशियन, बार्ड ब्वाय, धोबी, माली आदि सम्मिलित है, यह सब मेरठ के ही रहने वाले हैं। ये सब कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। सामान्यतः इनका स्थानान्तरण नहीं किया जाता जब तक इन कर्मचारियों के काम के बारे में कोई शिकायत आदि नहीं होती।

सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में पुराना वेतनक्रम देना

*१६—श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों को जिन्हे स्वास्थ्य विभाग में लिया गया, वेतन-मान पुराने वेतन-क्रम में जोड़ा गया या नहीं ? क्या यह सही है कि कुछ लोगों को पुराने वेतन-क्रम के अनुसार मिल रहा है और कुछ लोगों को नहीं ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसे ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जी नहीं ।

सूचना विभाग के जिन छटनी शुदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में लिया गया उन्हें उनके पुराने वेतन क्रम में ही वेतन दिया जा रहा है।

परिवार नियोजन विभाग में डाक्टरों को वेतन न मिलना तथा उनका स्थायीकरण

*१७—श्री श्रीशचन्द्र, (जिला हरदोई), श्री केदारनाथ (जिला बहराइच), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) तथा श्री सेवा राम (जिला खीरी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि परिवार नियोजन विभाग में स्थायी नियुक्ति के डाक्टरों को वेतन गत ६ माह से नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

शासन के पास अगस्त, १९७० तक उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल एक डाक्टर को ६ माह से वेतन नहीं मिला था क्योंकि वेतन चिट महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई थी। इस समय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि परिवार नियोजन विभाग में अस्थायी नियुक्ति के किसी डाक्टर को वेतन नहीं मिल रहा है।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन अधिकारियों तथा सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

*१८—श्री श्रीशचन्द्र, श्री केदारनाथ, श्री छेदालाल चौधरी तथा श्री सेवाराम—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में तीन वर्ष से अधिक सेवा कार्यरत कितने डाक्टर हैं ? क्या सरकार उन्हें स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तीन वर्ष से अधिक सेवा में कार्यरत डाक्टरों की कुल संख्या ६१३ है जिनमें ५५ डाक्टरों को स्थायी कर दिया गया है तथा शेष ५५८ को स्थायी करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

एटा जिले में सरकारी कृषि फार्मों के फसल के आंकड़े

*१९—श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में कितने सरकारी कृषि फार्म हैं ? उनमें गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी फसलें बोई गई और कितनी फसलें पैदा हुई और उन पर कितना व्यय किया गया ? यदि खर्चा पैदावार से अधिक हुआ तो कितना और पैदावार अधिक हुई तो कितनी ?

कृषि मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

एटा जिले में कुल छः सरकारी कृषि फार्म हैं । इन फार्मों से संबंधित वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३७ पर)

*२०—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक ६ मई, १९७० को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम पर क्या स्वास्थ्य शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन १६ नजूल प्लाटों को दिनांक ६ अगस्त, १९६८ से ८ दिसम्बर, १९६८ तक की अवधि में अनियमित तौर पर पट्टा स्वीकृत कराया गया और जिस अनियमितता के कारण ५ लाख की हानि का अनुमान सरकार ने बताया है इसका पता कब मालूम हुआ था तथा तब से दिनांक २० मई, १९७० तक शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या मन्त्री जी यह भी बतावेंगे कि सन १९६८ में जब यह अनियमित कार्यवाही हो रही थी उस वक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी के मन्त्री, एकाउन्टेन्ट व लिपिक आदि कौन कौन थे ? क्या उनके नामों की पूर्ण सूची सदन में रखने की कृपा करेंगे और इस वक्त ये कर्मचारी कहां पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

इस अनियमितता के बारे में कलेक्टर, नैनीताल को जून, १९६९ में जानकारी हुई और उन्होंने इसकी सूचना शासन को अपने पत्र दिनांक २५ अगस्त, १९६९ द्वारा दी । शासन द्वारा शासनादेश, दिनांक २८ अगस्त, १९६९ द्वारा कलेक्टर से विस्तृत जांच रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया । कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट पत्र दिनांक १८ फरवरी, १९७० द्वारा भेजी गयी । इसमें सूचना अपूर्ण थी । अतः कलेक्टर को पुनः शासनादेश दिनांक २८ फरवरी, १९७० द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसका उत्तर कलेक्टर, नैनीतालने अपने पत्र दिनांक मार्च १०, १९७० द्वारा दिया । चूंकि मामला गम्भीर था और कलेक्टर द्वारा स्थिति सन्तोषजनक रूप में स्पष्ट नहीं की गयी थी अतः परे मामले की जांच आयक्त, कमाऊं मण्डल को शासनादेश दिनांक ४ मई, १९७० द्वारा सपुर्द की गई । बाद में इस मामले की जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गयी जो अब भी जारी है ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, रुद्रपुर में मंत्री तथा एकाउन्टेन्ट, का पद नहीं है। उस समय नोटीफाइड एरिया कमेटी में निम्न कर्मचारी थे:—

श्री जगदीश नरायन सक्सेना, सेक्रेटरी, जो जून, १९७० की सूचना के अनुसार नगरपालिका बिल्सी, जिला बदायूं में कार्य कर रहे हैं।

श्री के० पी० काम्बोज, सेनेट्री इन्सपेक्टर जो जून, १९७० की सूचना के अनुसार नगरपालिका रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं।

श्री के० सी० अवस्थी, ओवरसियर, जो जून १९७० की सूचना के अनुसार नगरपालिका रुद्रपुर में कार्य कर रहे हैं।

सर्व श्री बंशीलाल तथा हंसराज भाटिया, लिपिक जो, १९६८ में सेवा से अवमुक्त कर दिये गये।

मास्टर प्लान में बढ़ाई गई स्टाम्प ड्यूटी से गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को आय

*२१—श्री रामचन्द्र विकल

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि देहली बार्डर से हीन्डन नदी तक के मास्टर प्लान में बढ़ाई गई २ रु० स्टाम्प ड्यटी गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कब से मिल रही है ? कृपया यह भी बतायें कि १८ मई, सन १९७० तक कितना रुपया मिल चुका है तथा उस अतिरिक्त धन से क्या क्या सुविधायें उस उपरोक्त क्षेत्र के विकास में दी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

२ प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ५ मई, १९६२ से मिल रही है। गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को स्टाम्प ड्यूटी से हो रही आय की सूचना पूरे विनियमित क्षेत्र की एक साथ जिला निबन्धक, मेरठ से प्राप्त होती है, न कि खण्ड विशेष के बारे में अलग-अलग। इसी प्रकार इस आय को विभिन्न विकास योजनाओं में ट्रस्ट द्वारा व्यय किया जाता है और इस बात की कोई सूचना देना सम्भव नहीं है कि इस अतिरिक्त धन से खण्ड विशेष में कौन-कौन सी सुविधाएं दी गई हैं।

वाराणसी नगरमहापालिका की मांगें

*२२—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ मई, १९७० को वाराणसी के नगर प्रमुख ने मुख्य मंत्री के समक्ष कोई एक मांग-पत्र वाराणसी नगरमहापालिका की विकास योजनाओं का प्रस्तुत किया है ? यह मांग-पत्र क्या है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

वाराणसी के नगर प्रमुख ने विकास योजनाओं के सम्बन्ध में नहीं बल्कि महापालिका की कतिपय मांगों के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक १८ मई, ७० तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया था। मुख्य मांगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(१) १९६९–७० में महापालिका को सड़क अनुदान कुछ शिकायतों के कारण नहीं दिया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष में उसे ५,५०,००० रु० का विशेष सड़क अनुदान दे दिया गया है।

(२) शासन ने उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम १९५८ (आर० बी० औ० ऐक्ट) के प्राविधानों को महापालिका क्षेत्र से हटा लेना उचित नहीं समझा है परन्तु उसके कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाली आय को नगर महापालिका को दिया जायगा।

(३) कांजी हाउस में बन्द किये जाने वाले पशुओं पर अर्थदण्ड की दरें १ जून, १९७० से काफी कम कर दी गई हैं ।

(४) स्थानीय निकायों को इन्टरटेन्टमेन्ट टैक्स का कोई भाग देना अभी सम्भव नहीं हो सका है परन्तु नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं को प्रेक्षा-गृहों (थियेटर्स) पर कर लगाने के अधिकार दे दिये गये हैं ।

नवाबगंज नगरपालिका, जिला बाराबंकी की इमारत का अध्यक्ष द्वारा प्रयोग करना

*२३--श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि अध्यक्ष, नबावगंज, नगरपालिका, जिला बाराबंकी नगरपालिका की ही एक इमारत को अपने निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली व पानी का खर्चा नगरपालिका को वहन करना पड़ रहा है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

जी हां ।

बोर्ड का रेजीडेन्शल क्वार्टर का एक भाग प्रयोग करते हैं ।

किराया एवं पानी तथा बिजली का खर्च स्वयं वहन कर रहे हैं ।

*२४--श्री शिव कैलाश--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि उपर्युक्त नगरपालिका की इमारत में रहने के लिये क्या अध्यक्ष कोई किराया नगरपालिका को अदा कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस दर से और ऐसे इमारत का प्रतिमास किराया बाजार के भाव से क्या है ?

श्री रूप नाथ सिंह यादव--

जी हां ।

३० रुपया प्रतिमाह की दर से । ऐसी इमारत का प्रतिमास किराया बाजार के भाव से ८० से १०० रुपया तक है ।

जिलों के जिला टाउन एरिया क्लर्कों को कलेक्टरेट में संविलीन करना

*२५--श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में जिला टाउन एरिया क्लर्क पद को समाप्त करने का आदेश १९५९ में सरकार द्वारा दिया गया, जिसके अन्तर्गत उक्त पद वालों को क्लेक्ट्रेट में एबजार्ब कर दिया जाय? यदि हां, तो अभी भी किन-किन जिलों में यह पद कायम है तथा क्यों?

श्री रूपनाथसिंह यादव---

टाउन एरिया क्लर्क्स को कलेक्टरेट में संविलीन किये जाने के आदेश शासन द्वारा १९५८ में जारी किये गये थे परन्तु १९५९ में समस्त जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अवगत कराया गया था कि टाउन एरिया क्लर्क के पद पर काम करने वाले व्यक्तियों को यह विकल्प (option) प्रदान किया जायेगा कि वे अपने वर्तमान पदे पर ही बने रहना चाहते हैं अथवा अपने को नियमित पंक्ति (regular line) में स्थानान्तरित करना चाहते हैं। जिलों से प्राप्त सूचना के

अनुसार गोरखपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों में टाउन एरिया क्लर्क पद पर काम करने वाले व्यक्तियों ने नियमित पंक्ति (regular line) में ट्रान्सफर होने की स्वेच्छा नहीं जाहिर की अतः वहां यह पद अब भी कायम है ।

गोरखपुर जिले में टाउन एरिया क्लर्क की सेवा में विस्तार

*२६--श्री सूबेदार प्रसाद--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया तथा बस्ती जिले में काम करने वाले ऐसे जिला टाउन एरिया क्लर्क कौन-कौन हैं जिनकी आयु ६१ वर्ष से अधिक हो गई है तथा इनकी सेवा विस्तारण का क्या कारण है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

केवल गोरखपुर जिले में टाउन एरिया क्लर्क की आयु ६१ वर्ष से अधिक हो गई थी, उनकी सेवा में विस्तार ३-१२-७० तक जनहित में किया गया था ।

नसबन्दी करायें गये व्यक्तियों की पुनः नस जोड़ना

*२७--श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी) तथा श्री सियाराम--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में कितने नसबन्दी कराये गये व्यक्तियों की पुनः नस (रियूनियन आफ वास) जोड़ी गई और इनमें से कितनों को सफलता मिली ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

कथित वर्षों में प्रदेश में कुल ६२ नसबन्दी कराये गये व्यक्तियों की पुनः नस (रीयूनियन आफ वास) जोड़ी गई तथा प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से ३६ को सफलता मिली एवं ४ मामलों में असफलता मिली तथा अन्य २२ मामलों की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

परिवार नियोजन विभाग में छटनी शुदा महिला मंगल कार्य–कर्तियों का वेतन निर्धारण न होना

*२८--श्री गोविन्द सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना जिसे सन् १९६७ में संविद सरकार नें समाप्त किया था उसमें से जिन महिलाओं को स्वास्थय विभाग में जगह दी गई अभी तक उनका इन्क्रीमेंट नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

कुल ८१३ छटनी शुदा महिला मंगल कार्य-कर्तिओं को परिवार नियोजन विभाग में खपाया गया था जिसमें से ५९८ महिला कर्मचारियों के वेतन का पुनः निर्धारण इस विभाग द्वारा कर दिया गया है एवं इनकी सालाना वेतन वृद्धि लगातार दी जा रही है । शेष २१५ महिला कर्मचारियों का वेतन निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है क्योंकि इनकी पूर्व सेवाओं से सम्बन्धित अभिलेख इस विभाग को अभी तक नहीं प्राप्त हुये हैं ।

लखनऊ में अस्पतालों से दवाई लेने वाले मरीजों से दवा प्राप्ति की रसीद का न लेना

*२९—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के राजकीय अस्पतालों में जो दवायें मरीजों को स्टोर से देने के लिये लिखी जाती हैं उनकी प्राप्तकर्ता से कोई रसीद ली जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मरीजों से दवा प्राप्ति की कोई रसीद नहीं ली जाती क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

*३०—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि भविष्य में प्राप्तकर्ता से रसीद ली जाया करे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस प्रकार की व्यवस्था करना अव्यावहारिक होगा ।

आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के समक्ष विचाराधीन केस

*३१—श्री राम गोपाल संड—

सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९६९ से दिनांक ३१ मार्च, १९७० तक कितने मुकदमें रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के तथा अन्य प्रकार के आयुक्त, इलाहाबाद मन्डल के जेरे तजवीज थे एवं कितने मुकदमों का निर्णय इस काल में हुआ है ?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

सूचना निम्न तालिका में दी हुई है :

	रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट	आर्म्स ऐक्ट	वृहत जोत कर ऐक्ट	लैन्ड लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट	जिला परिषद् ऐक्ट	रूरल डेवलपमेंट रिक्वी-जीशन्ग आफ लैंड ऐक्ट, १९४८	भूमि भवन कर ऐक्ट	ए०आई० टी० ऐक्ट
उक्त अवधि में जेरे तजवीज मुकदमों की संख्या ।	६७७	१४८	३९	१०	२९	४	६	३
निर्णीत मुकदमों की संख्या ।	४६८	१२४	३६	६	२४	४	..	..

जिला गढ़वाल के अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव

*३२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में दिनांक १ अप्रैल, १९७० को कितने सरकारी अस्पताल ऐसे थे जिनमें कोई डाक्टर नहीं था ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गढ़वाल जिले के ११ (ग्यारह) चिकित्सालयों में पहली अप्रैल, १९७० को डाक्टर नहीं थे ।

*३३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक इन स्थानों पर डाक्टर भेज दिये जायेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपरोक्त ११ चिकित्सालयों में से दो में डाक्टरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिये गये हैं । डाक्टर उपलब्ध होते ही बाकी नौ रिक्त स्थानों में डाक्टर तैनात कर दिये जायेंगे ।

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के वेतन-मान का पुनः निर्धारण

*३४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के १ फरवरी, १९६७ से जो वेतन-मान पुनः निर्धारित किये गये थे, उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन का पूरा भुगतान नये वेतन मानों के लागू हो जाने की तिथि से दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के कोई वेतन मान १-२-६७ से पुनः निर्धारित नहीं किये गये थे । अतः नये वेतन मानों के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न का दूसरा भाग भी नहीं उठता ।

मलेरिया विभाग के छटनी किये गये ग्रेजुएट तथा अन्डर ग्रेजुएट कर्मचारियों को समान वतन मिलना

*३५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि मलेरिया विभाग के छंटनी किये गये ग्रेजुएट कर्मचारियों को पुनः नौकरियों पर अन्य विभागों में लेकर नान-ग्रेजुएट कर्मचारियों का ही ग्रेड १२०-२२० वाला दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां ।

मलेरिया विभाग के छटनी किये गये कर्मचारियों (चाहे ग्रेजुएट हों अथवा अन्डर ग्रेजुएट) को रु० १२०-२२० का वेतन-क्रम मिल रहा था । इन छटनी किये गये कर्मचारियों को परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत भी समान वेतन के पदों पर नियुक्त किया गया ।

उर्सला सिविल अस्पताल कानपुर में श्री बालादीन की मृत्यु की जांच

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ४-५ मई, १९७० की दरम्यानी रात इलाज में लापरवाही के कारण उर्सला सिविल हास्पिटल रोड, कानपुर में हुई श्री बालादीन, निवासी रामगंज, कानपुर की मृत्यु के सम्बन्ध में क्या उन्हें मई, १९७० में इंडियन सोशल रिफार्म एसोशियेशन, कानपुर से एक शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह शिकायती पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ किन्तु इसकी प्रतिलिपि सिविल सर्जन, कानपुर को प्राप्त हुई थी। इस मामले पर सिविल सर्जन, कानपुर द्वारा जांच से ज्ञात हुआ कि मृतक श्री बालादीन के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई ।

सरप्लस किये गये कर्मचारियों द्वारा वैकल्पिक नौकरियां न करना तथा उन्हें पुनः खाद्य विभाग में खपाना

*३७—श्री बांके लाल, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री प्यारे लाल, (जिला मेरठ), श्री श्यामलाल, (जिला आजमगढ़) श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रियासत हुसैन—

विधान सभा के (२८-४-७०) प्रश्न संख्या ६०-६१ के उत्तर के क्रम में क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उद्योग विभाग तथा अन्य विभागों के इन कर्मचारियों को एक बार वैकल्पिक नौकरियां रीजनल फूड कन्ट्रोलर्स के अधीन तथा खाद्य विभाग के आडिट सेल मुख्यालय, लखनऊ में दी गई थी परन्तु इन कर्मचारियों ने वहां कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की थी? यदि हां, तो उन्हें पुनः खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षक तथा पूर्ति निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कुदसिया बेगम—

कानपुर में राशनिंग स्कीम समाप्त होने पर काफी स्टाफ की छटनी की सम्भावना होने के कारण कुछ अन्य विभागों के सरप्लस कर्मचारियों को क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों के अधीन वैकल्पिक नौकरियां दी गई थीं। इनमें से किसी ने लिखित रूप में वहां कार्य करने में असमर्थता नहीं व्यक्त की थी परन्तु उन्होंने वहां ज्वाइन नहीं किया। वे छटनी में आ गये और कई महीने बेरोजगार रहने के बाद उन्हें ज्येष्ठ निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक के पदों पर खपाया गया। खाद्य विभाग के अडिट सेल, मुख्यालय लखनऊ, में सभी कर्मचारियों ने नियुक्ति होने पर ज्वाइन कर लिया था।

ऐसे व्यक्तियों को मानवता के आधार पर बेरोजगारी से बचाने के कारण ज्येष्ठ निरीक्षक पूर्ति के पदों पर नियुक्त कर लिया गया था।

सचिवालय कर्मचारियों को ज्येष्ठ निरीक्षक (खाद्य) के पद पर नियुक्त न करना

*३८—श्री बांकेलाल, श्री शिवप्रसाद पांडिया, श्री प्यारेलाल, श्री श्यामलाल, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खाद्य विभाग में ज्येष्ठ निरीक्षक तथा जिला पूर्ति निरीक्षक के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में सचिवालय के केवल ७ (सात) कर्मचारियों को जिन्होंने खाद्य विभाग में कार्य करने की इच्छा की थी और इसी क्रम में प्रत्यावेदन भी दिया था उन्हें ज्येष्ठ निरीक्षक के पदों पर नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कुबसिया बेगम—

सचिवालय के कर्मचारियों को उनके इच्छानुसार ज्येष्ठ निरीक्षक के पदों पर नियुक्त न करने का कारण यह था कि न तो वे बेरोजगार थे और न कोई उन्हें आर्थिक क्षति हुई थी।

परिवार नियोजन विभाग में ग्राम सेवकों की सेवा समाप्ति

*३९—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परिवार नियोजन विभाग से कितने ग्राम सेवकों की फरवरी सन् १९७० में सेवायें समाप्त की गई? क्या सरकार का उन्हें अन्य विभागों में कार्य पर लगाने का विचार है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक के पद पर कार्य रत २८६ ग्राम सेवकों की सेवायें २८, फरवरी १९७० को समाप्त की गई। इन सभी स्वास्थ्य सहायकों को १-३-७० से सेवा में पुनः नियुक्त कर दिया गया। अतः इन्हें अन्यत्र कार्य पर लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिला चिकित्सालय में एक्सरे मशीन की खराबी तथा टैक्नीशियन का अभाव

*४०—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिला चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन खराब हो चुकी है? यदि हां, तो कब से और उसको ठीक करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां। इस अस्पताल की एक्स-रे मशीन दिनांक १८ जून, १९६९ को खराब हो गयी थी। इसका एच० टी० केबुल फट गया था जिसको बदलने के लिये सम्बन्धित फर्म को विदेश से नया केबुल मंगाना पड़ा जिसमें काफी समय लगा। नया केबुल लगा देने पर मालूम हुआ कि मशीन का ट्रान्सफार्मर भी खराब हो गया है। इसको भी शीघ्र बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

*४१—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त चिकित्सालय में एक्स-रे टेक्नीशियन और थूक, पेशाब आदि की जांच करने के लिये कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन है? यदि नहीं, तो क्यों और इसकी व्यवस्था कब तक होगी?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस अस्पताल के लिये एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद स्वीकार कर दिया गया है और एक ट्रेन्ड लेबोरेटरी टेक्नीशियन वहां भेज दिया गया है। एक्स-रे टेक्नीशियन के पद के सृजन के सम्बन्ध में सिविल सर्जन से आवश्यक प्रस्ताव मांगे गये हैं।

जौनपुर जिला अस्पताल में श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा एडवोकेट की प्राथमिक परिचर्या

*४२—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि जौनपुर के एक प्रतिष्ठित एडवोकेट तथा डी०जी०सी० भी त्रिलोकी नाथ मिश्रा तथा उनका परिवार जो कि १९-२० मई की रात्रि में

एक कार दुर्घटना से घायल होकर जब जिला अस्पताल पहुंचा जो असावधानी के साथ प्राथमिक परिचर्या की गई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा, एडवोकेट डी० जी०सी० तथा चार अन्य व्यक्ति घायल अवस्था में दिनांक १९,२० मई, १९७० को १ बजे रात में जिला अस्पताल, जौनपर लाये गये, जहां उन सबों का उचित इलाज किया गया। प्राथमिक परिचर्या एवं उपचार में कोई असावधानी नहीं हुई।

*४३—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या यह सही है कि श्री मिश्रा के पत्र जिनके सर में चोट के कारण टांके लगाय गये थे, जब उन्हें वाराणसी विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज में ३-४ दिन के बाद खोला गया तो उसमे शीशे का टुकड़ा निकला? यदि हां तो वास्तविकता क्या है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा, एडवोकेट के पुत्र को चोट नहीं आई थी अतः उनके सिर में चोट के कारण टांके लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

विकासखंड दोस्तपुर जिला सुल्तानपुर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की योजना

*४४—श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का निश्चय राज्य सरकार ने किया है ? यदि हां, तो वह कब तक खुल जायेगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

विकास खंड दोस्तपुर, जिला सुल्तानपुर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवा निदेशक से शासन को नवम्बर, १९७० में ही प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

चन्द्रनगर, देहरादून से चीरफाड़ घर (मारचुअरी) का हटाया जाना

*४५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को सूचना है कि देहरादून स्वास्थ्य सलाहकार समिति तथा नगरपालिका देहरादून १९६९ में प्रस्ताव पारित करके सरकार से मांग कर चुकी है कि देहरादून के घनी आबादी मोहल्ले चन्द्रनगर में स्थित चीर फाड घर (मारचुअरी) को बस्ती से बाहर कहीं अलग हटाया जाय ? यदि हां तों सरकार ने क्या कार्यवाही किया ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जी हां, ऐसा प्रस्ताव मिला है।

देहरादून में एक नये चीरफाड़ घर (मारचुअरी) के निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से आगणन तैयार कराये जा रहे है जिनके उपलब्ध हो जाने पर इस कार्य को स्वीकृत करना संभव होगा। नई मारचुआरी बन जाने पर ही मोहल्ला चन्द्रनगर स्थित मारचुआरी को वहां से हटाया जा सकेगा।

श्री गान्धी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरदहा, जिला आजमगढ़ को नलकूप बनाने हेतु ऋण तथा अनुदान

*४६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरदहा, जिला आजमगढ़ को नलकूप लगाने के लिये राज्य सरकार ने पिछले ५ वर्षों में अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितना धन दिया है और उक्त विद्यालय के पास कृषि योग्य कितनी भूमि है और वह नलकूप से कितनी दूरी पर है ?

श्री अनवार अहमद—

श्री गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरदहा जिला आजमगढ़ को नलकूप लगाने के लिये राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अधिक अन्न उपजाओं निधि से १०,०००) का ऋण तथा कृषि विभाग द्वारा ५,००० रुपये अनुदान दिया गया है। उक्त विद्यालय के पास कुल ४७–६६२ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। जिसमें ३५–०० एकड़ भूमि विद्यालय से दो मील की दूरी पर ग्राम अहिरौली छत्तरपुर में है जो नौ प्लाटों में विभक्त है। तथा १२.६६२ एकड़ भूमि विद्यालय के प्रांगण में है। नौ प्लाटों में विभक्त उपरोक्त ३५,०० एकड़ भूमि नलकूप से कम से कम ११० गज और अधिक से अधिक ७७० गज की दूरी पर स्थित है। विद्यालय के प्रांगण में स्थित १२.६६२ एकड़ भूमि के पास नलकूप नहीं है।

नगरपालिका रामनगर, जिला नैनीताल के प्लाटों की नीलामी का स्थगित होना

*४७—श्री इन्द्र लाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतावेंगे कि दिनांक १ मार्च, १९७० का नगर पालिका राम नगर, जिला नैनीताल द्वारा कि न १५० (एक सौ पचास) नजूल प्लाटों का नीलाम नजराना तय करने को होना था, वह नीलाम हो चुका है ? यदि नहीं तो क्यों स्थगित किया गया ?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

जी नहीं। रामनगर के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल जिला मैजिस्ट्रट नैनीताल से दिनांक ६–३–७० को मिला तथा प्रश्नगत नजूल प्लाटों की नीलामी को स्थगित करने का एक प्रतिवेदन जिला मैजिस्ट्रेट को दिया। प्रतिनिधि मण्डल की आपत्ति पर जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक ६–३–७० के द्वारा प्रश्नगत नजूल भूखण्डों की नीलामी को स्थगित कर दिया।

नगरपालिका फर्रुखाबाद को दिया गया अनुदान

*४८—श्री महरम सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ जनवरी से लेकर ३१ मार्च, १९७० तक नगरपालिका, फर्रुखाबाद को कुल कितना रुपया किस-किस कार्य के लिये राज्य सरकार ने अनुदान, ग्रांट का दिया है, और क्या नगरपालिका ने उक्त रुपये को निश्चित अवधि के अन्दर खर्च कर लिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*४८—श्री कपनार्थसिंह यादव—

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरपालिका फर्रुखाबाद को सड़कों के निर्माण आदि के लिये कुल ३,२०,६०० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था परन्तु नगरपालिका के कुल २,९२,१६७ रु० आहरित किया । अनुदान की धनराशि का उपयोग नगरपालिका ने कर लिया है परन्तु उसने अपने कोष से देय अंशदान में से १,२६,१५१ रु० का उपयोग अभी नहीं किया है जिसका उपयोग ३१ मार्च १९७१ तक होना है । इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग द्वारा प्राइमारी तथा जूनियर हाईस्कूल के अनुसूचित तथा पिछड़े जाति के विद्यार्थियों को वजीफा पुस्तकों तथा लेखन सामग्री देने के लिये ४,६६४ रु० का कुल अनुदान तथा शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संबंधी कार्यों के लिये १२,६२,७१३ रु० का कल अनुदान दिया गया जो उपयोग किया जा चुका है ।

अवक्रमित नगरपालिका झांसी के अध्यक्ष को ही चार्ज देना

*४९—श्री जगदीश गांधी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष को तथा पालिका की कानूनी मियाद समाप्त हो जाने के उपरान्त भी अध्यक्ष को ही चार्ज मार्च, १९७० में दिया गया ? यदि हां, तो पुनः चुनाव न कराने अथवा कानून के विरुद्ध चार्ज दिये जाने के कारण थे ।

*४९—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जी हां ।

नगरपालिका बोर्ड झांसी द्वारा अवक्रमण के शासकीय आदेश दिनांक ४ जनवरी, १९६९ के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट में उच्च न्यायालय ने दिनांक १६ मार्च, १९७० को निर्णय दिया कि शासन का उपर्युक्त अवक्रमण आदेश निरस्त किया जाता है तथा वह अपने कथित आदेशों के अन्तर्गत बोर्ड के कार्य संचालन में हस्तक्षेप न करे । इन आदेशों के अनुसार बोर्ड का चार्ज अध्यक्ष को ही मार्च, १९७० में दिया गया । शासन ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्पेशल अपील दायर कर दी थी । अतएव उस पर निर्णय होने के पूर्व बोर्ड का पुनः निर्वाचन कराने का प्रश्न नहीं उठा और स्पेशल अपील का निर्णय भी दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को उच्च न्यायालय द्वारा हो चुका है ।

झांसी नगरपालिका के भूतपूर्व ई० ओ० के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*५०—श्री जगदीश गांधी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी नगरपालिका के भूतपूर्व ई० ओ० जो वर्तमान ई० ओ० शाहजहांपुर, नगरपालिका है उनके विरुद्ध अनेक गम्भीर आरोपों को लेकर सी० आई० डी० की जांच हुई थी ? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या है व सरकार द्वारा जांच के आदेश कब दिये गये व जांच कार्यवाही किस माह व सन् में पूर्ण हुई ?

श्री कपनार्थसिंह यादव—

जी हां । १९६६ में श्री लखपत राम शर्मा द्वारा एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिस पर सी० आई० डी० द्वारा जुलाई-अगस्त, १९६६ से जांच की जा रही है । उक्त शिकायती-पत्र में नगरपालिका झांसी में सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताओं से सम्बन्धित आरोप थे । सम्भवतः शिकायती पत्र में कुछ अन्य आरोप भी रहे हों । सी० आई० डी० की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

मथुरा नगरपालिका के कर्मचारियों का जमा हुआ प्राविडेन्ट फण्ड

*५१—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका के पास कितना धन कर्मचारियों के प्राविडेन्ट खाते में जमा है ? क्या यह सही है कि प्राविडेन्ट फन्ड के धन में से नगरपालिका अधिकारियों के कुछ धन दूसरी मदों में व्यय कर दिया है ?

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मथुरा नगरपालिका के पास रु० १६,९६,१३२.९६ पैसे (सोलह लाख छियानवें हजार एक सौ बत्तीस रुपया छियानवें पैसे) कर्मचारियों के प्राविडेन्ड खाते में जमा है ।

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले में लगाये गये नलकूप

१—श्री महरम सिंह—

क्या विकास मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में सन् १९६९ से लेकर ३१ मार्च, १९७० तक नियोजन विभाग द्वारा जिले के विकास क्षेत्रों में सिंचाई के लिये कितने और किस विकास क्षेत्र के किस-किस स्थान पर नलकूप बनाये गये हैं ?

श्री अनवार अहमद—

फर्रुखाबाद जिले में सन् १९६९ से लेकर ३१ मार्च, सन् १९७० तक नियोजन विभाग द्वारा जिले के विकास क्षेत्रों में सिंचाई के लिये २२७१ निजी नलकूप बनाए गए है । प्रत्येक विकास क्षेत्र का ग्रामवार विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में परिवार नियोजन केन्द्रों पर व्यय तथा लूप व नसबन्दी की संख्या

२—श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में स्थित परिवार नियोजन केन्द्रों पर सरकार ने १ अप्रैल, १९६८ से ३१ मार्च, १९७० तक की अवधि में कुल कितना व्यय किया और इसी अवधि में कितने पुरुषों की नसबन्दी की गई कितने नसबन्दी किये गये पुरुष ६० वर्ष की अधिक आयु के थे तथा कितनी औरतों के लूप लगाये गये ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कथित अवधि में मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ में स्थित परिवार नियोजन केन्द्रों पर सरकार ने कुल रु० ३७,८८२ व्यय किया और उसी अवधि में ११५४ पुरुषों की नसबन्दी की गई । किसी ऐसे पुरुष की नसबन्दी नहीं की गई जो ६० वर्ष से अधिक आयु का था । १७२५ औरतों के लूप लगाये गये ।

३—श्री मलिखान सिंह—

[मंत्री परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया अब शोक प्रस्ताव लिये जायेंगे ।

भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री फूलसिंह, नियामत उल्ला अंसारी, चुन्नीलाल, टीकाराम पुजारी, मुहम्मद हुसैन, दशरथ प्रसाद, रमाकान्त सिंह, इन्द्रदेव त्रिपाठी तथा सर सी० वी० रमन, श्री शम्भू-महाराज व राष्ट्रपति नासिर के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों का स्वर्गवास हो गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं। (१) स्वर्गीय श्री फूल सिंह, (२) श्री चुन्नी लाल जी, (३) श्री टीकाराम पुजारी, (४) श्री नियामत उल्ला अन्सारी, (५) श्री मोहम्मद हुसैन, (६) श्री दशरथ प्रसाद, (७) श्री रमाकान्त सिंह। इसके अतिरिक्त मैं दो व्यक्तियों का नाम और जोड़ देना चाहता हूं—वे हैं सर सी० वी० रमन, वैज्ञानिक और शम्भू महाराज जो नृत्य के कलाकार थे।

एक सदस्य—

एक नाम और जोड़ दीजिये पंडित इन्द्र देव त्रिपाठी जी का।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह—

ठीक है।

हमें बड़ा दुख है कि ये हमारे पूर्व परिचित सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे। श्री फूल सिंह जी का स्वर्गवास २० सितम्बर, १९७० को देहरादून के अस्पताल में हो गया। उनकी मृत्यु मस्तिष्क की शिरा फट जाने के कारण हुई। वह वहां से २० किलोमीटर जस्सोवाल में अपने सम्बन्धियों से मिलने जा रहे थे। वहीं पर वह मस्तिष्क की शिरा फट जाने के कारण बीमार पड़ गये और बाद में उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री चुन्नी लाल जी का १० सितम्बर, १९७० को देहावसान हो गया। यह अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के रहने वाले थे। इसी प्रकार की श्री टीकाराम जी पुजारी भी हमारे पुराने सदस्य रहे हैं। श्री मुहम्मद हुसैन जी भी बरेली जिले के रहने वाले थे जो कांग्रेस दलीय सदस्य थे और यहां पर हमारी विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। श्री दशरथ प्रसाद जी भी हमारे भूतपूर्व सदस्य थे। इनकी मृत्यु हत्या करने के कारण हो गयी थी।

श्री रमाकान्त सिंह जी भी हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे जो यहां पर पहले विधायक रह चुके हैं। इनकी मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था में हुई। इसी के साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जनरल नासिर का नाम भी इन सब के साथ जोड़ दिया जाय।

श्री सी० वी० रमन बड़े भारी वैज्ञानिक थे। इनको नोबुल पुरस्कार मिला था। इन्होंने विज्ञान में ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। इनकी विज्ञानशाला को मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। जो इनका इन्स्टीट्यूट था उसके ये स्वयं ही डाइरेक्टर थे। इन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया। श्री शम्भू महाराज को सब जानते हैं। यह बहुत ऊंचे कलाकार थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ ही मैंने जनरल नासिर का भी जिक्र किया। जनरल नासिर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। वह यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के प्रेसीडेंट थे। उनका अचानक ही ऐसा देहान्त हो गया कि जिसका सबको दुःख हुआ है। इन सब दिवंगत आत्माओं के लिये मैं शोक प्रस्ताव उपस्थित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको शांति प्राप्त हो। कृपया हमारी समवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा के अपने भूतपूर्व साथियों और जनरल नासिर और श्री रमण तथा शम्भू महाराज के प्रति जो अपनी भावनायें प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। फूल सिंह जी के नाम से हम प्रदेश के सभी दल और सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अच्छी तरह से परिचित होंगे। फूलसिंह जी बहुत दिनों हमारे इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल में भी शरीक रह चुके हैं। वह सहारनपुर जिले के निवासी थे। स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े कर्मठ सैनिक और इस प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं के सेनापति रहे। विचारों से बड़े गांधीवादी, गांधी जी की नीतियों के समर्थक, बड़े तपस्वी और कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं जिन्होंने सारा जीवन केवल देश की सेवा में तथा विशेषकर रचनात्मक कार्यक्रमों में लगाया। वह कांग्रेस के बहुत ही आदरणीय और प्रतिष्ठित नेता रहे हैं। यहीं लखनऊ में वह थे और राज्य सभा के सदस्य अभी गत चुनाव में निर्वाचित हुये थे। यहां से देहरादून गये। जाने से पूर्व हमसे उनकी भेंट हुई थी। बहुत स्वस्थ थे लेकिन वहां जाने पर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई--काल पर किसी का वश है नहीं---कि सहसा उनका देहावसान हो गया। उनके चले जाने से हमारे प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी रिक्तता आ गयी है। इस प्रकार के इतने निःस्पृह तथा निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता किसी भी प्रदेश एवं संगठन में कम ही मिलते हैं और उनके चले जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत दिनों तक होना कठिन है।

हमारे नियामत उल्ला साहब गोरखपुर के थे और हमारी विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। बड़े सीधे सादे व्यक्ति थे और विशेषकर अन्सारी समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता थे।

चुन्नीलाल जो बुलन्दशहर के रहने वाले थे और इस सदन के सदस्य रह चुके हैं। हम सब उनसे परिचित थे। वहां के सार्वजनिक जीवन में उनका अच्छा स्थान था।

टीकाराम पुजारी से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। यहां विधान सभा में जब वह थे तब सदा एक मनोरंजक वातावरण उत्पन्न किया करते थे। वे बड़े पुराने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे। बहुत दिनों से हमारे प्रदेश में मथुरा जिले में काम करते रहे थे। उनका भी निधन हो गया।

मुहम्मद हुसैन साहब यह बरेली के हमारे भूतपूर्व सदस्य रहे हैं इसी विधान सभा के और हम सबके वह साथी रहे हैं।

दशरथ प्रसाद की जो मृत्यु बहुत दुःखद स्थिति में हुई। कहा जाता है कि किसी ने उनकी हत्या कर दी। आज इसी प्रकार की घटना से जिसमें किसी एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की हत्या हो जाय हम सभी को दुःख हुआ और हमारी विधान सभा के सदस्य होने के नाते आज हम सब उनकी इस प्रकार की मृत्यु पर खेद प्रकट करते हैं।

रमाकान्त सिंह बहुत वृद्ध थे। ४०--४१ वर्ष से सुल्तानपुर जिले के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता रहे हैं। जिस प्रकार एक सीधा सादा परन्तु कर्मठ व लगन का कार्यकर्त्ता होता है उसमें उनकी गिनती थी और वृद्ध होते हुए बराबर वह किसानों का और जनता का काम किया करते थे। इन सब साथियों के उठ जाने से हमारे प्रदेश में जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की पंक्ति है उसमें रिक्तता आई है और यह दुःख की बात है कि जब देश को अच्छे कार्यकर्त्ताओं की जरूरत है तब ऐसे लोग हमारे बीच से उठते जा रहे हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इन्द्र देव त्रिपाठी गाजीपुर जिले के थे। सन् २०-२१ से बराबर कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे और कई बार जेल यातनायें भी उन्होंने सहीं। वे एक बड़े सीधे सादे गरीब प्रकार के कार्यकर्त्ता थे। वे हमारी विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। गाजीपुर जिले में उनका बड़ा भारी प्रभाव रहा है। अभी कुछ समय पहले इनका स्वागत समारोह गाजीपुर में हुआ था जिसमें मान्यवर, सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्त्ता एकत्र हुए थे। इनकी अवस्था करीब ८२-८३ वर्ष की थी। उनका देहावसान अभी हाल ही में हुआ है। उनके देहावसान से गाजीपुर जिले की अपूर्व क्षति हुई है। इन सब के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इन कार्यकर्त्ताओं के परिवार के प्रति हमारी संवेदना और सहानुभूति पहुंचा दें।

श्री सी० बी० रमन के सम्बन्ध में विशेष क्या कहने की बात है। वह तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ कर विज्ञान की आराधना में अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया था। संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में उनका एक उच्चतम स्थान था। भारत के लिये वे हमारी विभूति थे, इस देश के गौरव थे जिन्होंने अपनी विद्या, विज्ञान और अपने वैज्ञानिक आविष्कार तथा अनुशीलनों के माध्यम से इस देश का मस्तक सारे संसार में ऊंचा किया और जगत् के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने उनके प्रति आदर और श्रद्धा रखी।

शम्भू महाराज एक कलाकार व्यक्ति थे। नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक ऊंचा स्थान बना लिया था। दुनिया में उनका नाम था। भारतीय कला का प्रदर्शन करने के लिये वे विदेशों में भी गये और इस प्रकार उन्होंने अपने देश का सम्मान बढ़ाया।

मान्यवर, जनरल नासिर के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो दो-तीन-चार व्यक्ति हैं उनमें से नासिर का एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। बहुत छोटी अवस्था में ही उनका देहान्त हो गया। भारत के प्रति उनकी बड़ी मित्रतापूर्ण दृष्टि रही है। जवाहरलाल जी के तो वे निकट के मित्रों में एक थे। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के प्रेसीडेंट के नाते हमसे पश्चिम के साथ एकता स्थापित करने में उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। यूनाइटेड नेशन्स में उनका अपना एक स्थान था और सूफी समाजवाद के विरुद्ध उन्होंने बहादुरी और वीरता के साथ मोर्चा लिया। बहुत सी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी। बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयां हमारे सामने थीं और छोटी सी ही अवस्था में एक प्रगतिशील व्यक्ति, भारत के मित्र, दुनिया से चले गये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान उनके चले जाने से खाली हो गया। वे उन लोगों में से थे जो विश्व में शान्ति स्थापित करने में प्रबल समर्थवान थे।

मान्यवर, इन सब के परिवार के पास हमारी संवेदना आप पहुंचा दें। इन सभी के प्रति माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं तथा हम सब अपने को सम्बद्ध करते हैं।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा नेता विरोधी दल ने दिवंगत आत्माओं के प्रति जो अपनी भावनायें प्रकट की हैं, उससे मैं तथा मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है। मान्यवर, जहां तक श्री सी० बी० रमन का प्रश्न है उस सम्बन्ध में न केवल भारत को ही बल्कि दुनिया के वैज्ञानिक क्षेत्र में क्षति हुई है। भारतीय वैज्ञानिक क्षेत्र में उनसे बहुत प्रेरणा मिली। मैं समझता हूं कि भारत के विज्ञान का क्षेत्र उनकी प्रेरणा से अन्य देशों की अपेक्षा पीछे नहीं रहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भू महाराज हमारे देश के महानतम कलाकारों में से थे। यद्यपि वे अपनी इस कला को जमाने का साधन बना सकते थे लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की और दरिद्रता की हालत में ही उनका निधन हुआ ।

जनरल नासिर न केवल भारत के ही मित्र थे, न केवल एक महान राष्ट्र के राष्ट्रपति थे, बल्कि तमाम साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रों से उनका सम्बन्ध था, वे सदा ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे । उन्होंने भारत की भांति तमाम गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की नीति को समर्थन दिया और विस्तारवादी नीति का विरोध किया । इन शब्दों के साथ मैं अपने और अपने दल की ओर से इन सब लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दिवंगत आत्माओं के परिवार के सदस्यों को सान्त्वना का संदेश भेज दें ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और जिन नेताओं ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है, उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी ओर से उनके परिवार वालों को सान्त्वना का संदेश भेज दें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा और जिन लोगों ने महान आत्माओं के लिये अपनी संवेदना प्रकट की हैं, मैं अपनी पार्टी और अपने को उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि उनके परिवार वालों को हमारी संवेदना भेज देंगे ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और जिन अन्य माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनसे अपने और अपनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सम्बद्ध करता हूं । हमें इन आत्माओं के निधन से हार्दिक दुःख है । मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेरी संवेदना, इन मृतक भाइयों के परिवारों को भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर) क्या आपने कोई पार्टी बना ली है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरी निर्दलीय पार्टी है ।

नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो दिवंगत आत्माओं के प्रति खेद प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने निर्दलीय सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम निर्दलीय विधायकों की संवेदना दिवंगत आत्माओं के परिवार वालों को पहुंचा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य पार्टियों के नेताओं ने उन महानुभावों, जिनका स्वर्गवास हो गया है के प्रति जो शोक और संवेदना प्रकट की, मैं अपने को उनके विचारों से सम्बद्ध करता हूं ।

[श्री अध्यक्ष]

मेरा घनिष्ट सम्बन्ध श्री फूल सिंह जी से खास तौर से इस लिये रहा कि व गांधीवादी थे। मैंने उनको सदा ही नियमित रूप से चरखा चलाते हुए देखा। वे प्रतिदिन १–२ घंटे चरखा चलाते थे। जब से उन्होंने गांधी जी का साथ किया जीवन भर अपने नियम से कभी नहीं चूके। नियम से जो व्यक्ति काम करने वाला है, उसको गांधी का स्मरण हो, उनके सिद्धान्तों को स्मरण में वह रक्खें, यह स्वाभाविक है। उनका स्वभाव भी उसी प्रकार का था। उनका सम्बन्ध किसी पार्टी या दल से रहा हो लेकिन उनकी सदा ही यह कोशिश रहती थी कि उनका प्रेम सम्बन्ध सभी से कायम रहे। और सार्वजनिक जीवन में मैने कभी नहीं देखा कि वे किसी से घृणा या द्वेष करते हों। ऐसा महान् व्यक्ति जो हमेशा लोक सेवा में रत रहे, उनके स्वर्गवासी होने से मुझे बहुत दुख हुआ व्यक्तिगत रूप से और हमारे बाकी जो सदस्य हैं यहां के, वे दिवंगत हो गये उनके बारे में और विशेष रूप से मुझे माननीय टीकाराम जी की याद आती है। जब कभी मैं देखता था कि लोग आवेश में बोल रहे हैं तो वे खड़े होकर कोई न कोई ऐसा प्रश्न उठा देते थे कि लोग शान्त हो जाते थे और हंसने लगते। ऐसे सज्जन का जो देश का कार्य करें, और आपस में मेल मिलाप कायम करें, उनके जाने का भी सदन को दुख हुआ।

माननीय इन्द्रदेव त्रिपाठी जी, उनका मेरा सम्बन्ध, मैं समझता हूं कि १९३३ की कांग्रेस से है। जब कि हम लोग कलकत्ते में जाकर गिरफ्तार हुए, बहुत से लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। वहां कांग्रेस अवैध करार दे दी गई थी, तब से मेरा उनसे सम्बन्ध है। आप वृद्ध होते हुए भी जहां कहीं जाते थे तो बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और विचार विनिमय और उनसे सम्पर्क हमेशा कायम रखते थे। उनके बारे में मैं विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इनके अलावा जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति माननीय सी० बी० रमन, शम्भू महाराज और नासिर स्वर्गवासी हुए उनके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना है। दुनिया उनकी मृत्यु पर शोक करती है। श्री रमण जी जैसा अद्भुत वैज्ञानिक चला गया जिन्होंने विज्ञान के सम्बन्ध में विशेष खोज की, उनका पहला मेरा सम्पर्क, हिन्दू यूनिवर्सिटी जब कायम हो रही थी, उस समय हुआ था। उस समय उन्होंने अपने सिद्धान्त बताये और तब से हम लोग जो विद्यार्थी थे, उनकी प्रतिष्ठा करते रहे। दुनिया में जो सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज है वह उनको मिला। इससे अधिक और क्या होगा। एक अपना व्यक्ति जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है वह हमसे उठ गया। उसके प्रति सभी भारतीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हमारे नृत्य सम्राट शम्भू महाराज की बड़ी प्रसिद्धि रही है। दुनिया के बड़े-बड़े देशों में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। वे गरीबी के कारण हमेशा दुखी रहे, बीमारी की अवस्था में उनको सरकार की तरफ हमेशा ताकना पड़ा कि कुछ सहायता मिल जाय तो काम चल सके। यह आश्चर्य की बात है कि जो बहुत बड़ा साहित्यकार होता है, लेखक होता है और जो कोई बड़ा कलाकार होता है, उनकी ऐसी गरीबी की दशा रहती है। उनकी गरीबी की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत थी और जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से कुछ ध्यान दिया भी है। लेकिन जो चीज उनको सुखी और समृद्ध बनाने के लिये की जानी चाहिये थी वह हम नहीं कर पाये। हमें इसका दुख है।

श्री नासिर, यह यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नेता थे। अरब के लोग हमेशा आपस में लड़ने वाले रहे हैं उनको एक सूत्र में बांधने का कार्य उन्होंने कर दिखाया जो दुनिया के सामने एक नई चीज है। अभी हम देखते हैं कि दुनिया के अन्य अरब देशों में लोग जैसे जार्डन के लोग हैं, वे एक नहीं हो पाते हैं। उनको एकता में कायम रखने वाला व्यक्ति नासिर था। ऐसे महान व्यक्ति के निधन से शोक होना स्वाभाविक ही है। यह एक ऐसा आदमी था जो साम्राज्यवादी देशों से टक्कर लेता था और हमारी जो नीति है किसी गुट में शामिल न होने की, उसका

वह आधार स्तम्भ रहा है ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु पर हमको बहुत दुख है। लेकिन उनके आगे आने वाले जो लोग हैं वह इसी तरह से गुट रहित देशों का संगठन कर रहे हैं उसमें मदद करेंगे यह आशा रखते हुए उनकी आत्मा को बराबर शान्ति मिले यह प्रार्थना हम करते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ आपने जो विचार प्रकट किये हैं सहानुभूति के उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो संवेदना का संदेश उनके घर के लोगों के बारे में आपने कहा कि मैं भेज दूं वह भेज दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मन्त्री।

(शेम शेम की आवाजें)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन) तथा उपबन्ध अध्यादेश, १९७०†

शिक्षा मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र))---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि सवा ५ महीने के बाद यह सदन यहां मिल रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन द्वारा किये गये निर्णयों को यह सरकार मानने के लिये बाध्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

आप तो पुराने सदस्य हैं, आप जानते हैं कि बाध्य है।

श्री रियासत हुसैन---

तो मैं आपका ध्यान इस दौरान में जो इस सदन ने निर्णय लिये थे उनकी तरफ दिलाता हूं, वैसे मैंने आपको लिखित रूप में भी सदन के अपमान का प्रश्न बना कर भेज दिया है...

श्री अध्यक्ष---

वह वक्त फिर आयेगा।

---

†छापे नहीं गये।

श्री रियासत हुसैन—

वह वक्त फिर तो आयेगा ही, मैं आधे मिनट में कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, यह फार्मल बातें खत्म हो जाने के बाद आप कहियेगा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय जो अध्यादेश सदन की मेज पर रखा गया है इस अध्यादेश का आज हमारे शासन के जितने भी दल हैं—कांग्रेस (संगठन), जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इन तमाम दलों ने विरोध किया है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो सदन के अन्दर यह लाया जा रहा है तो क्या इन दलों की भी जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हैं, पूरी सहमति है?

श्री अध्यक्ष—

आप भूल जाते हैं यहां की परिपाटी। जो भी अध्यादेश कभी निकलता है, अच्छा हो या बुरा, इससे कोई मतलब नहीं, उसको सदन की मेज पर रखना शासन का फर्ज है। इसके बाद जब विचार करने का प्रश्न आयेगा तो आप बहस कर लीजियेगा, लेकिन अभी तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिये रखा है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

यह जो अध्यादेश है इसके अननुमोदन के लिये तीन दिन का प्रक्रिया नियमावली में है कि सूचना देकर हम कर सकते हैं। तो इसकी सूचना हम अभी आपको दे रहे हैं कि इसके लिये लिखित रूप से भी हम भेज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष

आप नियम के अनुसार काम करें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके माइक इतने खराब हैं कि हम लोग जो पीछे बैठे हैं हमको सुनाई नही पड़ता है। आप इसकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, ठीक है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम १२० (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेश, संकल्प उपस्थित करने की अनुज्ञा चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

वह आ चुका है।

श्री रामकरन—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस वक्त यह अध्यादेश लागू किया गया तो इसके बारे में मान्यवर, कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ के नेताओं ने इस बात को कहा था कि यह तानाशाही रवैया जो मुख्य मन्त्री का है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। नियम यह है कि तीन दिन के बाद बहस हो सकेगी।

श्री रामकरन—

श्रीमन, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता, उसके विद्यार्थी सारे लोग जेल में गये और आपका अध्यादेश जो कल पेश होने वाला था उसके विरोध में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के दो माननीय सदस्य वाक-आउट किये। कल अध्यादेश के खिलाफ एक गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र विश्वकर्मा दुबे ने आत्मदाह की बात कही थी, उसको हमने किसी तरह से आश्वासन देकर रोका है कि हम तुम्हारी बात को लेकर हाउस में लड़ेंगे और वापस करायेंगे। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि—

श्री अध्यक्ष—

तीन रोज बाद करियेगा जो कुछ करना है....

श्री रामकरन—

मैं इस संदर्भ में यह ऐलान करता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ५ मिनट के लिये वाक-आउट करती है।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(इसी अवसर पर दर्शक दीर्घा में एक दर्शक खड़ा होकर नारे लगाने लगा और उसने सदन में कुछ पर्चे भी फेंके और चिल्लाकर कहा, "छात्र-एकता जिन्दाबाद, छात्र संघ जिन्दा बाद इंन्दिरा गांधी जिन्दाबाद।' उसके उपरान्त उसे सदन के गार्डों द्वारा बाहर ले जाया गया।)

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने छात्रों पर लगाये इस आर्डीनेन्स का विरोध किया है और यहां इस अध्यादेश का समर्थन किया जा रहा है, मैं इसके विरोध में एक घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं (श्री नगीन सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

श्रम मंमी (श्री हिम्मत सिंह)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

(इस बीच में श्री हुकुम सिंह परिहार खड़े हुए और बिना श्री अध्यक्ष की अनुमति के कुछ बोलते रहे, जो सुनाई नहीं पड़ा।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

मुख्य मन्त्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियम) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि—

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें .... आपको बैठना चाहिये।

---

†छापा नहीं गया।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

इस तरह के अध्यादेश के रखे जाने के विरोध में मै सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हुक्म सिंह परिहार सदन का त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७०†

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश निवारक निरोध अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७०†

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

आप लौटकर क्यों आ गये आप तो चले गये थे, आप व्यवस्था चाहते हैं मैं व्यवस्था नहीं दूंगा.....

श्री मंजूर अहमद—

मैं तो आपसे व्यवस्था मांग रहा हूं.....

विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, १९७०†

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखती हूं।

(श्री मंजूर अहमद के बीच में बोलते ही रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप तो केवल डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जब व्यवस्था का प्रश्न होगा तो मैं व्यवस्था दूंगा।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७०

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

राजस्व उपमंत्री (श्री राम वचन यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि(संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७०†

खाद्य राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७०†

वित्त उप मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर(संशोधन) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६६-६७†

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६६-६७ को, कम्पनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

(इस समय श्री मंजूर अहमद ने कुछ कहते हुये सदन का त्याग किया, जो सुनाई नहीं दिया।)

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यो, का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६ -६८†

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन १९६७-६८ को, कम्पी ऐक्ट १९५६ की धारा ६१९-ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखना हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि यह उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर से सम्बन्धित प्रतिवेदन और यह कारपोरेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर हमें विचार करने का अवसर दिया जाय।

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप नोटिस दे रहे हैं, तो यह नोटिस मिल गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९७०†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रूपनाथ सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८१८-ए (नि० १८) (संशों०-५)/११-ख-१ के (१)—६६, दिनांक ५ मार्च, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९७०, को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७०†

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १९८१-टी/तीस-ख-१०८-पी-६१, दिनांक ४ जुलाई, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उप-धारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पर्यटक वाहन नियमावली, १९७०†

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०२४-टी/तीस-ख-१९-पी-६४, दिनांक ३० मई, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पर्यटक वाहन नियमावली, १९७० को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमाली, १९७०

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४९८-बी/३३-६८-६८, दिनांक ६ अगस्त, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७० को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, १९६९†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६५३४-बी/३३-५९-६९, दिनांक ५ जून, १९७० द्वारा प्रख्यापित यू० पी० पंचायत राज

---

†छापी नहीं गई।

(परिवार रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, १९६९ को यू० पी० पंचयत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण-पत्र, १९६८–६९†

विद्युत् उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के वार्षिक लेखा विवरण–पत्र, १९६८-६९ को उस पर आडिट रिपोर्ट के साथ एलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६५ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, और आगरा नगरों की सीमाओं से होकर वाह्य गन्तव्य स्थानों के लिए माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली का शुद्धि-पत्र

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद असरार अहमद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३४–ग्रो/११–ग–७५/६१, दिनक २७ अप्रैल, १९६७ के अन्तर्गत प्रकाशित लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, और आगरा नगरों की सीमाओं से होकर बाह्य गन्तव्य स्थानों के लिये माल और गाड़ियों आदि के पारगमन के निमित्त नियमावली में उक्त विभाग के शुद्धिपत्र संख्या २१२५–ग्रो/११–ग–७५/६१, दिनांक ३ जुलाई, १९७० को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्ते के) (संशोधन) नियम, १९७०†

विद्युत उप मंत्री (श्रीराम प्रसाद देशमुख)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३४५/सत्रह–१(२)(२)–६६, दिनांक ४ जून, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के पदाधिकारियों के (यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्ते के) (संशोधन) नियम, १९७० को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७०††

न्याय राज्य मंत्री (श्री मनोहर लाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१९४–टी/तीस–ख–३० पी०–६५, दिनांक १ जुलाई, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७०, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) नियमावली, १९७०

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१७०-बी/३३-९५-६८, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७०, को यू० पी० पंचायत राज एक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७०††

न्याय उपमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८१७-टी/३० ख-११-पी-६९, दिनांक १ जून, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम १९६४ की धारा ३२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७०††

न्याय उपमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०५०-टी/३०-ख-३२-पी-६७, दिनांक ४ अगस्त, १९७० द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकल्स टैक्सेशन (दूसरा संशोधन) नियमावली, १९७० को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा, रिपोर्ट, १९६९ वित्त लेखे १९६७-६८ तथा विनियोजन लेखे १९६७-६८†

वित्त उपमंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से "उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६९" को "उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे, १९६७-६८" तथा "उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोजन लेखे, १९६७-६८" सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

वित्त विभाग की अधिसूचनाएं

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर विभाग की अधिसूचना :—

(१) संख्या एस० टी०-३५१६/दस-९००(८९)-६९, दिनांक ३० जून, १९७०

(२) संख्या एस० टी०-४६४३/दस-९००(८१)-६८, दिनांक ३० जून, १९७०

(३) संख्या एस० टी०-४६४४/दस-९००(८१)-६८, दिनांक ३० जून, १९७०

---

†छापे नहीं गये ।

††छापी नहीं गयी ।

(४) संख्या एस० टी०–४७१६/दस–६००(२१)–६६, दिनांक ३० जून, १६७०

(५) संख्या एस० टी०–४७२०/दस–६००(२४)–७०, दिनांक ३० जून, १६७०

(६) संख्या एस० टी०–४७२१/दस–६००(२४)–७०, दिनांक ३० जून, १६७०

(७) संख्या एस० टी०–८२०४/दस–६००(२१)–६६, दिनांक २४ सितम्बर, १६७० को, उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १६४८ की धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी ठेकेदारी-विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १६७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकारी ठेकेदारी–विनाश (पुनः अधिनियम तथा वैधीकरण) विधेयक, १६७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट १३८ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १६७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १६७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३६ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १६६६

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १६६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने १३ मार्च, १६७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ३० अप्रैल, १६७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ८ जुलाई, १६७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १६७० का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक २४ जून, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २७ जून, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १३ जुलाई, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १३ मई, १९७० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १० जुलाई, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि भारतीय दंड संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६९ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक २८ अगस्त, १९६९ को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ३० अप्रल, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १७ जुलाई, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू–गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ६ मई, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक २५ मई, १९७० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २४ अगस्त, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १९ जून, १९७० को बैठक मे पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक २९ जून, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ७ सितम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

श्री मंजूर अहमद की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं देना चाहता हूं श्री मंजूर अहमद की गिरफ्तारी की। वे कल दफा १८८ इंडियन पैनेल कोड के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये।

(एक आवाज —वे छूट कर आ गये हैं।) कल साढ़े ११ बजे गिरफ्तार हुये थे। आज आ गये वह दूसरी बात है।

एक सदस्य—

बे जमानत पर आये हैं या सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो सूचना आई है वह मैंने आपको दे दी।

(अगला आइटम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री जी कह रहे हैं माफी मांग कर आये हैं। अगर यह गलत हुआ तो मैं माननीय रूपनाथ सिंह यादव के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं (व्यवधान)

याचिका समिति (१९७०–७१) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)—

मैं सदन में २१ मार्च, २१ मई, ११ जून, १२ जून, २९ जून तथा एक जुलाई, १९७० को प्रस्तुत याचिकाओं के संबंध में वर्तमान विधान सभा की याचिका समिति की ओर से इसका प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में तीन याचिकायें उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ के अधीन स्थापित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय और साम्य के सिद्धान्तों के अनुकूल कार्यवाही न किये जाने की शिकायतों के संबंध में है। समिति ने यह देखा कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है उनको अपने बचाव का पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता। अतः समिति ने सिफारिश की है कि प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की प्रक्रिया और कार्यविधि विहित करने के लिये एक अधिनियम बनाया जाय। पुनरीक्षण शासन द्वारा न किया जाकर उच्च न्यायालय की प्रशासकीय बेंच द्वारा किया जाय और इस प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालय में एक प्रशासकीय बेंच की स्थापना की जाय। निर्णय करने वाले अधिकारियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये उनकी सेवा की शर्तों में उचित प्राविधान किये जायें।

[श्री बासुदेव]

चौथी याचिका उच्च पदाधिकारियों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की प्रणाली विहित करने के लिये विधि बनाने की मांग के संबंध में है। समिति ने इस संबंध में यह सिफारिश की है कि संसद में विचाराधीन लोकपाल तथा लोकयुक्त विधेयक, १९६८ के समान विधेयक यथाशीघ्र सदन में लाया जाय।

पांचवीं और छठी याचिकाओं वृत्तिकर के सबंध में थीं। समिति ने इन याचिकाओं को सरकारी दृष्टीकोण सहित सदस्यों में प्रसारित करने की शिफारिश की है ताकि वे इस संबंध में कोई असरकारी विधेयक लाना चाहे तो ला सकें।

मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि समिति की शिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये यथाशीघ्र कार्यवाही की जाय।

इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिये समिति की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं सदन की ओर से और अपने पक्ष की ओर से उपाध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रथम बार याचिका समिति का इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिफारिशों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री यहां पर है, वे कृपया यह बता दें कि सिफारिशों की ओर वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ बतला सकेंगे।

पंचम उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम व अष्ठम प्रतिवेदन†

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से पंचम उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, इन प्रतिवेदनों पर विचार कब होगा। मैं चाहता हूं कि इसी अधिवेशन में इन पर विचार अवश्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो निश्चय होगा, उसकी नोटिस मैं आपको दे दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप कार्य मंत्रणा समिति में इसे रखवा दें।

नियम समिति (१९७०–७१) का प्रतिवेदन†

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम समिति के सभापति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियम समिति (१९७०–७१) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है।

(१) नियम ३ में 'अधिवेशन' की परिभाषा जोड़ी जाय।

(२) विधान सभा के वर्ष में कम से कम तीन अधिवेशन करने से संबंधित प्रस्ताव को जो सदन द्वारा १० मार्च, १९७० को पारित किया गया था, नियमों में सम्मिलित करने के लिये एक नियम जोड़ा जाय।

(३) असरकारी कार्य को मास के प्रत्येक शुक्रवार को आधे दिन करने का उपबन्ध किया जाय।

(४) सदन में लिये जाने वाले कार्य की सूचना अग्रिम देने का उपबंध किया जाय।

(५) विधान सभा में उपस्थित किये जाने वाले प्रतिवेदनों पर विवाद के लिये समय नियत करनें का उपबन्ध किया जाय।

(६) ऐसा उपबंध किया जाय कि मंत्रियों की भांति नेता विरोधी दल को भी उपस्थित पंजी में हस्ताक्षर करना आवश्यक न हो।

(७) सदन के परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को सदा अध्यक्ष के आदेशों से विनियमित किया जाय।

(८) समिति ने उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त नियम ७३ और २०० में प्राविधिक दोषों को भी दूर करने की सिफारिश की है। जैसे नियम ७३ के अन्तर्गत त्रुटि इस प्रकार है, उसमें दिया है कि यदि विशेषाधिकार समिति की यह राय हो कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, तो समिति सिफारिश कर सकेगी और सदन को निम्नलिखित दंड देने की शक्ति होगी। अर्थात् नियम ७३ में यह उपबन्ध है कि दण्ड देने की शक्ति विशेषाधिकार समिति की शिफारिश पर ही प्रयुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद १९४ के अन्तर्गत सदन को स्वयं भी बिना विशेषाधिकार समिति की सिफारिश के दण्ड देने का अधिकार है। यह नियम में एक प्राविधिक दोष था, जिसको उचित संशोधन करके दूर कर दिया गया है। संशोधित नियम के अनुसार सदन को स्वयं भी दण्ड देने की शक्ति होगी।

दूसरे प्राविधिक संशोधन नियम २०० में किया गया है, जिसके उपबन्ध (२) में यह उबपन्ध था कि समिति में सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जोकि इन नियमों में प्रत्येक के लिये प्रतिबन्धित है, इससे यह प्रतीत होता था कि सदन को तथा माननीय अध्यक्ष को समितियों के गठित करने की शक्ति उन्हीं समितियों तक सीमित है, जिसका उल्लेख नियमों में किया गया है, जबकि समय समय पर सदन के संकल्प द्वारा मा० अध्यक्ष तथा विभिन्न समितियों का गठन करते रहे है, जिनका उल्लेख नियम में नहीं है। अतः इस उप नियम (२) को निकाल देने से नियम का यह प्राविधिक दोष दूर हो गया है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवारिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४०–१४६ पर)

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम के संबंध में याचिका

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये निदेशों और विनियमों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री हनुमान सिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विभाजन की घंटी के समय में वृद्धि के संबंध में सूचना

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप कब लेंगे जो लिखकर आपको दिया गया है ? नियम ३०० के औचित्य का प्रश्न जो आपको दिया गया है, तथा कार्य के बारे में भी बता दें। मुझे डर लग रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना आप को देना चाहता हूं। विभाजन जब होता है तो उसमें ३ मिनट की घंटी बजने का नियम अबतक रहा है। इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया गया और इसे देखते हुए कि दूर दूर लोग बैठते है, और यहां जाने में कितना समय लगता है। मैंने पहले इस बात को सूचना दी थी लोग आ नहीं पाते हैं तीन मिनट में। बहुत से लोग मंत्रियों के साथ बैठे रहते हैं बातचीत करते रहते है। तो विभिन्न दलों की बैठक का सुझाव है कि पांच मिनट २० सेकेंड लगते है इसलिये पांच मिनट कमसे कम घंटी बजनी चाहिये।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

नियम की चीज विभिन्न दलों की बैठक कैसे बदलेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रथा रही है। यह हम लोगों ने डिस्कशन किया था, यह तय हुआ कि पांच मिनट देना चाहिये। तो मैं सूचना दे रहा हूं कि आइन्दा पांच मिनट दिये जायेंगे, पांच मिनट तक घंटी बजती रहेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैंने सदन के अवमान का प्रश्न पूछा है व्यवस्था की शक्ल में।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बाद में आयेगा। मैं देख लूं देखा नहीं है मैंने।

श्री रियासत हुसैन—

जब सूचना प्राप्त हो गयी तो घोषणा कर देते कि यह प्राप्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—

कल इसी गड़बड़ में रहा कि नेता माना जाय या न माना जाय, दिन भर इसी में लगा रहा। जो मेरे पास फाइलें भेजी गयीं, लोग सुझाव दे रहे थे, उसमें समय चला गया। मैंने देखा नहीं। आज देख लूंगा।

गृह मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

आप जो व्यवस्था करने जा रहे है घंटी के सिलसिले में पांच मिनट की उसमें यह व्यवस्था भी अत्यन्त आवश्यक है कि जहां जहां मंत्री बैठते है वहां तक आपकी घंटी जानें की व्यवस्था नहीं है। वह व्यवस्था करवा दें। एक तो मैं यह प्रार्थना करना चाहता था। दूसरी यह प्रार्थना करूंगा कि काउंसिल और असेम्बली की घंटी में यह पता नहीं चलता कि काउंसिल की घंटी बज रही है या एसेम्बली की। इसमें भी आप कुछ अन्तर करा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल सही है। मैं भी धोखे में आ गया था एक दफा। परिषद् की घंटी बजी और यहां चला आया। यहां देखा कोई नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मैं यह सूचना देता हूं कि विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी ४ दिसम्बर, १९७० की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की है—

(१) विधान सभा सचिवालय पुनसंगठन समिति के प्रतिवेदन पर १७ दिसम्बर १९७० को विचार किया जाय।

(२) ७ दिसम्बर, १९७० को औपचारिक कार्य, जिसमें आगरा विश्वविद्यालय की सिनेट के लिये पांच सदस्यों के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव सम्मिलित है, लिया जाय। तदुपरान्त राज्य विद्युत परिषद् के ऋण की सीमा को ५० करोड़ रुपये से बढ़ा कर १००करोड़ रुपये करने के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प पर विचार हो।

(३) १२ जून, १९७० के असरकारी दिवस के स्थान पर, जैसा कि सरकार ने प्रस्ताव किया है, १८ दिसम्बर, १९७० को असरकारी कार्य हो।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष द्वारा सदन स्थगित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न ले लें। मैंने लिख कर दिया हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात है। श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। कल एक प्रश्न इस सदन में उठा और उसका आपने आज निर्णय ले लिया। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि कई बार ऐसी बहसें उठती है, तो उनके लिये सदन का स्थगन करना ठीक नहीं है। यह गंभीर रूप भी धारण कर सकती है परन्तु इसके लिये यदि आप निर्णय तुरन्त न ले सकें तो रूलिंग रिजर्व कर सकते हैं। कल भी सदन को स्थगित करना आवश्यक नहीं था। हमारी नियमावली के नियम १७ के अन्दर आपको अधिकार है कि आप

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

स्वयं ही सदन को स्थगित कर सकते हैं । नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह जो नियम १७ बना है वह हमारे संविधान के आरटिकिल १८९ के अन्तर्गत बना है । उसकी भावना यह है कि यदि कोरम न हो, यद्यपि नियम में इसका उल्लेख नहीं है, तभी आप सदन को स्थगित कर सकते हैं । दूसरी व्यवस्था नियम २९९ (६) के अन्दर है कि जब सदन में शोर हो तो आप स्थगित कर सकते हैं । मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं । अध्यक्षों के सम्मेलन में भी यह विषय आया था तो यह कहा गया था कि सदन का चलना सदस्यों का अधिकार है । कल बड़े इम्पारटेन्ट प्रश्न थे, बहुत से छात्रों के सम्बन्ध में और दूसरे विषयों के बारे में कामरोकों प्रस्ताव भी थे परन्तु सदन स्थगित हो गया जिसका कोई औचित्य नहीं था । मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं करना चाहता हूं लेकिन परम्परा की दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूलिंग आपने आज दी वह कल भी दी जा सकती थी । अगर कल नहीं दी जा सकती थी तो आप उसको रिजर्व कर सकते थे लेकिन छोटी-छोटी बातों पर अगर सदन स्थगित हो गया तो जो हमारे अधिकार है, जिसके लिये हम रुपया लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं,सदन इतनी आसानी से स्थगित नहीं किया जाना चाहिये । मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं । कल जो हो गया उसके बारे में आप कुछ न कहें लेकिन भविष्य के लिये आश्वासन दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो कल परिस्थिति थी उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है । बात तो यह होती है कि मैं सदन के बाहर भी देखता रहता हं । आपकी गरमी और सर्दी भी देखता रहता हूं और उसका आगे चलकर क्या परिणाम होगा बहस जारी रखने पर, इसका भी हिसाब रखना पड़ता है । आपने देखा होगा कि १०, १० और ५, ५ आदमी खड़े हो रहे थे । बाहर नारे लगाये जा रहे थे । सदन स्थगित करने के बाद जब हम डिसकशन के लियें गये तो मुख्य मंत्री जी के कमरे के आसपास घिराव था । कल हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि इतना ज्ञान नहीं था कि पहले ही दिन ऐसा होगा इसलिये सदन स्थगित कर दिया । दूसरे कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके लिये किताबें देखना जरूरी था और लोगों के दिमाग को शान्त करने के लिये भी जरूरी हो जाता है कि बहस को अगर टाल देते है तो लोग शान्त हो जाते है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपको मालूम होगा कि आल इन्डिया रेडियो ने इस समाचार को इस तरह से प्रसारित किया है कि जैसे सरकार की स्थिरता नहीं रही है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका जजमेंट मेरा होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सदस्य देहरादून ने एक ऐसा निरर्थक विवाद प्रस्तुत कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपनें जो बतलाया तो उसमें ऐसे बाहर के तथ्यों को ला दिया जिनसे अपनी असहमति प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हुं । आपने कहा कि मैंने बाहर की और अन्दर की गरमी को देखा । सदन में, जहां इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा थी वहां ऐसा वातावरण नहीं था जिससे कि

सदन के कार्य में कोई बाधा पहुंचती । बाहर मुख्य मंत्री का घिराव हो रहा था या नारे लग रहे थे तो उससे सदन की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं पहुंचती । सदन के बाहर क्या हो रहा है या सदन की गैलरी में क्या हो रहा है, उससे आपने रूलिंग दी ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो यह व्यवस्था दी थी कि जो कुछ जवाब दिये गये उन पर सोचने के लिये समय चाहिये और कल मैं निर्णय दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आपने जो व्यवस्था दी श्रीमन्, उसमें यह कहा कि बाहर नारे लग रहे थे और मुख्य मंत्री का घिराव हो रहा था ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह कहा कि आपको मालूम नहीं कि कैसी परिस्थिति उठ रही थी, वह मुझे मालूम है । क्षण भर के लिए स्थगित क्यों किया तो उस पर मैंने यह कहा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

आल इंडिया रेडियों के बारे में माननीय सदस्य देहरादून ने कहा तो दो लाइनें पौने नौ बजे कही गयी । इस तरह आल इंडिया रेडियो पर दोषारोपण करना उचित नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैंने जो अभी औचित्य का प्रश्न उठाया तो उसे निरर्थक कहा गया । एक सार्थक औचित्य का प्रश्न मैंने लिख कर दिया है कि कल माननीय सदस्य नैनीताल ने माननीय अध्यक्ष को कहा कि आज आपकी परीक्षा का प्रश्न है । तो क्या यह उचित था और क्या यह एक धमकी नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष---

आपने यह प्रश्न मेरे कमरे में भी उठाया और वह भी बैठे थे । मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि लोगों को इससे भ्रम हो सकता है । उनका इरादा कोई थ्रेट देने का नहीं था । मैं उसे लाइटली लिया । मैं उन्हें जानता हूं, उनके हृदय को जानता हूं । उनका ज्ञान बहुत सा है । वह हमेशा पढ़ते रहते है । इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी कह जाते हैं । लेकिन ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिये, इतना जरूर कहता हूं । इसका लोग अर्थ का अनर्थ कर सकते है । किसी के पक्ष में फैसला दिया तो परीक्षा में जीत गये और हक में नहीं दिया तो परीक्षा में फेल हो गये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

अगर इस प्रकार का कोई निर्णय दें तो दोनों पक्षों को सुन लें । परीक्षा शब्द का प्रयोग मैंने किया तो क्या वह असंसदीय है, अनपारलियामेंटरी है ?

श्री अध्यक्ष---

अनपारलियामेंटरी नहीं है । लेकिन किसी से यह कहना कि आपकी परीक्षा का समय है तो यह आप किसी मंत्री से कह सकते है लेकिन जहां तक अध्यक्ष के फैसला का सवाल है तो फैसला देने के सन्दर्भ में इस तरह से कहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है । परम्परा है या नहीं यह तो अलग है लेकिन यदि अर्थ यह लगा लिया जाय या इस प्रकार के अर्थ लगाये जा सकते हैं जो ठीक नहीं हैं । ऐसी बात सुनने में मुझे बरदास्त भी बहुत है ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि आप का प्रश्न है यह केवल आप तक ही नहीं बल्कि यह तो सारे सदन का प्रश्न है। इस भाषण का प्रयोग जिस संदर्भ में किया जाय वह अध्यक्ष के ऊपर एक आक्षेप है। आप अपनी उदारता से यह कह सकते हैं परन्तु यह सदन इसको स्वीकार नहीं करेगा। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया वह उचित नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो बात बीत गई उसको पुनः उठाया जाय यह कहां तक उपयुक्त है। यदि ऐसा किया जाता है तो फिर बहुत से प्रश्नों को उठाना पड़ेगा कि वह संसदीय था अथवा नहीं, उचित था या नहीं। यदि इस प्रकार का प्रश्न कल ही उठा दिया गया होता तो उपयुक्त था। अब यह कहना कि उधर की बेंचेज से कौन कौन सी बातें कही गयीं और वे कहां तक संसदीय अथवा असंसदीय थीं यह तो कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऐसा करने से समय नष्ट होता है।

दूसरा निवेदन यह है कि आपकी रूलिंग आपके विवेक पर ही निर्भर करती है कि आप सदन स्थगित कर दें अथवा नहीं। इस प्रकार की कोई परिपाटी नहीं बनती और न परम्परा ही बनती है परन्तु इस प्रकार के प्रश्नों का निर्णय माननीय अध्यक्ष के विवेक का ही प्रश्न है। अब वह किसी को पसन्द आये अथवा नहीं यह एक अलग की चीज है। एक रूलिंग आज आपकी हुई वह हमको पसन्द नहीं आई परन्तु वह तो आपके विवेक का प्रश्न था और जो कुछ आपने ठीक समझा, उचित समझा उसको आपने कह दिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको परम्परा न मानकर आपत्ति न उठाई जाय। मैं समझता हूं कि कल जो कुछ हो गया उस विषय को पुनः उठाना अथवा उस पर किसी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने मेरे कथन को ठीक नहीं समझा है। न तो मैं रूलिंग पर बात कर रहा हूं और न इस पर इस प्रकार की रूलिंग उन्होंने क्यों दी। मैं तो यह कह रहा हूं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य को स्थगित न करने की व्यवस्था दें। मैं केवल इसी को चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसके ऊपर और अधिक विवाद न हो। अब मद संख्या ४७—मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य ले लिया जाय।

(कोई वक्तव्य न होने के कारण अगली मद ले ली गई।)

(इस समय १ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव, पीठासीन हुये।)

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्रीपति मिश्र)—

उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में उन ५ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल दिनांक १० अक्टूबर, १९७० को पूरा हो गया यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में उन ५ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल दिनांक १० अक्टूबर, १९७०

को पूरा हो गया यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १६२६ की धारा १४ की उप धारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६७० पर नियुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीप नारायण मणि)---

उपाध्यक्ष महोदय , मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६७० पर नियुक्त उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि १५ सितम्बर, १६७० तक बढ़ा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १६७० पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि १५ सितम्बर, १६७० तक बढ़ा दी जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव अब आ रहा है एजेन्डे के ४६ वें क्रम पर और ४२वें क्रम पर इसको राजस्व मंत्री पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं । तो मैं वाइंट आफ आर्डर यह उठाना चाहता हूं कि जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका तो यह अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कैसे पेश हो सकता है । तो या तो उनका पहले वाला प्रस्ताव गलत था या यह जो प्रस्ताव अब रख रहे हैं , वह गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो औपचारिक मात्र है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

सरकार ने यह जो कार्यक्रम बनाया है वह क्रम बद्धता में नहीं है जो कि होना चाहिये था । सरकार को यह समझ, नहीं है कि कार्यक्रम किस ढंग से पेश कराये । तो श्रीमन्, मैं तो यह चाहता हूं कि इस पर कोई निर्णय होने से पहले इसकी वैधानिक जांच करालें क्योंकि जब प्रस्ताव अलग पेश हो चुका है तो इस समय-समय बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । सरकार बिल्कुल असफल रही है अपने कार्यक्रम को बनाने में ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रभु नारायण सिंह)---

मान्यवर, प्रश्न यहां वैधानिकता और अवैधानिकता का नहीं है । लेकिन जहां तक १५ सितम्बर तक अवधि बढ़ाने का प्रश्न है , तो यह तो उसको वैधानिक करने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक है ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था कि प्रतिवेदन अपनी जगह है और अवधि बढ़ाने की बात अपनी जगह है। १५ सितम्बर तक अवधि बढ़ाने का बात है क्योंकि उस समय तक कार्य पूरा नहीं हो पाया था। चूंकि उसकी वैधानिकता ठीक बनी रहे इसलिये १५ सितम्बर तक अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जब समय ही नहीं बढ़ाया गया तो प्रतिवेदन पूरा कैसे हो गया, वह तो लैप्स हो गया। प्रवर समिति समाप्त हो गई। जब हाउस ने समय ही नहीं बढ़ाया तो प्रतिवेदन कहां से आ गया, उसको तो कोई अधिकार ही नहीं रह गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपकी क्रम बद्धता वाली बात ठीक मालूम होती है। यह तो औपचारिक मात्र है, ऐसी चीजें तो तय होती रहती हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी —

ऐसा नहीं हुआ। विचार करने की बात तो यह है कि प्रवर समिति का जो समय है वह अगस्त-सितम्बर की कोई तारीख थी, उस समय को बढ़ाया नहीं गया तो प्रवर समिति का कार्य काल अपने आप समाप्त हो गया। एक वैधानिक प्रश्न यह है कि प्रवर समिति उस तारीख को समाप्त हो गई, क्योंकि विधान उस तारीख को थी ही नहीं। इसलिये प्रवर समिति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना समय स्वयं अपने आप बढ़ा लें और बाद में रेगुलराइज करवा ले। ऐसा किस नियम के आधार पर और किस अधिकार से ऐसा किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सदन न हो तो क्या करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी —

सदन न हो तो प्रवर समिति इसकी रिपोर्ट करेगी। वैसे वह तो लैप्स हो जायेगी।

श्री प्रभुनारायण सिंह —

मैं तो यह आशा करता था कि तिवारी जी एक बुद्धिमान सदस्य हैं और वह इस औपचारिक बात पर वैसे कोई आपत्ति की बात नहीं करेंगे। चूंकि उस समय सदन नही था ऐसी स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति के अन्दर इस औपचारिकता की पूर्ति करने की आवश्यकता पड़ी और यह प्रस्ताव लाना पड़ा।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

प्रश्न औपचारिकता का नहीं है। प्रश्न बिल्कुल वैधानिक और कानूनी है। जो प्रवर समिति बनती है वह नियम के आधार पर बनती है और नियम के अन्दर जब उसका कार्य काल नहीं बढ़ा तो वह खत्म हो गई। उसकी लाइफ खत्म हो गयी। तो जो चीज मर चुकी है उसको कानून के द्वारा दुबारा जिन्दा नहीं कर सकते। इसलिये यह औपचारिक प्रश्न नहीं है। यह तो एक कानूनी प्रश्न है और इस बारे में आप अगर कानूनी सलाह ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय सदस्य नैनीताल ने जो इस समय आपत्ति उठाई है वह जिस समय ४२ चल रहा था उस समय उठानी चाहिये थी। सदन ने उसको पास कर दिया है। अब उनको यह अधिकार

नहीं है कि अपनी आपत्ति उठा सकें। यह केवल औपचारिक बात थी। ४९ को उसको पहले रखना चाहिये था लेकिन सदन ने वह पास कर दिया है। अब आपत्ति के लिये कोई प्रश्न नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जो समिति संगठित होती है उसके लिये कोई मियाद नहीं रखी जाती। उसको समय बता दिया जाता है कि इतने समय के अन्दर उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। समिति अपना काम करती रही। जितना समय उसको दिया गया था उसके अन्दर वह रिपोर्ट नहीं दे सकी। अब ४९ में अगर उसके लिये समय के लिए बात कही जाती है। अगर इस प्रकार से उसको समय नहीं दिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट अवैधानिक हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस नियमावली की धारा २५८ में यह लिखा है "प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन" अब इसमें "आप देखें कि किन्तु सदन किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेंगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।" इसको आप पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद माननीय सदस्य को समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सदन के इतिहास म पहली बार ही सामने आया है। मैं समझता हूं जो बात कही गई है वह सत्य से परे है। १० साल इस सदन में कार्य करने के बाद पहली बार इस प्रकार का प्रश्न सामने आया है। आप इस विषय में उद्धरण देख लें और अपनी रूलिंग रिजर्व कर लें। नियम २५८ इस प्रकार से है :— विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी।" यह परन्तुक का मूल नियम है। इसका अर्थ यह है कि सदन द्वारा लिखित समय होगा। वह लिखित समय मंत्री जी ने नहीं बताया। शायद मंत्रीजी को पूरी जानकारी करने का मौका नहीं मिला कि कौन तारीख तक देना था। उस तारीख तक प्रतिवेदन २५८ के अनुसार प्रवर समिति को वह प्रतिवेदन देना चाहिये था। अगर उस समय तक प्रवर समिति प्रतिवेदन नहीं दे सकी तो इसके सेक्रेटरी ने मंत्रीजी से कहा कि इसका समय बढ़वाया जाय। लेकिन यह उसी समय आवश्यक था जब इसका समय था। इसकी अवधि समाप्त होने के पहले समिति की ओर से यह प्रस्ताव लाना था अगर विधान सभा नहीं चल रही थी तो उनको यह कहना चाहिए था कि विधान सभा में इस समय के अन्दर यह तिपोर्ट नहीं दे सकी तों इसका समय बढ़ नहीं सकता है चूंकि विधान सभा नहीं है। इसलिये यह तरीका नहीं था कि आप अपनी मर्जी से उसके समय को इस तरह से बढ़ा लें जैसा कि आज कर रहे हैं। बाद में आप इस तरह से उस समय को रेगुलराइज करने की बात कहते हैं। अब इसमें दो परन्तुक हैं। परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हों तो प्रतिवेदन उस तिथि से ३ मास समाप्त होने से पहले उपस्थित कर दिया जायगा, जिस तिथि को सदन ने प्रबर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। यानी यदि कोई तिथि न लगाई गई हो तो तीन माह के अन्दर रिपोर्ट देना लाजमी है नियमों के अनुसार। आगे इसमें इस प्रकार है "किन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।" तो प्रतिवेदन के पुरः स्थापन के लिये समय जो निश्चित था वह बढ़ाया जाय यह प्रस्ताव है। यह जो लिखा हुआ है इसका अर्थ यह नहीं है कि जब समय समाप्त हो जाय तो किसी भी समय यह लागू

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है। इस प्रकार तो किसी भी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस नियम में भी यह स्पष्ट है कि सदन के द्वारा निश्चित समय के भीतर ही प्रतिवेदन प्रस्तुत होना चाहिये और अगर समय बढ़ाने का प्रस्ताव भी हो तो वह भी निश्चित समय के भीतर ही होना चाहिये कि समय बढ़ाया जाय। इसलिये यह जो रिपोर्ट है यह अवैधानिक है और यह लप्स हो चुकी है। इस पर मंत्री जी को पुनः प्रस्ताव लाना चाहिये। यह इतने महत्व का प्रश्न है कि इस पर आप रूलिंग अपनी रिजर्व रख सकते हैं।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

माननीय तिवारी जी ने जो आपत्ति उठाई है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि एजेंडे के क्रम संख्या ४२ में यह प्रस्ताव किया गया था जिसके अन्तर्गत यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था उसी समय यह आपत्ति करना चाहिये थी। अब ४९ में जब अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है उस समय यह आपत्ति नहीं की जा सकती। इसलिये इसमें नियम की अवैधानिकता नहीं है। और जो आपत्ति उठाई गई है वह इस समय नहीं उठायी जा सकती। प्रतिवेतन प्रस्तुत हो चुका है और अब उसे रेगुलर होना है। लिहाजा नारायण दत्त जी की जो आपत्ति है उसे अस्वीकृत किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

एजेंडा मिलता नहीं है। और कार्य मंत्रणा समिति में मालूम नहीं हो सका था यह परिवर्तन।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

यह प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण है लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमावली इस प्रश्न को अपने तौर पर हल न कर सके। नियम २५८ का जिक्र किया गया, उसके परन्तुक का "किन्तु सदन किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।" मेरा कथन यह है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि तिथि समाप्त होने पर सदन तिथि नहीं बढ़ा सकेगा। तिथि समाप्त होने पर भी सदन तिथि बढ़ा सकेगा। इसके लिये सदन को शक्ति प्राप्त है और सदन इसके लिये शक्तिशाली है।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान नियम ३११ तथा ३१३ की ओर भी दिलाना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

उठता है। जरा सुन लें। ३११ में नियमों के निलम्बन के बारे में है जबकि ३१३ में अवशिष्ट शक्तियों के सम्बन्ध में है। इनमें आपको तथा अध्यक्ष जी को इस बात का पूरा अधिकार है किसी भी नियम के निलम्बन को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार में कहने का तात्पर्य यही है कि २५८ में कहीं यह नहीं है पीले वाले समय को स्वीकार न किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

किस तारीख तक प्रवर समिति की रिपोर्ट देनी थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव में यह लिखा हुआ है "उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक

माह के अन्दर प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो। समितियों के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

हमारे कार्यालय में यह सूचना २१-८-७० को आ गई है। समिति ने अपना प्रतिवेदन १५-९-७० से पूर्व ही अर्थात २१-८-७० की बंठक में अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया था। प्रतिवेदन छप कर भी प्राप्त हो चुका है। अतः समय बढ़ाने का प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की मद ७-१२-७० की कार्यसूची में शामिल कर ली गई जाय। इसके पहले यह सम्भव नहीं था। भूल-चूक हो सकती है। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। टेकनीक से किसी चीज को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। समिति का प्रतिवेदन क्रम-संख्या ४२ में प्रस्तुत किया जा चुका है। और क्रम-संख्या ४९ में इसकी अवधि १५ सितम्बर, १९७० तक बढ़ाने के लिये है। अतः इसमें सरकार और विरोधी पक्ष दोनों को सहयोग से काम करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

तो मान्यवर, इसमें आपने क्या रूलिंग दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इसकी इजाजत दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधयक १९७० पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि १५ सितम्बर, १९७० तक बढ़ा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

खाद्य राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ६ मास तक बढ़ा दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त, संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ६ मास तक बढ़ा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरः स्थापित करती हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४७–१४९ पर)

विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

मान्यवर, मैं विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करती हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५०–१५६ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

खाद्य राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आक रेंट एन्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट एण्ज इन्विक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मवीर—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आक रेंट एन्ड एविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५७–१५८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह—)—

उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन), विधेयक १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक १९७० को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन को अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रभुनारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५९–१६५ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् की ऋण लेने की सीमा बढ़ाने का संकल्प

विद्युत् मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की ऐक्ट संख्या ५४–) की धारा ६५ की उपधारा (३) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के २५ मार्च, १९६९ की बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा उक्त धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा के ५० करोड़ रुपये तक निश्चित करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत होने के बाद यह सीमा ५० करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गयी थी ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्यत परिषद को, जिसने उक्त धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन अभी तक ४८,१६,९१,५०० रुपये का ऋण प्राप्त किया है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करने के लिये और ऋण की आवश्यकता है, अतएव अब परिषद की योजनागत निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ, जिनके लिये परिषद के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, संसाधनों को पूरा करने के योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार राज्य विधान सभा के अनुमोदन से, एतद्द्वारा उक्त धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन परिषद द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को पचास करोड़ रुपए से बढ़ा कर एक सौ करोड़ रुपये तक निर्धारित करती है ।"

श्रीमन् मैं चाहता था कि इस समय मैं कुछ न कहूं और बाद में ही कुछ कहूं। केवल थोड़ी-सी बात इस समय बता देना चाहता हूं। हमारे बिजली विभाग के बारे में चारों ओर कुछ शिकायतें जरूर हैं और वे ये हैं कि हम लोगों को जितनी मात्रा में बिजली मिलनी चाहिये उतनी मात्रा

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

में नहीं मिलती है। आज भी हमारे पास जो बिजली है वह हमारी आवश्यकता से १० लाख यूनिट कम है। इसलिये रोस्टरिंग के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। ट्यूबवेल्स को खास तौर से जो बिजली दी जा रही है, उसमें १० लाख यूनिट बिजली की कमी है। आगे लोग आ रहे हैं बिजली लेने के लिये, ट्यबवेल लगाने के लिये। यदि हमें खेती करनी है और अपने यहां उद्योग लगाने हैं तो बिजली एक ऐसी चीज है जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है। यह कोई लक्जरी नहीं है बल्कि यह जीवन का तरीका है जो खेती के लिये आवश्यक है और इंडस्ट्री के लिये आवश्यक है।

हम विद्युत शक्ति बढ़ाना चाहते ह। हमारे पास जितने साधन है, जो सरकार ने हमें दिये है, वे पर्याप्त नहीं है। अब तक बोर्ड की ऋण लेने की क्षमता ५० करोड़ रुपया है। ४८ करोड़ रुपया हमने ले लिये ह, ६ करोड़ का इंतजाम हो गया है, बाकी हम लेना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहां विद्युत बढ़े, हमारे यहां जो कमियां है, वे दूर हों तो उसके लिये एक ही चीज हमें करनी है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बिजली दे सकें। हम यह मानते हैं कि बिजली ज्यादा से ज्यादा खेती के लिये और छोटे-छोटे उद्योगों के लिये देनी चाहिये। इसके लिये हम प्रयत्नशील है और जो हमारे यहां कमियां हैं उनको हम देख रहे हैं और आप हमको समय देंगे, जैसा कि आपने पहले दिया था तो ये कमियां थोड़े दिनों में दूर हो जायेंगी। जैसा कि पहले मेरे पास विद्युत विभाग था उस समय बिजली का काफी प्रसार हुआ था उसी तरह से यदि आप हमें समय देंगे तो इसका प्रसार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जो प्रस्ताव माननीय विद्युत मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह इस माने में महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत जो विद्युत बोर्ड की लोन की सीमा है उसको ५० करोड़ से बढ़ा कर १०० करोड़ करने का विचार है। यह विधान सभा का तरीका है कि वह निर्णय दें कि कैपीटल एक्सपैंडीचर व्यय के लिये चाहे योजना के अन्तर्गत हो या बाहर हो वह कितना लोन लेने का अधिकार सरकार को दे। यह उत्तर प्रदेश विद्युत ऐक्ट १९४८ में जो धारा रखी गई है, इस दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक मर्यादा की रक्षा रखने वाली मानी जा सकती है। वैसे सामान्यतः जो हमारे लोन लेने की शक्ति है और अभी तक राज्य की शक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। अन्य विधान सभाओं में भी नहीं लगाया गया है। अब यह विचारणीय विषय है कि इस विधान सभा को लोन लेने की सीमा के संबंध में क्या कोई नियंत्रण सरकार पर लगाना चाहिये या नहीं।

मैं इस दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करने का स्वागत करता हूं कि कि यह विद्युत बोर्ड जिस प्रकार से हमारे यहां कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी उपादेयता और उसकी कार्य प्रणाली को देखने का मौका दिया गया है। हम यह प्रस्ताव करने जा रहे है कि विद्युत बोर्ड को ५० करोड़ से बढ़ा कर १०० करोड़ रुपये तक का लोन लेने का अधिकार हो तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह बोर्ड इतना लायक है, क्या इसका ढांचा ऐसा है कि वह इतनी रकम खर्च कर सके। जब एक ओर हम राज्य की बिजली की आवश्यकता को देखते हैं और दूसरी ओर हम देखते है कि कितनी हमारे यहां की बिजली है तब हमारे प्रदेश की जो नियोजन संबंधी प्रगति है उसकी बुनियादी कमी की ओर हमारा ध्यान जाता है। आज यह निर्विवाद है कि किसी राज्य की प्रगति के लिये कि बिजली का भारी मात्रा में उत्पादन करना अनिवार्य हो गया है।

आज श्रीमन्, हरियाना एक छोटा राज्य है उसके प्रत्येक गांव में आज विद्युतीकरण हो गया है वहां भी बिजली बोर्ड है। हम यह नहीं कह सकते कि वहां स्थिर सरकारें हमेशा रही हैं,

वहां भी राजनैतिक अस्थिरता रही है, लेकिन क्या कारण है, कि आज हरियाणा जैसा छोटा राज्य यह दावा कर सकता है कि उसने अपने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी और हम इतने बड़े राज्य में आज यह भी नहीं कह सकते कि अगले दस साल में भी इस प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली ले जा सकेंगे ? इसका क्या कारण है क्या हमने सोचा है ? अगर हमें इस विषय पर विचार करना है तो आज हमें गम्भीरता से इस प्रश्न को देखना है । आज विद्युत बोर्ड के जो सदस्य हैं उसमें कुछ तो विभागों के सचिव हैं और वह ऐसे हैं जिनको बहुत काम देखने हैं । इसमें कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं है, सभी सरकारी कर्मचारी हैं । पूरा समय देने वाले या तो बोर्ड के चेयरमैन हैं या उसके सेक्रेटरी हैं । मंत्री महोदय का सीधे उससे कोई वास्ता नहीं है और न रखना है चूंकि आटोनामस बाडी है । तो जो इसके सदस्य हैं वह सारा समय न दे सकें तो बोर्ड का जो बुनियादी गठन है उस पर ही हमें विचार करना है । आज समय आ गया है कि हम विचार करें । मैं यह नहीं कहता कि विभागों के सचिव न हों । फाइनेन्स सेक्रेटरी अवश्य हों, बिजली विभाग के सेक्रेटरी अवश्य हों, लेकिन हमें बोर्ड को दो हिस्सों में बांटना चाहिये । एक तो जो पूरा समय दे सकें उनकी संख्या बढ़ानी चाहिये । उनका बटवारा होना चाहिये कि यह फाइनेन्स के चार्ज में रहेंगे, यह हाइडल स्कीम के चार्ज में रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये ताकि वह बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को देख सकें ।

आज हमारे विद्युत विभाग की चौथी योजना ३७५ करोड़ रुपये की है । और चौथी योजना में आप देखेंगे कि तीसरी योजना की जो पुराने स्कीम्स चल रही है उन स्पिल ओवर स्कीम के लिये १५० करोड़ रुपये है और नई स्कीम्स के लिये केवल २७ करोड़ रुपये है । तो इस पर जरा हम विचार करें । और चौथी योजना के बाद जब पांचवीं योजना आयेगी और यहां पर मैं सदन का ध्यान दूसरे खतरे की ओर ले जाऊंगा कि आज से ही अगर हम पांचवीं योजना की प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम प्रदेश को बिजली के मामले में पीछे ले जायेंगे । जितना समय बीतता है उतनी बिजली की आवश्यकता बढ़ती है । मैंने अमरीका, कनाडा, रूस और जापान में देखा है, वहां के विशेषज्ञों से बात की है जो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हमने बिजली का कोई टार्गेट रखा नहीं । जितनी बिजली हम पैदा कर सकें उतनी बिजली पैदा करने का ही टार्गेट है । बिजली की आवश्यकता असीम है । क्या हम नहीं जानते कि अकेले न्यूयार्क शहर में जितनी बिजली कंज्यूम होती है उतनी बिजली सारे हिन्दुस्तान में पैदा होती है । तो इसका कोई ठिकाना नहीं है । इस दृष्टिकोण से हमें प्लानिंग करनी है । नयी योजनाओं के लिये कुल २७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है । जो पांचवी योजना चलेगी उसमें कौन सी नयी योजनाएं हम ले रहे हैं ? क्या टेहरी या पंचेश्वर की योजना ले रहे हैं । अभी तक सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या सेन्ट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन यह नहीं फैसला कर पाया है कि हमें टेहरी योजना को लेना है या पंचेश्वर योजना को लेना है ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

टेहरी के मामले में आप दोनों की एक ही राय है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय श्रम मंत्री जी समझे नहीं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेहरी को लीजिये । वह गलत हमारे राजस्व मंत्री समझे । मैं कहता हूं कि उसके लिये धन प्राविधानित होना चाहिये और उसका स्ट्रक्चर बनना चाहिये, संगठन बनना चाहिये जो नहीं है । मेरी शिकायत यह है कि जो विद्युत बोर्ड का ढांचा है, जो संगठन प्रणालियां है वह इस योग्य नहीं बनायी गयी हैं कि इन बुनियादी ढांचों का बोझ वह बरदाश्त कर सकें । सर्वे इनवेस्टीगेशन डिवीजन है, उसमें हमें जो टेक्निकल लोग हैं उनके ट्रांसफर्म्स के बारे में विचार करना होगा । ओबरा एक बड़ी स्कीम है । ओबरा में कोई इंजीनियर वगैरह काम कर रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर हैं, डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, या असिस्टेंट इंजीनियर हैं, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हैं, अगर इनका प्रोमोशन होना है या कोई

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्रशासनिक रद्दोबदल करनी है तो यह उचित नहीं है कि आप हाइडिल में उसका ट्रांसफर कर दें या शारदा हाइडिल वालों को वहां भेज दें। क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं इस लिये इन पदों पर काम करने वालों को स्थायित्व मिलना चाहिये और वहीं उनको प्रोमोशन मिलना चाहिये, वहीं पर वहां दक्षता प्राप्त करके वहीं तरक्की पायें तभी वह काम हो सकता है। यह नहीं कि किसी को वह ट्रांसफर कर दिया तो वह सब समस्याओं को फौरन समझ लेगा। हम देखते है कि कागज में तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आटोनामी है, लेकिन क्या वास्तव में आटोनामी है विद्युत बोर्ड को नहीं है। ठीक है, सरकार का बोर्ड है, हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है लेकिन जो रोजमर्रा के काम हैं तो उन्हें आटोनामी हमें देनी होगी। क्या सरकार की ओर से ही फैसला होगा कि कि अमुक लाइनमैन का ट्रांसफर किया जाय ? अगर सरकार इन कामों को करेगी तो बोर्ड क्या करेगा, अफसर क्या करेंगे ? इसलिये इफेक्टिव आटोनामी हो। रेस्पोंसिबिलिटी आप उनकी फिक्स कर दें कि इतने मेगावाट की बिजली देने के लिये आप मशीन लगायें और जैसा चाह प्रबन्ध करें। तो इसमें कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन उस पर हमें विचार करना है

फिर इसके साथ साथ जो बाटिल नेक्स हैं बोर्ड और सरकार के बीच में उनको दूर करने के लिये कोई कार्यक्रम बनना चाहिये। जहां तक मुझे खबर मिली है, मैं उसको बिलकुल सही नहीं कह सकता, रामगंगा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें १४–१५ करोड़ रुपया चाहिये और ३ करोड़ रुपये के पुरजे का आर्डर अमेरिका में पड़ा हुआ है। अमेरिका की जो मशीनें आई हुई हैं और तमाम पुरजों का आर्डर गया हुआ है और हम खरीद नहीं पाते। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि जो मशीनें हम खरीदते हैं उनका कैसे उपयोग करें। मशीन पावर और ह्यूमैन पावर का समन्वय होना चाहिये। सदन के सामने विद्युत मंत्री यह रखें कि कितनी भारी मशीनें जो कि प्रोजेक्ट साइट पर, बिजली पावर हाउस को बना रहा है, वहां कितनी बेकार पड़ी हैं खरीदी हुई। तो जितनी पड़ी हैं उनका चार्ट यहां रखें और ऐसा चार्ट बनना चाहिये। और उस बाटलनेकिंग को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को और सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन दोनों को एक समन्वित रूप से कार्य करना चाहिये वर्ना आप चाहे करोड़ों रुपया सरकार को और उसके अधिकारियों को दें उसका सही उपयोग नहीं हो सकेगा और वह सब रुपया बरबाद हो जायगा। इसका उदाहरण रामगंगा प्रोजेक्ट की मेशीनरी मौजूद है। पब्लिक सेक्टर के एक आदर्श के रूप में आप को अपनी प्रोजेक्ट को चलाना चाहिये, एक पब्लिक सेक्टर में कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार और रवैया होना चाहिये उसकी मिसाल हमें उन योजनाओं के द्वारा जनता के सामने रखनी चाहिये। परन्तु हमें दुख है कि पब्लिक सेक्टर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिये था वह हम नहीं कर पाये। इस का एक सबूत कालागढ़ भी है, आज हमारे सम्मानित नेता जो नेता विरोधी दल की कुर्सी पर विराजमान हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि पिछले वर्ष उन्होंने उपमुख्य मंत्री होने के नाते एक प्रभावकारी कदम उठाया और उनकी दक्षता को लेकर और बोनस आदि के विषय को लेकर उन्होंने एक घोषणा की, उस के बाद जो सरकार आई उसको भी मैं बधाई देता हूं कि उन चीजों को उसने भी माना लेकिन मेरा निवेदन है कि अभी उस पर और विचार करने की जरूरत है। एक दृष्टिकोण अक्सर यह रहता है कि कर्मचारियों को जितना सन्तुष्ट करोगे वे उतना ही और अधिक मांग करेंगे और कुछ लोगों का दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जितना ही कर्मचारियों को सन्तुष्ट किया जायगा उतना ही अच्छा वे काम करेंगे।

पिछले साल जब नेता विरोधी दल उपमुख्यमंत्री थे तो रामगंगा प्रोजेक्ट में उन्होंने विचार किया कि विद्युत बोर्ड की नीतियां कैसी हों और किस तरह से कर्मचारियों और बोर्ड के बीच में अच्छे संबंध स्थापित हों। मेरा कहना है कि इसके लिये क्यों नहीं व्हिटले कौंसिल्स की तरह कोई कौंसिल या स्टाफ कौंसिल आप बनाते हैं जहां बैठकर सारी समस्याओं पर सुचारू रूप से विचार हो सके ? आप की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट हैं, रामगंगा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट हैं उनमें

कर्मचारियों के प्रतिनिधि, इंजीनीयर्स बैठें वह नीचे के लोगों की बातों को सुनें, लेबर डिपार्टमेंट के लोग कनसीलियेटर के तौर पर रहें, वहां श्रम विभाग के प्रतिनिधि जायं और वहीं तमाम छोटे-मोटे झगड़े तय कराये जायं । हमें यह भावना बदलनी होगी कि हमारे जो नीचे के अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ बैठकर हम कैसे बात करें । जब हम मिलकर हम इन कार्यों को आगे बढाने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है । हम समाजवाद की बात करते हैं लेकिन प्रेक्टिकल रूप में अब भी यह बात चलती है कि फलां आदमी तो हमारा सबा-र्डिनेट है हम उससे बात कैसे करें, कोई भी आदमी कार्य संचालन के लिये एक दूसरे का सबार्डिनेट हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार में कोई सबार्डिनेट नहीं है । चाहे रामगंगा प्रोजेक्ट हों, ओबरा का कार्य हो या कोई और प्रोजेक्ट हो सभी में अगर इस तरह से, एक समन्वय से, सब को सन्तुष्ट करके यदि कार्य होगा तो लेबर विभाग को भी एक कनसिलियेटर का कार्य करने में काफी आसानी होगी और विद्युत विभाग को कर्मचारियों के आन्दोलन करने पर इस तरह की नीति अपनाने की आवश्यकता कम से कम होगी । इस तरह से हम विद्युत बोर्ड के माध्यम से एक उदाहरण भी पब्लिक सेक्टर का प्रदेश के सामने रख सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी जो नई हकीमें हैं उनमें हमने ग्रामीण विद्युतीकरण पर बहुत कम ध्यान दिया है । हमारा जो रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है उसके द्वारा हम ठीक से विद्युतीकरण की योजनायें नहीं बना सके हैं । मैं यह जानता हूं कि इस बीच में बोर्ड ने ज्यादा स्कीम लाने की चेष्टा की है लेकिन अभी तक कुल ४–५ योजनायें ही ऐसी हैं जिन पर रुपया खर्च किया जा सका है या जिनकी शुरूआत की जा रही है । जहा १६० रुपये का कैपिटल हो और इतना बड़ा प्रदेश हो वहां ३–४ करोड़ की योजना के कोई अर्थ नहीं हैं । हमारे प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कम से कम ५० करोड़ रुपये का प्राविधान होना चाहिये । इस कार्य के लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड-या लाइफ इंश्योरेन्स से पैसा लेने का प्राविधान होना चाहिये । पिछले दिनों नीति यह रही कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्सेज या संस्थागत वित्त के साधनों का अधिक प्रयोग करें आज ५० करोड़ की बात है तो अगले साल १०० और २०० करोड़ का प्रस्ताव लाना होगा, अगर ऐसे कार्य के लिये अधिक कर्ज लेते हैं तो वह हमें स्वीकार करना चाहिये । अगले साल ५० करोड़ भी जरूर कम हो जायगा । हमें फार्वर्ड यानी अग्रगामी दृष्टिकोण से प्लानिंग के लिये विचार करना चाहिये । यदि सरकार इस बोर्ड को ५० करोड़ या १५० करोड़ रुपया देना चाहती है तो हम दें लेकिन ऐसी दक्षता होनी चाहिये कि जिससे वह रुपया ठीक ढंग से खर्च हो सके । आज मैसूर जैसे छोटे राज्य में एक प्रोजेक्ट के लिये १०० करोड़ रुपये का एक नया कार्पोरेशन बनाया है और हम अभी तक केवल १०० करोड़ की बात कर रहे हैं । हम ५० करोड़ तक ही अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं । हमारे जो विद्युत मंत्री हैं, आज उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मे-दारी है । मैं समझता हूं कि विद्युत विभाग, योजना के दृष्टि से महत्वपूर्ण विभाग है । आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है यह चुनौती भी है । वे ७ दिन के अन्दर कैबिनेट द्वारा फैसला ले सकते हैं । जिनकी वे अपेक्षा करते हैं और इस प्रकार का निर्णय कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में विद्युत के उत्पादन की गति और ज्यादा हो सके ।

इसमें एक और प्रश्न है राजकीय ट्यूबवेल्स का कि उनका प्रबन्ध कैसा हो । यहां पर एक प्रस्ताव यह आया कि ग्राम सभाओं को इस बात का अधिकार दिया जाय कि वे देखें कि जितने राजकीय नलकूप हैं, उनको सिंचाई के लिये ठीक ढंग से बिजली मिल पा रही है अथवा नहीं । आज हमारे ट्यूबवेल्स से करोड़ों रुपये का नुक्सान हो रहा है । इस पर हमें विचार करना चाहिये ।

साथ ही साथ जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल्स हैं, उनके लिये किसानों को एनर्जी देने का जो प्रबन्ध है उसमें क्या कमी है । आज सारे प्रदेश के जिलों से शिकायतें आती हैं । उनको बिजली देने में प्राथमिकता का क्या तरीका है ? आज इन सब कमियों के कारण प्रदेश क प्रशासन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को बहुत बदनाम होना पड़ता है इसका जो दूसरा पहलू है वह यह है कि हमने जो ट्यूबवेल्स को बिजली देने का प्राविधान किया है, उसमें एक एनार्की सी हो रही है। इस मामले में हमें देखना चाहिये कि कहां कहां कितने ट्यूबवेल्स हैं और कितना-कितना लोड उपलब्ध है। लोड के अनुसार से ट्यूबवेल लगाये जायं, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। एक ओर तो लैंड डेवलपमेंट बोर्ड है जो उधार देता है। ग्रिड बना नहीं, ट्रान्समिशन लाइन्स फैली नहीं कि वहां इतना लौड जा सके। यह होता है कि किसी जिले में पावर लोड तो कम जा सकता है लेकिन लैंड डेवलपमेंट बोर्ड लोन दे देता है। कोई इन्फास्टक्चर ढ़ांचा नहीं बना हुआ है। ट्यूबवेल्स बनवा दिये जाते हैं और ट्रान्समीशन लाइन्स ५-५ साल तक नहीं बना पाती है। मैं समझता हूं कि इन ट्यूबवेल्स और पंपिंग सेट्स को लोन देने वाली अथोरिटी है, उसमें और बिजली के लोड को देने वाले और ट्रान्शमिशन लाइन्स के लगाने वाले विभाग में तालमेल होना चाहिये। विद्युत विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग में तालमेल होना चाहिये ताकि पावर डिपार्टमेंट बता सके कि यहां यहां पर इतना लोड दे सकेंगे और उसी आधार पर लोनिंग होना चाहिये नहीं तो जो ऐसे ट्यूबवेल्स हैं, उनके मालिकों को स्पष्टोक्ति होनी चाहिये कि जब तक बिजली का प्रबन्ध नहीं होगा, उन्हें डीजल से चलाना होगा।

इस सम्बन्ध में दुर्भाग्य की यह बात रही है कि हमारी जो भोपाल में हेवी इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी है, जितना सामान उनसे मंगाया जाता है, वे नहीं दे पाते हैं, यह इसलिये भी है कि वह अभी-अभी चली है। सामान न मिलने की बहुत बड़ी बौटलनेक है लेकिन कन्डक्टर जैसी चीज के लिये पूछने पर मालूम हुआ कि कलकत्ते की फर्म को आर्डर दिया गया लेकिन नहीं मिला। मैं जानता हूं कि कितनी फर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया गया मैं चाहूंगा कि कन्डक्टर और जिनके वायर के बारे में हम कलकत्ते की फर्म्स पर निर्भर न करें और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वह हमारी जितनी छोटी-छोटी एक्सेसरीज हैं, उनको अपनी फैक्ट्रीज खड़ी करके यहीं पर बनायें। वह समय आ गया है कि इतने बड़े राज्य में कलकत्ता और बम्बई की सप्लाई पर हम मुनस्सर न करें और कन्डक्टर न होने की वजह से हमारी लाइनें फेल हो जायं, इसपर विचार करना है।

एक बात और बड़े महत्व की है कि ग्रामों में जहां-जहां बिजली लगी है उनमें से ६० प्रतिशत गांवों में केवल पोल खड़े हैं, बिजली के बल्ब नहीं है। वे कहते हैं कि ग्राम सभाओं से एग्रीमेन्ट नहीं लिया गया इसलिये खाली पोल खड़े हैं, बिजली के बल्ब नहीं हैं। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है परन्तु मेरी निजी जानकारी है कि इसकी व्यवस्था विद्युत् बोर्ड नहीं कर पाया है।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये मीटिंग बुलाई जानी चाहिये। ग्राम सभाओं के सभापतियों से कहा जाता है कि तुम हेडक्वार्टर्स पर जाकर सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के यहां से फार्म भर आओ। पच्चीसों फार्म हैं। वे बेचारे कहां भरें, कहां जायं। ब्लाक के हेडक्वार्टर्स में जहां मीटिंग होती है वहां इंजीनियर जाय और फार्म भरवा लें।

श्री उपाध्यक्ष—

फार्म किस भाषा में है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

अंग्रेजी में होंगे, महोदय,।

माननीय विधायकों ने जो दिक्कतें बताई हैं उनमें फार्म भरने की दिक्कत है। जिनके फार्म भरे भी गये हैं उनको बिजली के बल्ब नहीं मिले। मेन्टीनेन्स का इन्तजाम नहीं है।

नतीजा यह है कि ग्रामों में ट्रलेक्ट्रिसीफिकेशन कागजों में हो गया है। जो बिजली लगनी है वह नहीं लगी है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता को जो शिकायतें हैं वे दूर होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैंने यह देखा कि विद्युत् परिषद् का जो हिसाब किताब है इसके सम्बन्ध में भी कुछ अधिक देखना जरूरी है। जो राज्य सरकार व्याज लेती है और जो हिसाब किताब है उसका लेखा जोखा ही नहीं हुआ है। एकाउन्टेन्ट जनरल की आडिट रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि डैप्रिशिएशन की जो वैल्यू है उसका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है। बोर्ड ने जो तय किया था उसके आधार पर राज्य सरकर और बोर्ड के बीच में यह अभी तक तय नहीं हुआ है जिसका नतीजा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो बैलेन्स शीट है वह घाटे में रहती है। बोर्ड की बैलेन्स शीट में ८७ करोड़ के लगभग घाटा है। मेरे पास उतनी सुविधा तो नहीं है जितनी माननीय मंत्री के पास है। आज तक हमारे पास यह भी आधार नहीं है कि बोर्ड को जो इतना घाटा है वह वास्तविक है या अवास्तविक। इसके सम्बन्ध में जो सिद्धांत हैं उनका निर्धारण होना चाहिये। जो राज्य की परिसम्पत्तियां हैं उनका लेखा-जोखा होना चाहिये और उसके आधार पर ही निर्धारण होना चाहिये। हमने बोर्ड को कर्ज लेने का अधिकार दे दिया। लेकिन जब बोर्ड मार्केट में जाता है तो लोग बैलेन्स शीट देखते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ जगह बात करने का सौभाग्य हुआ। जब मैं बम्बई गया और वहां के फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो कामर्शियल आधार पर देंगे। आपकी बोर्ड की हालत ऐसी नहीं है कि हम इससे ज्यादा दे सकें। यह उन्होंने इन्डायरेक्टली कहा। तो अगर हमारी बैलेन्स शीट ठीक होती है, नुकसान का प्रतिशत कम होता है, तो उससे लोन मिलने में कठिनाई नहीं होती है। एल० आई० सी० ही एक साल में ५० करोड़ रुपया कर्ज दे सकती है अगर हमारी व्यवस्था ठीक हो। इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन जो बम्बई में है वह भी इतना कर्ज दे सकता है। उसने अकेले पटना में पचासियों करोड़ का कर्ज दे रखा है। इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन भी ५० करोड़ नहीं १०० करोड़ रुपया दे सकता है। मगर वह कहता है कि हमारे सामने अच्छी अच्छी स्कीमें आना चाहिये आज जरूरत इस बात की है कि अच्छी स्कीमें बननी चाहिये, डिजाइन विभाग मजबूत होना चाहिये बैलेन्सशीट के उसूल ठीक होने चाहिए जब यह सब आप करेंगे इसकी व्यवस्था को आप सुधारेंगे, विद्युत बोर्ड को शक्तिशाली बनायेंगे उसके संगठन में सुधार करेंगे, तभी उसको आसानी से कर्ज मिल सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं, लेकिन इसके खर्च करने आदि के जो तरीके हैं उनका तथा उसके ढांचे का मैं विरोध करता हूं। उसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

*श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं साथ ही माननीय सदस्य, नैनीताल ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो सुझाव दिये हैं उन पर, मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये। यहां यह भी देखने को मिला है कि एक माननीय सदस्य का किस तरह रूप बदलता है। जब वे सरकार में रहते हैं तो कहते हैं कि सरकार के साधन सीमित हैं, सरकार के सामने यह कठिनाइयां हैं, और जब वे विरोध पक्ष में बैठते हैं तो दूसरी ही बातें कहते हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर जो यह नेता लोग बैठे हैं ये हीरे हैं सब, लेकिन इस प्रान्त में जहां से गंगा जमुना जैसी अनेको नदियां निकलती हैं, उसका इनसे भला होने वाला नहीं है। मानसिक विकास तो हुआ है, किताबों में तो विकास वास्तविक विकास नहीं हुआ है। टेहरी जिले में टेहरी डैम के कारण बुरा असर पड़ रहा है। वहां के विकास की हर योजना यह कह कर टाल दी जाती है कि वहां तो टेहरी डैम बन रहा है। हम को यह भी नहीं मालूम कि वहां पर यह डैम की कोई योजना है भी या नहीं। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर अपने विचार प्रकट करें। दूसरी चीज यह है कि टिहरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रमणी]

गढ़वाल में इतनी छोटी योजनायें बन सकती हैं, कि १०–१०, २०–२० हजार रुपये खर्च करके चार पांच गांवों को बिजली दी जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रुपया आप दे रहे हैं क्या उसका सरकार सही उपयोग कर रही है या नहीं। श्रीमन्, हमारे यहां कई योजनाएं ली गई हैं। पौड़ी गढ़वाल में गेंरोखेड़ा है, वहां के लिए सरकार ने कई विकास की योजनाएं ली हैं, लेकिन बिजली के विषय में उसने सोचा नहीं है, जब मालूम किया गया तो बताया गया कि २–३ महीने में बिजली वहां तैयार होगी, फिर भी अभी तक वह तैयार नहीं हुई है। रामगढ़ की योजना ठप पड़ी है। जो रुपया इनको दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है या नहीं, यह चीज गौर से देखने की है। टिहरी की बिजली ऋषीकेश से दी जायगी, जबकि वहां ही बिजली पैदा करके दी जा सकती है। इनका प्लान जो मैंने देखा, उसके देखने से मालूम हुआ कि इस प्लान के बनते समय उसका कोई निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। मंत्री जी इस बात को देखें कि जो रुपया अपने सीमित साधनों के होते हुए मिल रहा है, उसका सही उपयोग होता है या नहीं। पर्वतीय जिले में एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए, जिसमें इर्रीगेशन और बिजली का कार्य साथ साथ लें। आज स्थिति यह है कि जो कार्य होना होता है, उसके बारे में बिजली वाले कहते हैं कि यह इर्रीगेशन वालों का काम है और ईर्रीगेशन वाले कहते हैं कि यह बिजली वालों का काम है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है।

यह भी आवश्यक है कि जो बिजली हम उत्पन्न करते हैं उसका उपयोग सही कामों में और आवश्यकता के महत्वपूर्ण कामों में होना चाहिए। आज इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि मैदानी इलाके में जहां सिंचाई के दूसरे साधन हैं बिजली मिलती है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए छोटी सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पाती है। आप शहरों में सब कमरों के लिए बिजली दे सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए, लिफ्टिंग कैनाल्स के लिये आप बिजली नहीं दे सकते हैं। आज हरियाना के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध है, लेकिन यू० पी० जो अन्य प्रान्तों को बिजली दे सकता है और उससे अपनी आय के साधन बढ़ा सकता है, इस दिशा में आज बहुत पीछे हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस पर विचार करें कि बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कर्ज लेने की योजना है, बहुत हद तक अच्छी योजना है। हमारा देश विदेशों से लेता रहे और हम बाहर से या केन्द्र से लेते रहें। यदि विकास के लिए यह आवश्यक भी हो गया है तो चाहे गांव का किसान हो, या शहर का व्यक्ति हो, चाहे उद्योग लगाने वाला हो, हर एक की बिजली की मांग है। तब भी इस विभाग में घाटा है और कर्जे की बराबर जरूरत बढ़ती जा रही है। इस सवाल पर गम्भीरता पूर्वक सोचना है। यह बात सही है कि हमारे देश की जो योजनाएं बनीं उनमें आज तक सामंजस्य नहीं हुआ और उनके बनाने वाले जो रहे वह व्यावहारिक आदमी नहीं रहे। मैं यह निस्संकोच कह सकता हूं। अगर व्यावहारिक लोग होते तो हमारे प्रदेश का यह हाल नहीं होता। एक शोर था सामंजस्य करो विभागों का। बड़े विभागों का। बड़े सौभाग्य से सिंचाई और विद्युत् विभाग एक साथ रखे गये लेकिन मंत्रियों की तादाद बहुत बढ़ी एक विभाग के कई मंत्री कर दिये जायं तो भी शायद पूरे न पड़ें। विद्युत् विभाग और सिंचाई विभाग एक ही मंत्री को दिया जाता तो कहीं अच्छा होता। जब भी ये दोनों विभाग मिले काम थोड़ा बहुत हुआ। अलग कर दिये गये सामंजस्य नहीं हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तिवारी जी कह रहे थे कि सामान नहीं मिल रहा है। मैं पहले भोपाल गया था। वहां ट्रांस्फार्मर बन रहे हैं। वहां के बड़े अफसरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने चाहो जब चाहो, और जिस साइज का चाहो, हम देने को तैयार हैं। मैं बिजली मंत्री जी जानना चाहूंगा कि भोपाल कम्पनी से कब-कब कितने ट्रांस्फार्मर मांगे गये थे और कब इन्कार किया। जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कोई आर्डर हमने उत्तर प्रदेश का नहीं लौटाया। मैं जानना चाहूंगा कि कब कब किन किन कम्पनियों को आर्डर भेजे गये और कब इन्कार किया और क्यों इन्कार किया। यह सामान मिलने का बहाना उतना सही नहीं है जितना यहां कह दिया जाता है सामान लिया नहीं जाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि इन योजनाओं का सामंजस्य नहीं है। जमुना स्कीम कितने दिनों से बन रही है। हमारी योजनाओं की गति-विधियों में तेजी नहीं आती। हम फाइल पर फाइल लिखते चले जायं मौके पर देखे नहीं, जमुना स्कीम का बहुत पहले उद्घाटन जवाहरलाल जी ने किया था, १९४८-४९ में कर दिया था। उद्घाटन प्रदर्शन के लिए कर दिया गया और हम लोगों से कह दिया गया कि अब आयी जमुना स्कीम। हमने हर दफा वादा किया कि हम जल्दी बिजली देंगे। जमुना स्कीम थोड़ी बहुत चालू हुई पूर्ण रूप से अब भी पूरी नहीं हुई। जमुना स्कीम पर तेजी से काम नहीं किया गया। तिवारी जी ने अनेक योजनायें ऐसी गिनाईं, हमारे प्रदेश में अणु विद्युत् योजना की बात चली। यह कहा गया कि बुलन्दशहर के नगौरा गांव में वह लागू की जायगी। मैं निश्चित जवाब चाहूंगा कि वह योजना प्रदेश को मिल सकी है या नहीं। अणु विद्युत् योजना जो हमारे प्रदेश को मिलनी चाहिए थी वह हम अब तक ले नहीं सके। बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और थोड़े दिन से और ज्यादा हो गया है जब से कुछ लोग इधर उधर जाने के बाद केन्द्र पर आक्षेप करने के आदी हो गये। हम कहते हैं कि केन्द्र ने मदद नहीं की। जब वह व्यक्ति कहता है कि केन्द्र ने मदद नहीं की जो हमेशा सरकार में रहा हो, यह हमेशा मुख्य मन्त्री रहा हो तो बहुत दिन तक वह केन्द्र का बहाना लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। केन्द्र के बहाने से प्रदेश के विकास को नहीं रोक सकते। अणु विद्युत योजना जो नरौरा में होने वाली है, पूर्ण रूप से मंजूर है या नहीं, मैं जानना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी योजनायें हैं चाहे वह रामगंगा की हो या दूसरी योजना हो इनका कार्य संचालन और सुपरविजन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो जाय तो बड़ा काम हो सकता है। बड़ौनीजी अभी कह रहे थे कि पहाड़ों पर बहुत सी बिजली बन सकती है, यह ठीक है। हम बिजली के मामले में भी बहुत पिछड़ गये हैं और कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं परन्तु विभाग उपयोगी है इसलिये हम कर्जे लेने के लिये समर्थन कर रहे हैं हालांकि ऐसा करना अच्छा नहीं है।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि इस मुहकमें ने किसानों के साथ विद्रोह कर रक्खा है और वह गैर पढ़े लिखे किसानों का बिल गलत बनाता है। इसको कोई जांचने वाला नहीं है। किसान की बिजली दिन में बन्द कर दी जाती है। ऐसा करना ठीक नहीं है। कारखानें तो रात में भी चल सकते है तो उनको दिन में बिजली न देकर रात में बिजली दी जानी जाहिये और किसानों को बिजली दिन में मिलना चाहिये। ऐसा न करना पक्षपात की बात है। किसान की बिजली दिन में ही नहीं रात में भी अक्सर बन्द रहती है अगर वह इन्सपेक्टर या कर्मचारी का कुछ बांध न दे। मैंने तो देखा है कि शादी के मौके पर यदि कर्मचारी को कुछ मिल नहीं जाता है जो बिजली बन्द कर दी जाती है और शिकायत करने पर भी जांच नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय इस पर सोचने की बात है। मैं एक दिन जिलाधीश के पास इस सम्बन्ध में शिकायत करने गया तो उन्होंने मेरी बात सुनने के पहले कहा कि मेरा बिल भी गलत आया है और उन्होंने कहा कि यह बिल मुझे इतनी लड़ाई के बाद ठीक कराना पड़ा। तो केवल किसान का ही बिल गलत

[श्री राम चन्द्र विकल]

नहीं बनता है, जिलाधीश का बिल भी गलत बनता है और इसको कोई जांचने वाला नहीं है। मेरा तो कहना है कि इस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। नम्बर लगता है और फिर पता नहीं कि क्या हो जाता है कि वह कट जाता है। हमको योजना बनानी चाहिये कि हम खेत के लिये बिजली पहले दें। खेत पर बिजली देंगे तभी तो किसानों को पैदावार बढ़ेगी। यदि पैदावार बढ़ेगी तो उसको खुशी होगी और उससे उजाला हो जावेगा। तो बिजली के मामले में प्राथमिकता खेत को दी जानी चाहिये। मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है और किसान को परेशान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो दरें अभी बढ़ाई गई है उनकी कोई सीमा नहीं रही है। कहा जाता है कि सस्ती बिजली बनेगी, सस्ती सिंचाई होगी, तो जो सिंचाई की दरें बढ़ा दी गई हैं उनको कम किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्युत् विभाग के कर्मचारियों को सचेत किया जाना चाहिये कि वह व्यावहारिक रूप से जांच करे चाहे वह प्राइवेट नलकूप हो या चाहे सरकारी नलकूप हो। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि सभी जगह ट्रान्सफारमर्स बहुत चोरी जा रहे हैं। यदि इसमें सच्चाई है तो विद्युत् मंत्री जी हां करें। ('हां' की कई आवाजें आयीं) ट्रान्सफारमर्स चोरी जा रहे है इसकी हां कर ली। ट्रान्सफारमर्स की चोरी में विभागीय कर्मचारी साझीदार हैं इस पर भी हां करें। ('हां' की अवाजें आयीं) उपाध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा था कि विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग भी ट्रान्सफारमर्स की चोरी में शरीक है। कितनी गिरफ्तारी हुई, कितनी पकड़ हुई? इन चोरियों से सारा प्रदेश का किसान परेशान है। इसकी बड़ी सख्ती से जांच करायें। जो अपराधी हैं उन्हें दंड दें। उपाध्यक्ष महोदय, एक और नई बात हो गयी कि चाहे सरकारी ट्यूवैल का ट्रान्सफारमर चोरी जाय या प्राइवेट ट्यूववैल का चोरी जाय उसके लगाने का दाम किसान से वसूल किया जा रहा है। हो सकता है यह भी हो कि सरकार से पैसा मिलता हो लेकिन तब भी किसानों से वसूल किया जाता हो। उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने कहा यह बहुत उपयोगी विभाग है लेकिन इसको संभालना चाहिये। जो शिकायतें है उनका समाधान होना चाहिये और व्यवहारिक योजनाएं बननी चाहिये। मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह आवश्यकीय विभाग भी घाटे में चले। हमें घाटे की योजनाएं बहुत देर तक नहीं चलानी चाहिये। चोरी कहां हो रही है, लापरवाही कहां हो रही है, पैसा का कहां सदुपयोग नहीं हो रहा है, इन बातों की जांच की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ इसमें जो ऋण बढ़ाने की बात है उससे तो सहमति प्रकट नहीं करता लेकिन यह चाहता हूं कि जो शिकायतें है उनका समाधान होना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी इस विभाग की चाबी को सख्ती से घुमायेंगे यद्यपि मैं जानता हूं कि उनका स्वाभाव नर्म है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय सदस्यों की इस विषय में इतनी अभिरूचि है यदि मैं जानता तो खड़ा ही न होता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय चूंकि आपने मुझे पुकार दिया इसलिये आपकी आज्ञा का पालन करना है। मैं बहुत थोड़ा सा समय लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के ऊपर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जब से हमारा देश स्वाधीन हुआ है तब से हम राजनैतिक प्रश्नों को हल करने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़े है। आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि हमारे उद्योग-धन्धे बढ़ें चाहे वे खेतीबाडी के हों अथवा इन्डस्ट्रीज के हों। इन दोंनों ही धन्धों के विकास के लिये बिजली आवश्यक है। आज जो ५० करोड़ रुपये का ऋण १०० करोड़ तक बढ़ाने की मांग की गई है वह इस बात की द्योतक है कि हमारा जो कदम इस ओर आगे बढ़ा है वह विकास की दिशा में है। मान्यवर, मैं इसका समर्थन करता हूं और यह कहना चहता हूं कि यह कहना बिल्कुल ही न्यायसंगत न होगा कि हम बिजली के विकास में कछ उन्नति ही नहीं कर सकें।

हमारे सामने बैठे हुये गुरुजी पंडित कमलापति जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वह एक सुयोग्य राजनीतिक नेता और मंत्री रहे हैं। मैं सन् १९५२ में यहां आया था उस समय उनके हाथ में सिंचाई और बिजली विभाग था और काफी दिनों तक उन्होंने इस विभाग को चलाया और दिन प्रति दिन इस विभाग में उन्नति हुई। माननीय सदस्य नैनीताल ने बहुत से सुझाव दिये और प्रस्ताव का समर्थन भी किया। उन्होंने शिकायत की कि गांव सभाओं में बिजली के बल्वस नहीं लगाये गये हैं। वह फाइनेन्स मिनिस्टर भी थे और वह एक सुयोग्य सदस्य हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या बोल रहे थे। जहां तक कि मेरी जानकारी है मैं यह जानता हूं कि बिजली विभाग से इस काम का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि बल्वस आदि को लगाने का काम गांव सभाएं नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कारपोरेशन करती हैं और इस काम पर वे ही अपना पैसा खर्च करती हैं। जब गांव सभायें ही इसके लिये उदासीन हैं तो उसमें बिजली विभाग का क्या दोष हो सकता है।

मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा, जैसा कि विकल जी ने कहा कि यह महकमा घाटे का महकमा है और अधिक ऋण का लिया जाना कोई अच्छी चीज नहीं है। यह ठीक है कि किसी भी विभाग पर अधिक ऋण का लादना कोई अच्छी बात नहीं है परन्तु कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कामर्शियल टाइप के होते हैं और उनमें धन का लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम गांव गांव में बिजली पहुंचाना चाहेंगे तो यह तो निश्चित है कि उसका लाभ भी हमको अवश्य मिलेगा तो फिर इसका विस्तार करने में अगर ऋण न लिया जाय तो पैसा और आयेगा कहां से? जहां तक घाटे का प्रश्न है यह ठीक है कि वह नहीं होना चाहिये। घाटा जो विकास के लिये होता है अथवा जो छूट के रूप में होता है अर्थात् उसमें अधिक पैसा लगा कर कम पैसा लिया जाता है वह तो मुनासिब है परन्तु जहां पर ऐसा नहीं होता वहां पर घाटा नहीं होना चाहिए। बोर्ड यद्यपि आटोनामस है लेकिन सरकार का किसी न किसी रूप में उसके ऊपर नियंत्रण तो है ही। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि कहीं पर इस प्रकार का घाटा हो तो उसकी जांच की जानी चाहिये। अल्मोनियम का तार तांबे के तार के मुकाबिले सस्ता होता है और अक्सर तांबे के तारों की चोरी हो जाया करती है और चोरी का कोई पता भी नहीं चलता। इसमें जो जांच की गई है इस बात का पता चला है कि कर्मचारी ही मिल कर तांबे के तारों को कटवाते हैं क्योंकि ग्रामीण जनता तो बिजली के खम्भों के पास भी जाना ठीक नहीं समझती वह उससे डरती है। मैं आपको बहराइच की बात बताऊं क्योंकि यह तो अखबारों में भी आ चुका है और विभाग को भी इसका पता होगा। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा। बिजली विभाग के एक अधिकारी थे और उन्हीं के सहयोग से ५ लाख रुपयों का गबन हो गया। ऐसे भी मीटर्स मिले हैं जिन पर बिजली अनाप सनाप ली जाती थी और उनका भुगतान तक नहीं होता था। जो तार चोरी हुये वे गल गये और न मालूम किस प्रयोग में आ गये? मैंने भी इसकी शिकायत लिख कर दी थी। पुलिस ने भी जांच की परन्तु पता नहीं चला कि उस पर क्या हुआ। मैं इसका दोष उस समय जो सरकार में थे उन पर भी नहीं देता हूं और न इस सरकार पर ही देता हूं क्योंकि ये सरकारें तो बदला करती हैं परन्तु विभाग तो स्थायी है और उसको इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिये कि आखीर क्या कारण है कि इस प्रकार से विभाग की चीजें गायब हो जाती हैं। साथ ही इस पर कठोर कदम भी उठाने की आवश्यकता है।

स्टोर से लाखों रुपये का जो सामान गायब हो जाता है इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। जब उनका स्थानान्तरण हो जाता है तो उसको रुकवाने की चेष्टा की जाती है। यह जो स्थिति है इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। मान्यवर, जो सामान्य चर्चा का विषय बन जाता है वह एक अपवाद होता है। आज बोर्ड में जो सबसे बड़े सुप्रीम अध्यक्ष बैठाये गये हैं उनके प्रति भी जनता में आस्था सी नहीं है। तो इस प्रकार यदि जनता को किसी में आस्था नहीं है और फिर भी वह जिम्मेदार अधिकारी बैठे रहेंगे और सरकार अपनी आंखें बन्द किये रहेगी, तो यह काम कैसे चलेगा। चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी सरकार में थे ....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य ने एक अधिकारी के बारे में कहा है। जब वह इस विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो नाम बताने में क्या परेशानी है। डिपार्टमेंट का ओवरहालिंग कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नाम न बतावें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बसंत लाल शर्मा—

माननीय चेतराम जी को सब मालूम है, वह सब जानते हैं। मुझे कह कर के क्या लेना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारी कहीं रहा हो, और उसको किसी विभाग से भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया गया हो, जिसके खिलाफ फाइलें गन्दी हों, उसे बुला कर जिम्मेदारी डाल दी जाय तो हम आशा नहीं कर सकते कि वह विभाग अच्छी तरह से चलेगा और वहां गबन नहीं होंगे तथा जो ऋण आप दे रहे हैं उसका सदुपयोग हो सकेगा। तो मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये जो बिजली उत्पन्न की जाती है उस बिजली का सदुपयोग होना चाहिये। किसानों को सस्ती बिजली देनी चाहिये और अधिक से अधिक लागत लगाने के लिये सरकार को तैयार रहना चाहिये—चाहे शुरू में १००, १५० या २०० करोड़ रुपया क्यों न लगाना पड़े, उसको दिया जाय। लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिये। आज आप बड़े बड़े कारखानों व बड़ी बड़ी कम्पनी के लिये सस्ती बिजली योजनायें बना रहे हैं, लेकिन जब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली के साधन सिंचाई के लिये खेती के लिये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं करायेंगे और गांव गांव में बिजली नहीं देंगे तो खेती की तरक्की नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से यह आशा करते हुये कि जो भ्रष्टाचार और गबन इसके भीतर होता है, उसका निराकरण करते हुये अधिक से अधिक पैसा देने की योजनायें बनायेगी, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो ऋण की आवश्यकता को समझते हुये मांग प्रस्तुत की है वह प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने अपने विचारों को व्यक्त किया, श्रीमन् मुझे भी आपके द्वारा कुछ निवेदन करना है। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने तीन क्षेत्रों के बारे में—पूर्वी—झांसी डिवीजन और पहाड़ी क्षेत्र पर विचार जाहिर किया, यह काफी पिछड़े हुये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय विद्युत् मंत्री जी से इन पिछड़े हुये क्षेत्रों की बिजली की आवश्यकता को देखते हुये, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के विकास के युग में २—३ चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहली चीज सड़क का होना, बिजली का होना, वैज्ञानिक शिक्षा का होना तथा स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा बस्ती जिले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि माननीय विद्युत् मंत्री जी ने बस्ती जिले को न देखा हो, लेकिन बहुत से कैबीनेट के मंत्रीगण बस्ती, गोरखपुर डिवीजन और बनारस से काफी परिचित हैं। इस जिलेके अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जो कि नदी और नालों से घिरे हुये हैं। सड़कें वहां हैं नहीं, नदियों पर पुल नहीं है और बिजली विभाग भी उधर ध्यान नहीं दे रही है। आज के युग में हर एक आदमी विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहा है लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल असफल रही है। हम अभी अपने क्षेत्र से लौट कर आये हैं। हमने देखा कि जो बिजली के स्टेशन बने हैं उनसे ६ घंटे बिजली इधर दी जाती है और ६ घंटे उधर दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि खेत में पानी चल रहा है तो बीच में ही बिजली बन्द हो जाती है और उसकी सिंचाई रुक जाती है। इससे किसानों का नुकसान हो जाता है। इस तरह से यदि किया जायगा तो किस तरह से उनका उद्धार होगा और किस तरह से बिजली की कमी को दूर कर सकेंगे।

हमारे यहां बहुत सी योजनायें बनती हैं वे बाद में अधूरी ही रह जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि जब किसी योजना के बन्द होने की खबर किसानों को मिलती है तो उनकी भावना बहुत बुरी बनती है। जो लोग उन क्षेत्रों के रहने वाले हैं उनके ऊपर इसका भार आकर पड़ता है। सरजू केनाल योजना आई लेकिन बाद को वह कट गई। बाद को कहा गया कि नलकूप लगेंगे लेकिन वह भी नहीं लगे। इसी तरह से पावर हाउस की योजना बनी लेकिन वह भी बाद को जाकर ठप्प हो गई। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा अगर खेती का उत्थान चाहते हैं और प्रदेश से गरीबी मिटाना चाहते हैं तो आपको योजनायें चालू करनी होंगी। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर न कोई बड़ा उद्योग है, न छोटा उद्योग है और न वहां पर बिजली लगाने का ही ध्यान सरकार ने दिया ह। मुख्य मंत्री जी ने बताया कि पहाड़ी जिले झांसी और बनारस डिवीजन बहुत पिछड़े हुये हैं मगर वहां पर अभी तक क्या किया गया है। हरियाणा के लिये हमने पढ़ा था कि वहां पर आखिरी गांव में बिजली अब लग गई है। इसका मतलब यह है कि वहां पर हर एक गांव में बिजली लग गई है। यहां पर बडे बड़े मठाधीश बैठे हैं जो सरकार में रहे हैं लेकिन प्रदेश के लिये क्या किया? जब से यह सरकार बनी है तब से इस सरकार ने उन पिछड़े इलाकों के लिये क्या किया? कहा जाता है कि सेन्टर ने उपेक्षा की। मैं कहता हूं कि आपकी क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी? आप सरकार को चलाने वाले मुख्य थे लेकिन इन्दिरा गांधी को बदनाम करने के लिये इस तरह से सेन्टर पर दोष लगाते हैं। आपने जब भी मांग की तो वहां से रुपया दिया गया। प्रदेश में लखनऊ और मेरठ जैसे ऐसे जिले हैं जहां पर सारा रुपया खर्च किया गया है। बिजनौर को आप देख लें कि किस तरह से वहां पर नलकूप लगाये गये हैं। यही हालत मेरठ की भी है। क्या पूर्वी इलाके के रहने वाले लोग इस प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या बस्ती के रहने वाले लोग इस प्रदेश के निवासी नहीं हैं? क्या गोरखपुर डिवीजन और बाराणसी डिवीजन इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या झांसी डिवीजन के रहने वाले लोग इस प्रदेश में नहीं रहते हैं? क्या वे लोग इस प्रदेश के लिये टैक्स नहीं देते हैं? जहां छोटे किसानों के लिये भी कुछ नहीं किया गया है। आपने पक्षपात किया है। इस प्रकार से पक्षपात करके इस प्रदेश को और गर्त में आप गिराते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है जिनके हाथ में इस प्रदेश का शासन रहा है। आज इन्दिरा गांधी जी को दोष दिया जाता है और उनको गाली दी जाती है कि इस प्रदेश की गरीबी मिटाना उनके हाथ में था? मेरा निवेदन है कि वह तो इस देश और प्रदेश की गरीबी को मिटाना चाहती हैं और इस देश का उत्थान करना चाहती हैं मगर इस प्रदेश के शासन को हाथ में लेकर जो लोग निकम्मेपन के साथ बैठे रहे उनके कारण ही यह प्रदेश पिछड़ा रह गया और यहां की गरीबी मिट नहीं सकी।

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे सेन्टर में बहुत दिनों तक रहे हैं और आयोग में भी रह चुके हैं। वह इस प्रकार का प्रयास करने की कृपा करें जिससे इस प्रदेश के पिछड़े इलाकों का उत्थान हो और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके और इस प्रदेश की गरीबी हर तरह से दूर हो सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऋण के लिये जो संकल्प लाया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और उस पर व्यय भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सदन के सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं—माननीय मंत्री जी चाहें तो उसका खंडन कर दें—कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस हिसाब से बिजली बन रही है उसको देखते हुए १९८० तक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ब्लैक आउट हो जायगा। बिजली की इतनी कमी हो जायगी कि चाहे उद्योग धंधे हों, खेती की परियोजनायें हों अथवा घरेलू दिन प्रति दिन की आवश्यकतायें हों उनके लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो सकेगी। हम पिछली सरकारों पर दोषारोपण कर

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

सकते हैं लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारी सारी योजनायें बिजली पर निर्भर हैं। मुझे जमुना योजना देखने का अवसर मिला। वहां पर स्टेजेज से काम हो रहा है। जिस गति से काम हो रहा है अगर उसी गति से काम चलता रहा तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि बिजली की जो दरें हैं वे बहुत अधिक हैं। डोमेस्टिक परपज के लिये बिजली की दर ३५, ३७ पैसे प्रति यूनिट जगह जगह मिलती है। इसी हिसाब से बिजली के मिनिमम रेट पावर में ८ रुपये प्रति हार्स पावर तथा डोमेस्टिक पावर के लिये ३ रुपये प्रति माह हैं। यदि ये रेट चलते रहे तो जनसाधारण का कल्याण नहीं हो सकेगा, हरियाना मेंआज गांव गांव व घर घर बिजली पहुंच गयी है जिसके लिये वहां की सरकार बधाई की पात्र है जबकि हमारे गांवों में, शहर की गलियों में अन्धेरा है। शहरों में हरिजनों तथा गरीबों की बस्तियों में बिजली दिखाई नहीं देती। इसके अलावा प्रति दिन ब्रेकडाउन्स होते हैं। जिस नगर से मैं निर्वाचित हो कर आया हूं अगर दो तीन घंटे ऋषिकेश में बिजली फेल हो जाय तो एंटीबायटिक्स का जो कारखाना है उसमें १ घंटे में लाखों रुपये का नुकसान हो जायगा। इसी तरह के अन्य जो कारखाने है उनमें भी लाखों रुपये का नुकसान हो जायगा। जो चीज तैयार की जाती है, जो चीज प्रोसेस के अन्दर है वह बिजली फेल होने से वहीं रुक जाती है और सारा माल खराब हो जाता है। बिजली की कमी होने से लोड मशीने वहन नहीं कर पाती हैं जिससे ब्रेकडाउन्स होते हैं, लेकिन यह एक्सपर्ट्स के विचार करने की बात है। फिर भी यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिजली के सम्बन्ध में हमको बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमको प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचानी है। आप ऋण की मांग कर रहे हैं, वह आपको मिलना चाहिये, मैंने उसका अनुमोदन भी किया है लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जिससे हर गली में रोशनी हो, बिजली की दर कम हो, ब्रेकडाउन्स न हों और मिनिमम रेट्स की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये।

जैसा कि पहले मैंने संकेत किया था कि हमारे सामन ऐसी समस्या आने वाली है कि जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपको स्मरण होगा कि २५ अगस्त १९७० को बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। अपनी मांगों के समर्थन मे उन लोगों ने यह हड़ताल की थी। वे चाहते हैं कि उन्हें जो न्यूनतम वेतन दिया जाय, उसी के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाय, उनकी नौकरी का स्थायीकरण किया जाय, उनकी प्रति दिन की सेवा की शर्तें सही हों। यह सब मांगें उनकी जायज हैं। २५ अगस्त की हड़ताल से इस प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारी जेल की सिकचों के अन्दर डाल दिये गये। आज भी मुझे यह कहते हुये दुख है कि २० अक्तूबर, १९७० को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की घोषणा हो जाने के बाद और कर्मचारियों के बारे में वायदा करने के बाद भी आजतक कर्मचारियों के सब मामले वापस नहीं लिये गये। उन्हें तत्काल वापस होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के कर्मचारी हैं जिनको अभी तक री–इंस्टेट नहीं किया गया है। उनको नौकरी से बाहर किया गया था किन्तु उन्हें अभीतक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है। उन्हें शीघ्र ही नौकरी पर वापस लिया जाय।

ऋण बढ़ाने की बात कही जाती है और इसके लिये प्रस्ताव करना चाहते हैं किन्तु जो बिजली कर्मचारी है और विशेषतौर से चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है वह काम करते वक्त अपनी मौत के साथ खेलता है। बिजली के खम्भें में चढ़कर अपना हाथ आग में झुलस देता है और अपनी जिन्दगी के साथ खिलावाड़ करता है और यदि दो समय रोटी के लिये वह मांग करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। तो यह हमारा और सरकार का कर्त्तव्य है कि उनकी ओर भी ध्यान दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाते हुये सरकार तत्काल आदेश दे कि उन कर्मचारियों की मांग उचित है, उनके ऊपर जो मुकदमें चलाये जा रहे हैं उनको वापस ले और २५ अगस्त वाली हड़ताल के जितने कर्मचारी विक्टमाइज हुये हैं

उनको वापस लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय बिजली मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की बिजली की समस्या के ऊपर गम्भीरता से विचार करें। मुझे आशा है कि इस प्रदेश के बिजली के मंत्री श्री शांति प्रसाद जी हैं, वे एक वरिष्ठ आदमी हैं और बड़े योग्य व्यक्ति हैं। वे इस पर बड़े अच्छे सुझाव दे सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ऋण देने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध करे। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस ऋण देने के अधिकार देने से बुनियादी समस्या हल हो जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि यह बुनियादी समस्या हल नहीं हो सकती है जब तक कि आप कोई जांच आयोग गठित नहीं करते हैं एक नीति निर्धारित करने के बारे में। हकीकत यह है कि जो भी सरकार आज तक इस प्रदेश में रही है, चाहे वह इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों, किसी ने भी विद्युत् के बारे में कोई ठोस नीति निर्धारण का कार्यक्रम नहीं बनाया है। मान्यवर, १९४८ में कानून बना था विद्युत् परिषद् के गठन का। ११ साल तक कुछ नहीं हुआ। बैठे रहे। किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इस प्रदेश के जो कर्णधार हैं वे यह समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जो पूंजीपति बिजली के उद्योग में लगे हुये हैं उनको सरकार पैसा देकर शायद बिजली की समस्या हल कर सकें। करोड़ों रुपया लगाने के बावजूद भी सरकार अभी ऐसा नहीं कर सकी है आज प्रश्न यह नहीं है कि बिजली का उत्पादन कम हो रहा है किन्तु सवाल यह है कि जो प्लांटस हैं, जो कारखाने वगैरह हैं उनकी जो कार्यक्षमता है उत्पादन की, उसका ७ प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा है। हमारे जितने निर्माण-कार्य हैं, उनके पूरा करने का जो लक्ष्य है उसके अन्दर वे पूरे नहीं होते हैं। कोई भी निर्माण कार्य ऐसा नहीं है जो लक्ष्य के अन्दर पूरा किया जा रहा हो। किसी भी एक प्रोजेक्ट या परियोजना के बारे में जो निश्चित समय के अन्दर पूरी कर दी गई हो, उसका हमारे विद्युत् मंत्री जी कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं।

कारण क्या है? कारण यह है कि हकीकत में विद्युत् परिषद् का गठन तो कर दिया गया है लेकिन उसके पास अपनी पूंजी नहीं है। लोन के आधार पर वह कार्य कर रहा है। इसके पास पूंजी नहीं है इसलिये यह अपना कैपीटल एक्सपेंडीचर नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह कैसे अपना काम चला रहा है। सरकार से, एल० आई० सी० तथा बैंकों से लोन लेकर यह अपना काम चला रहा है। इसका ब्याज इस परिषद् को साढ़े सात परसेंट देना पड़ता है। दुनिया के अन्य मुल्कों में भी विद्युत् परिषद् का गठन है और वहां भी इसको कर्जा दिया जाता है। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क में साढ़े सात परसेंट का ब्याज इससे नहीं लिया जाता है। केवल दो परसेंट का ब्याज अधिक से अधिक लगाया जाता है।

हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बैंकों से तभी फायदा है जब इनका प्रयोग देश के आर्थिक प्रगति में किया जाय, देश की योजना में इनका पैसा खर्च किया जाय। मेरा सुझाव है कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है जो यह कर्जा सरकार को या किसी को दें तो इसके ऊपर केवल दो परसेंट ब्याज लिया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो घाटे का सवाल बराबर बना रहेगा। होता क्या है? होता यह है कि विद्युत् परिषद् यह घाटा अपने कर्मचारियों के ऊपर थोपता है जिसका जिक्र हमारे मित्र नित्यानन्द स्वामी जी ने किया है। इसके अलावा शहरों में तथा गांवों में जो गरीब उपभोक्ता हैं उनके ऊपर इसको थोपा जाता है।

मान्यवर, जहां तक बिजली की कास्ट आफ प्रोडक्शन का सवाल है तो थर्मल वाली पावर का प्रोडक्शन का खर्चा ७ पैसे पर यूनिट होता है और हाइडिल वाली का ५ पैसे प्रति यूनिट होता है। लेकिन गरीब कंज्यूमर्स को ३५ पैसे से लेकर ४० पैसे प्रति

[श्री गोविन्द सिंह]

यूनिट देना पड़ता है। हमारे देश की गरीब जनता को बिजली का ४० पैसा यूनिट देना पड़ता है जबकि माननीय बिड़ला जी को सरकार बिजली किस दर पर देती है। १.९९ प्रति यूनिट पर देती है जबकि हमारे यहां समाजवाद की बात की जाती है। दो पैसे भी पूरे नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आपकी क्या नीति है? कौन से वे कारण हैं जिनसे आप बिड़ला जी को बिजली दो पैसे प्रति यूनिट से भी कम पर देते हैं?

दुनिया भर में घरेलू उपयोग में तथा पावर की बिजली ली जाती है तो उसका अनुपात एक और दो का होता है। लेकिन हमारे यहां पर घरेलू बिजली और पावर की बिजली में एक और बीस का अनुपात है। मेरा निवेदन है कि अगर इस समस्या को हल करना है तो केवल ऋण देने के अधिकार देने से समस्या हल नहीं होगी। एक आयोग आपको गठित करना पड़ेगा और उसमें तमाम बुनियादी नीति संबंधी प्रश्नों को आपको उठाना पड़ेगा तब इस समस्या का हल हो सकता है।

कर्मचारियों के बारे में नित्यानन्द जी ने कहा है कि ३६० कर्मचारी ऐसे हैं जिसके बारे में पिछली २० तारीख को मुख्य मंत्री जी विधिवत् घोषणा कर चुके हैं कि मुकदमे वापस ले लेंगे लेकिन आजतक उस घोषणा पर अमल नहीं किया गया है। मुझे पता चला है कि मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में वह फाइल पड़ी हुई है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वह तमाम कर्मचारी, बावजूद इसके कि सरकार सिद्धान्ततः स्वीकार कर चुकी है कि उनको नौकरी पर रखा जायगा आज बेचारे दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।

पर्वतीय क्षेत्र के बारे में माननीय बड़ोनी जी ने एक प्रश्न रखा। माननीय विद्युत् मंत्रीजी का टेहरी गढ़वाल से निकट का सम्बन्ध है। वहां एक डैम बनाने का प्रस्ताव है मिलगा नदी के ऊपर। इस प्रस्ताव के बारे में लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन यह डैम कब बनेगा इसकी कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है। हालांकि सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन न तो इस योजना को प्रारम्भ ही किया जा रहा है और न यह ही पता है कि यह डैम बनेगा भी या नहीं इस योजना के नाम पर गंगा और मिलगना की घाटी में तमाम विकास का कार्य बन्द कर दिया गया है कि डैम बनने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस सदन में घोषणा करें कि क्या निकट भविष्य में इस डैम के बनने की कोई योजना है। अगर है तो इस डैम के अन्तर्गत आने वाले जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनके पुनर्वास के लिये आप आज से ही व्यवस्था कीजिये। अगर टेहरी का शहर उठाना है और निकटवर्ती गांव को उठाना पड़ेगा तो उनके पुनर्वास की आज से ही व्यवस्था करें।

दूसरे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोर के साथ पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बड़ी हमदर्दी की बात कही और साथ ही इन्दिरा जी पर भी दो-चार लगा दिये। इन्दिराजी की आप आलोचना करना चाहते हैं तो करिये, उनको गद्दी से हटाना चाहते हैं तो बेशक हटाइये, लेकिन यह जो आपका हमदर्दी का इजहार है पर्वतीय क्षेत्र के बारे में उसकी मिसाल आपको देना चाहता हूं कि अगर मौजूदा नीति रही तो वहां बिजली नहीं पहुंच सकती है बावजूद इसके कि हमारी गंगा और हमारी यमुना इस प्रदेश को ही नहीं बल्कि इस देश को बिजली दे रही हैं। आपने मापदंड रखा है कि १२० रुपये प्रति हार्स पावर के लिये गारंटी होनी चाहिये। अब अगर कोई छोटा-सा कारखाना उत्तर काशी में लगता है तो वह कहां से इतना पैसा जमा करेगा? आपने दूसरा मापदंड यह रखा है कि आप उन क्षेत्रों में बिजली देंगे जब वहां के उपभोक्ताओं से उस बिजली का पूरा खर्चा निकल सकेगा और उसके साथ कुछ ब्याज भी निकल सकेगा। पर्वतीय क्षेत्र जो इतना विशाल है और जहां की जन-संख्या इतनी कम है, जहां विकास के प्राकृतिक साधन मौजूद हैं, अगर आप इस मापदंड को इस क्षेत्र में रखेंगे तो उस क्षेत्र का क्या विकास होगा। अगर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में वास्तव में आपकी हमदर्दी है, अगर वहां के बारे में वास्तव में मुख्य मंत्री की हमदर्दी है जिसका इजहार उन्होंने किया, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन उसको अमल में लाकर दिखायें और जो वर्तमान नीति पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बनी है उसको बदल डालें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

सर्वप्रथम मैं माननीय तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनके भाषण से कम से कम सदन को यह तो पहचान आज हो गयी कि कितना इन्सान बदला है। जब तिवारी जी इस तरफ थे और जिन तथ्यों को उन्होंने उठाया उन्हीं प्रश्नों को जब हम उठाया करते थे तो तिवारी जी उन प्रश्नों को ठुकरा दिया करते थे। लेकिन आज तिवारी जी उन्हीं बातों की रट लगा रहे हैं। लेकिन मैं तिवारी जी और सदन का ध्यान एक नारे की तरफ खींचना चाहता हूं। सन् ६६-७० के चुनाव हो रहे थे और सुनहला नारा दिया गया कि हर खेत को पानी, हर गांव को बिजली। चुनाव बाद कांग्रेस की बिल्कुल शुद्ध सरकार बनी थी, नारायणदत्त तिवारी उसमें शामिल थे। जब हम लोगों ने कहा कि क्या हर गांव को बिजली मिलेगी, अपनी घोषणा की पूर्ति की जायगी तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता था कि नहीं..नहीं..नहीं। यह है तिवारी जी की शुद्ध सरकारों की स्कीम कि अपनी घोषणाओं से मुकर गये थे। आज हमारे मंत्री जी प्रस्ताव लाये हैं कि उसके लिए सौ करोड़ रुपये की जरूरत है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आजतक जनता की थाथी के साथ कुठाराघात ही हुआ है। चन्द रोज हुए हैं संविद की सरकार बने लेकिन लगता है जैसे सारे कुकर्म इस सरकार के हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जितनी गड़बड़ियां हुई है वह उस सरकार के जमाने में हुई हैं जिस सरकार में नारायणदत्त तिवारी थे, इस सरकार का काम नहीं है। इस नयी सरकार से जनता में आशा का संचार हुआ है।

अभी सदन के पटल पर सन् ६८-६९ का लेखा परीक्षण प्रस्तुत किया गया है उसमें आप देखें कि पैरा ४ में विद्युत् उपकरणों की खरीद के लिये बड़ी आपत्ति हुई है और इसी प्रकार की आपत्ति सन् ६७-६८ के पैरा ८ में, सन् ६६-६७ के पैरा ९ में और ६५-६६ के पैरा १० में हुई है। यानी सन ६५ से बराबर यह आलोचना होती रही लेकिन आजतक उन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, मंत्री जी इसे देखें, यह बड़ी गम्भीर बात है और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें कि जनता के पैसे का क्यों दुरुपयोग हो रहा है।

एक बात की ओर मैं और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम जो यहां कानून बनाते हैं उनको अमल में सरकारी कर्मचारी ही लाते हैं। आज उनका मन द्विविधा में पड़ा हुआ है और उसका एकमात्र कारण दलबदल की व्यवस्था है। उनको संदेह है कि यह सरकार स्थिर रहेगी या नहीं। इसलिये आप अधिकारियों पर सख्ती करें। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उच्चाधिकारी काफी भोगी और विलासी है और मदिरापान करते हैं, इसलिए उन पर खयाल रखें ताकि शेष जनता की जो मांग हैं वह पूरी हों। बलिया क्षेत्र का विधायक हूं। बलिया जिले में बिजली के तार का अभाव आज भी है। वहां २०० मिजो नलकूप तार के अभाव में बेकार पड़े हुए हैं। मैंने ६ अगस्त, १९७० को माननीय मंत्री जी के नाम एक दरख्वास्त दी थी, २ सितम्बर, १९७० को माननीय मंत्री जी से....

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है और सूचना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

"व्यवस्था" और "सूचना" का अन्तर समझते हैं माननीय सदस्य क्या ?

श्री सुखपाल पांडेय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय शम्भूनाथ चौधरी एस० एस० पी० के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं या जायसवाल जी एस० एस० पी० के नेता हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप जारी रखें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

माननीय सदस्य, सुखलाल पांडेय द्वारा- श्रीमन्, यह तो अपनी बुद्धि की बात है। मैं कह रहा था कि २ सितम्बर को हमें उत्तर मिला कि आप का प्रार्थना-पत्र उचित कार्यवाही हेतु सचिव महोदय के पास भेज दिया गया है। लेकिन मुझे दुख है कि आज तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई और बलिया में २०० निजी नलकूप बेकार पड़े हुये हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि सन् १९६८ में बिजली के लिए आप किसानों से प्रति हार्स पावर ६० रुपया लेते थे लकिन तिवारी जी की सरकार ने १२० रुपये दर निर्धारित किया है, तीन साल में दुगुना किया है और आज हालत यह है कि किसानों के निजी नलकूप जो चलते थे वह अनुदान भी उनके बेकार होते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बिजली पर प्रति हार्स पावर अनिवार्य रूप से जो किसानों से पैसा लिया जा रहा है कि चले या न चले इतना पैसा देना ही पड़ेगा उससे किसान को बहुत हानि है, इसलिये किसानों के ऊपर से यह अनिवार्यता खत्म कर दी जाय।

मेरा तीसरा सुझाव यह भी है कि हम यहां बैठकर किसानों के हित की बात करते हैं लेकिन जरा में ही उद्योगपतियों की गोद में जाते ही देर नहीं लगती और उसके हितों को भूल जाते हैं। आप को पहले से निश्चित करना चाहिये कि कितनी बिजली उत्पादित होगी और उसमें से कितने प्रतिशत कोटा किसानों को दे सकेंगे जो चीजें मैंने सुझाव के रूप में यहां रखीं उन पर माननीय मंत्री जी अमल करें और जो आशा का संचार किसानों में आप के प्रति हुआ है वह कायम रहे और उनका उत्साह बना रहे। इन शब्दों के साथ जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

उपाध्यक्ष जी, जो संकल्प माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके विषय में मैं यह कहने की धृष्टता करूंगा कि अभी यह समय उसके लाने के लिये उचित नहीं था। सब से पहले मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की सन् १९६८-६९ की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ठीक उसके बाद ही उन्होंने यह संकल्प भी सदन में रख दिया कि राज्य विद्युत् परिषद् को ५० करोड़ रुपया से अधिक सीमा तक रुपया लेने की सुविधा प्रदान की जाय। उचित तो यह था कि पहले उस रिपोर्ट पर यहां बहस हो जाती कि राज्य विद्युत परिषद् की क्या कार्य-प्रणाली है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, क्या उसकी कार्य-क्षमता है, इन सब चीजों पर विचार हो जाता और हम एक नतीजे पर पहुंचते कि कितनी परिषद् की क्षमता है और उसे कितनी सीमा तक ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। लेकिन हमारे मंत्री जी ने दोनों काम एक साथ ही कर दिये और हम से वह सहमति चाहते हैं। दैनिक जीवन में बिजली की कितनी उपयोगिता है इससे हम आप भलीभांति परिचित हैं। न केवल शहरों में ही वरन् ग्रामीण क्षेत्र में भी रोशनी के अलावा सिंचाई उसके द्वारा की जा सकती है और वहां भी उद्योग धंधों और घरेलू कार्यों में उसका उपयोग होने लगा है। इसकी पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि हम इस राज्य विद्युत् परिषद् को इस योग्य बना दें, इतना सक्षम बना दें कि वह हमारी ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने है और जो इस संकल्प के साथ ही हमारे सामने आज प्रस्तुत की गई है उसको देखने से पता चलता है कि यह परिषद् अभी इतनी सक्षम नहीं है कि जो ५० करोड़ का ऋण उसे मिला है उस से ज्यादा और ऋण प्राप्ति की सुविधा उसको दें।

एक निवेदन मैं और करूंगा कि इसमें जो आंकड़े दिये हैं उनको देखने से पता चलता है कि ३१ मार्च, १९६९ तक का बैलेन्सशीट बतलाता है कि २२ करोड़ रुपये का एक साल में घाटा हुआ है और यदि आप इसके पहले के वर्ष में देखें तो उस बैलेन्सशीट में भी १६ करोड़ का घाटा एक वर्ष में हुआ है। एक वर्ष में जो विद्युत् परिषद् ६ करोड़ रुपये का घाटा करेगी उससे यह आशा करना कि यह सदन जिसे अधिक ऋण लेने की स्वीकृति प्रदान करेगा वह धन विद्युत्

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा यह कल्पनामात्र होगी और यह सम्भव नही है कि वह उसे सुरक्षित रख सकेगा।

मान्यवर, जो नये विद्युत् परिषद् के कर्मचारी हैं, किस तरह से वे असंतुष्ट हैं, न उनकी जो न्यूनतम मांगें हैं उनको पूरा किया जा सकता है और न उनकी आवश्यकताओं को ही पूरा किया जाता है। न यह विद्युत् परिषद् एक माडल एम्प्लायर के रूप में ही काम करता है और वहां के कर्मचारी तथा और जगहों के कर्मचारियों में बहुत बड़ा अन्तर है। तो यह कहना कि राज्य विद्युत् परिषद् चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को पूरा कर लेंगी, सही प्रतीत नहीं होता है। यह परिषद् हमारी आवश्यकताओं की कभी भी पूर्ति नहीं कर सकती है। मेरी राय में इस सदन को यह निश्चय करना चाहिये कि इस राज्य विद्युत् परिषद् का पुनर्गठन किया जाय और इसकी कार्य-प्रणाली में जो दोष व्याप्त हैं, उनको जानने के लिए इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बैठे और वह अपने सुझाव प्रस्तुत करे और उन सुझाओं के आधार पर वह ५० करोड़ रुपया ही नहीं यदि ५०० करोड़ रुपया भी कहे, वह धनराशि राज्य विद्युत् परिषद् को दे देनी चाहिए लेकिन इस समय इस परिषद् की कार्य-प्रणाली, क्षमता, कार्यकुशलता क्या है? इसकी कार्यकुशलता का मैं उदाहरण अपने जिले उन्नाव से देना चाहता हूं। वहां पर बिजली हर वक्त आंख मिचौनी करती रहती है। एक मिनट के लिए आयी और फिर चली गयी। वहां पर अस्पतालों में जो डाक्टर हैं, जब वे आपरेशन करते हैं तो गैस की बत्तियां जलाकर इसलिए रखते हैं कि कहीं आपरेशन करते-करते बिजली खत्म न हो जाय और मरीज की मृत्यु हो जाय। यही दशा वहां पर बड़े-बड़े त्यौहारों पर देखने को मिलती है जिसके कारण वहा पर चोरी डकैती की घटनायें हो जाती है। यहीं नहीं स्टेशन पर भी इसी प्रकार की दुर्घटनायें हुआ करती हैं। वहां पर भी मिनट-मिनट पर बिजली गायब हो जाती है। इस कार्यकुशलता का एक बड़ा अच्छा चित्र खींच कर हमारे माननीय मंत्री जी इस ऋण की धन-राशि को ५० करोड़ से बढ़ाकर १०० करोड़ करवाना चाहते हैं। इस संकल्प को सदन से स्वीकार होने के पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सदन के समक्ष बतायें कि चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या फंक्शन है। जब तक वे वास्तविक आवश्यकताओं की मांग हमारे सामने प्रस्तुत न करें और जब तक इस सदन के माननीय सदस्य यह न जान लें कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में बिजली की क्या व्यवस्था होगी, किस प्रकार से राज्य विद्युत् परिषद् बिजली की सप्लाई और उत्पादन करेगा और उसका उत्पादन किस प्रकार से ग्रामीणों को बिजली सप्लाई करने में प्रयोग में लाया जायगा तब तक इस प्रकार के संकल्प को मैं स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि पहले वे हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करें जिसके आधार पर हम इस बात की पुष्टि कर सकें।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस संकल्प की पुष्टि करता हूं लेकिन आपके द्वारा कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। जिस जनता-जनार्दन के हित के लिए हम इस बड़ी धनराशि को ऋण के रूप में मांग कर रहे हैं, उसमें उनकी आस्था लानी चाहिए। अब तक को जो हमारी कारगुजारी का नक्शा है, इस पर हम बड़ी गंभीरता से विचार करें। आज देहातों के अन्दर किसानों पर क्या बीतती है। उन्हें यह मालूम नहीं है कि २४ घंटे में जो १२ घंटे बिजली मिलनी है, वह उन्हें रात को मिलेगी या दिन में मिलेगी। कभी रात को मिलती है और कभी दिन में मिलती है। इसका उस किसान पर कितना भार पड़ रहा है। मान लीजिये वह सिंचाई के लिये आदमी रख लेता है और वह आदमी रात भर बैठा रहता है। पूरी रात निकल जाती है पर बिजली नहीं आती। इस तरह से आदमी का खर्चा भी देना पड़ता है और बिजली भी नहीं मिलती है। यह कहा जाता है कि सिंचाई से उत्पादन बढ़ेगा। परन्तु नहरों की जो सुविधा थी उसके अन्तर्गत हम कहते थे कि चालीस प्रतिशत कमान्ड एरिया में पानी देंगे, वह भी पूरा नहीं हुआ। बिजली के द्वारा सिंचाई में भी हम असन्तोष बढ़ाना

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

चाहते हैं। समय पर सिंचाई न होने का भी असन्तोष है, उसको भी आप देखें। मुझे अपने जिले की मालूम है। सारे प्रदेश में यह हालत है कि ट्यूबवेल्स के जितने प्वाइन्ट्स दे रक्खे हैं उतनी बिजली नहीं दे पाते हैं। हम उस एवज में टैक्स तो लेते हैं लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है। यह किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

यह कहा गया कि ट्रान्सफार्मर्स की चोरी होती है और उसका धन भी किसानों से ही वसूल होता है। मैं अपने जिले की मिसाल दूं कि मथुरा जिले में न जाने कितने खम्भे पकड़े गये और न जाने सारे प्रदेश में कितने खम्भे पकड़े जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि विकास हो और विकास के लिये दूसरी जगह से धन लेकर लगायें, जिस बोर्ड के द्वारा जिसकी व्यवस्था हो, उस पर भी अंकुश होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जब तक बोर्ड पर असेम्बली द्वारा निर्मित हाई-पावर कमेटी नियन्त्रण नहीं करेगी तब तक व्यवस्था ठीक चलेगी नहीं। जब तक यह बोर्ड अपनी कारगुजारियों को ठीक तरह से नहीं बतायेगा तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। इनसे यह पूछा जाय और ये आंकड़े सामने आ जाने चाहियें कि ये कितनी बिजली पैदा करते हैं और कितना रिटर्न लेते हैं। जितना पावर है उसके अगेन्स्ट हम रिटर्न नहीं दे पाते हैं। तो वह बिजली जाती कहां है? जितने कारखानेदार हैं, क्या उनके पास जाती है? उपाध्यक्ष जी, मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से कि वे इस नक्शे को लाकर रक्खें कि गत साल में कितनी बिजली पैदा हुई और उसका कितना रिटर्न औरों के साथ-साथ किसानों के द्वारा आया। अगर कम आया तो वह बिजली किसने इस्तेमाल की? मालूम हुआ है कि हरियाना में यहां का-सा सिस्टम नहीं है। वहां इस तरह की व्यवस्था है कि मीटर की जरूरत नहीं है। उसका नतीजा यह होगा कि मोटरों का जो चार्ज है उससे यहां के लोगों को राहत मिलेगी। मीटर प्रणाली से जो जितना खर्च करता है उतना तो उससे लिया ही जाता है लेकिन उसके अगेंरट जितनी बिजली की क्षमता है उसका व्यय भी उस पर पड़ता है। जो चतुर किस्म के आदमी हैं वे विभागीय कर्मचारियों से मिलकर अपना उत्पादन तो खूब बढ़ाते हैं, परन्तु बिजली कम दिखाते हैं। मीटर प्रणाली को बदल देते हैं। इस खामी को बदला जाय। इस सिस्टम को बदला जाय और अपनी साख को कायम कीजिये। ऋण मांगने की प्रथा है लेकिन उसके साथ-साथ हमारी कारगुजारी सही होनी चाहिये। कारगुजारी के द्वारा अगर हम अपनी क्षमता या उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ा पायेंगे तो हमारा सारा धन बरबाद हो जायेगा। सन् १९८० में हम बिल्कुल ही अंधकार में हो जायेंगे। इस व्यवस्था पर कोई अंकुश होना चाहिये। अगर यह अंकुश नहीं हुआ तो हम अपनी जनता के सामने क्या जवाब देंगे। किसानों की बात सब करते हैं लेकिन किसानों को सही मानों में असुविधा पहुंची है। मेरी प्रार्थना है कि किसानों को सस्ते पैसे पर बिजली मिलनी चाहिये। और मीटर प्रणाली समाप्त करके प्रति हार्स पावर का खर्च लिया जाय जो सभी पर समान पड़े तभी सच्चा समाजवाद भी पनपेगा।

एक ओर उद्योगपतियों को तो २ पैसे प्रति यूनिट और किसानों को ४० पैसे प्रति यूनिट दी जाती है, इसमें आप को तुरन्त आमूल परिवर्तन करना होगा। नहरों की बड़ी-बड़ी योजनायें जैसे हिंडन व रामगंगा हमारे सामने रखी गयीं। परन्तु रामगंगा योजना भी अब तक सफल नहीं हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों को जो सुविधायें मिलनी थीं, अगर वे न मिलीं और समय से बिजली भी न मिली, तो अधिक उत्पादन की समस्या हल नहीं होगी। इस ओर मंत्री जी कृपया ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं उनका भाषण कतई समझ में नहीं आया, कृपया उसे छपवाकर माननीय सदस्य को बटवा दें ताकि वह समझ में आ सके।

(श्री रामकरन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मैं यह चाहता हूं .....दो दो मिनट .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये। आप किस नियम से बोल रहे हैं? मैं आप को इजाजत नहीं देता हूं। आप दबाव डालकर समय लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आप कृपा कर के बैठिये। मैं आप को चेतावनी देता हूं, इस तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते। (श्री बांकेलाल बैठ गये।)

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे साथी माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी ने कुछ बातें कही हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि तिवारी जी तो सम्भवत: मंत्री जी की हैसियत से कुछ बातें करते रहे होंगे, लेकिन शम्भूनाथ जी तो १५ दिन पहले हमारे साथी थे, वे इतने सरकारी आज कैसे हो गये। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। पिछले बजट सत्र में जो बातें यह कह चुके हैं उन्हीं पर अगर ध्यान दिया होता तो सम्भवत: आज यह अवसर नहीं आता। चाहिये तो यह था कि सारी वर्किंग आदि को देखने के लिये एक कमेटी होती और वह सारे लेखे-जोखे को देखकर अपनी रिपोर्ट देती अगर वह कहती कि बोर्ड को ५० करोड़ रुपये की जरूरत है तो सम्भवत: आज इस विवाद की आवश्यकता न होती, वह स्वीकार हो जाता। उस वक्त सदन को ५० करोड़ से अधिक भी देने में कोई हिचक नहीं होती।

मैं दूसरी बात और एक आप के माध्यम से कहना चाहता हूं। नेगी जी ने बिड़ला जी की बात जरूर कही। बिड़ला जी को बिजली मिली इंडस्ट्री के लिए। मान्यवर, उसकी बात वह कह चुके, इसलिये मैं नहीं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पंडित कमलापति जी त्रिपाठी विद्युत् मंत्री थे, तो उन्होंने बिड़ला साहब को एक लाख किलोवाट बिजली चार पैसे की दर से देने का समझौता किया था। मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पहली गलती तो हम कर चुके हैं कि २५ वर्ष का ऐग्रीमेंट हमने उनको दे दिया। तो हमारी कुल कैपेसिटी क्या है? ६ लाख किलोवाट बिजली हम पैदा करते हैं और दो लाख किलोवाट के लगभग अकेले बिड़ला को ही दे दें, तो जो चार लाख किलोवाट बिजली बचती है उससे उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े प्रदेश की ८-९ करोड़ जनता का क्या भला होगा और दूसरी इन्डस्ट्रीज का कैसे विकास होगा? यह बात मेरे दिल में बैठ नहीं रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मिनिमम गारंटी की बात कही गई है, उसमें प्रति हार्स पावर ११९/१२० रुपया गारंटी की बात है। ७-८-९, एक-एक गांव में ट्यूबवेल नहीं है। छोटे-छोटे ट्यूबवेल लगते हैं। जहां आटा या धान की मशीन बैठेगी वह लोग तो मिनिमम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें सिंचाई का काम करना है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकरन]

उन को ११९/१२० रुपये की गारंटी दे सकना सम्भव नहीं है। खास कर उस हालत में जब आ ५ दिन मौके पर बिजली चली जाती है और किसान की मशीनें वैसी ही खड़ी रह जाती हैं। बिजली के चले जाने से किसान का बड़ा नुक्सान होता है, तो उसका जहां उसे खामियाजा मिलना चाहिए, उल्टे उसकी गारंटी में ११९–१२० रुपया देना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि संविद की सरकार, जो पांच तत्वों से मिलकर बनी है यह घोषणा करे कि अब हम मिनिमम गारंटी नहीं लेंगे और जो जितनी बिजली लेगा हम उससे उसी हिसाब से खर्चा लेंगे।

यह संतोष की बात है कि विद्युत् परिषद् का एडमिनिस्ट्रेशन इधर कुछ वर्षों से ठीक चल रहा है। जहां आप ४८ करोड़ रुपया खर्च कर के ५० करोड़ की और मांग करते हैं, वहां पर करोड़ों रुपये का घोटाला तो रोकने की आप कृपा करें। मैं चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपये के घोटाले की शिकायतें आप के पास जाती हैं, उनकी आप कृपया जांच करायें, तो यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी।

अब इन विभाग की में एफीशियेंसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे साथी रियासत हुसैन साहब ने एक कागज दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है। ग्राम मझौली, जिला मुरादाबाद, के एक प्रधान को २७२ रुपये का बिजली का बिल मिला है जबकि उस गांव में बिजली ही नहीं है। इसके अलावा पांच हार्स पावर की बिजली पर वारिसपुर ग्राम में एक व्यक्ति को १८ हजार रुपये का बिल गया है। इन छोटी-मोटी शिकायतों को भी दूर करने पर आपको विचार करना चाहिए।

अब कुछ बात मैं कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। फिटमैन के उनके जो केसेज हैं, उन पर यह सरकार पूरा ध्यान दे। जो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं उनको बिठालकर उनके साथ बैठकर प्रमोशन के सारे मामलों को तय किया जाए, ताकि कर्मचारियों में जो असंतोष है वह दूर हो सके।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)––

अध्यक्ष जी, अभी रामकरन जी ने बताया है कि एक लाख किलोवाट बिजली, ४ पैसे की दर से बिड़ला को मेरे द्वारा दी गई थी। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है।

एक सदस्य––

अल्मोनियम फैक्ट्री को दी गई थी।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जहां तक मुझे खयाल आता है, अल्मोनियम फैक्ट्री के विस्तार के लिये कुछ बिजली की जरूरत थी और उन्होंने मांगी। इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था यह तय हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको देख ले और जो कामन टैरिफ रेट तय करेगा उस पर सरकार विचार करेगी। तो मैं जहां तक समझता हूं कोई फैसला नहीं हुआ था और न ही बिजली की सेंक्शन हुई थी। अब क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है।

मैं एक, दो बातों के विषय में और बतलाना चाहता हूं। हमारे विद्युत् मंत्री जी बहुत ही मधुर आदमी हैं और उन को बिजली के मुहकमें की काफी जानकारी है और कुछ ज्यादा कहने की उनसे बात नहीं है लेकिन दो-तीन चीजें जो अनुभव में आईं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर घाटा बहुत है और उसकी स्थिति दयनीय है। जहां तक १०० करोड़ रुपये कर्ज देने की बात है वह दिया जाय क्योंकि बिना बिजली के हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। बिजली तो किसी डेवलपमेंट के लिये रा-मैटीरिअल है। इसके बिना खेती और उद्योग का विकास नहीं हो सकता है। तो बिजली का विकास

होना ही चाहिये और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को १०० करोड़ रुपये कर्ज देने की मंजूरी की बात है वह ठीक है और होना चाहिये। इस सम्बन्ध में दो बातें देखनी हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जो घाटा आता है, उसके सम्बन्ध में जहां तक मुझे स्मरण है, वह इसलिये है कि सूद बहुत है। सरकार भी इनसे सूद लेती है। जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था तो जितनी कम्पनियां थीं उनको हाइडेल को ट्रान्सफर कर दिया गया था और उसका मूल्य ४०० करोड़ रुपया रक्खा गया था। उस पर सरकार ने १ या डेढ़ प्रतिशत सूद लेना शुरू किया। वह बड़ा लम्बा होता है। उसके बाद भारत सरकार से जो कर्जा मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी के काम की जो योजना के लिये रुपया मिलता है, करीब ३७५ करोड़ रुपये की योजना होगी, वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पोस्ट आफिस का काम करती है और इस पर भी १ प्रतिशत सूद चार्ज कर लेती है। तो यह सूद सिर्फ रुपया ट्रांसफर करने का लिया जाता है। तो इस प्रकार से २०-२२ करोड़ रुपया सूद में ही चला जाता है। अब आप १०० करोड़ रुपया कर्ज और दे रहे हैं। इसका भी सूद देना पड़ेगा तो इससे घाटा और बढ़ेगा। यह जो पैसा है वह कन्ज्यूमर पर जाता है और इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ता चला जाता है। तो इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिये। जो डिप्रोशियेशन का लिया जाता है उसका हिसाब किताब ठीक न होने के कारण जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा ठीक से बैलेन्सशीट नहीं बनती है और बाहर से जल्दी कोई इसको पैसा नहीं देगा। इससे काम आगे नहीं बढ़ सकेगा।

दूसरी दिक्कत जो मुझे दिखाई पड़ रही है वह यह है कि जेनरेशन की जो कैपेसिटी है वह शायद इसमें पूरी नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं हर्दुआगंज का मामला राम प्रसाद जी ने बहुत बार उठाया लेकिन ज्यादा जेनरेशन होने की आशा नहीं है। ओबरा में टरबाइन नहीं चलेगा और रिहन्द का जेनरेशन एकदम पानी न मिलने से गिर गया है। जितनी मांग हमारी बिजली की है वह क्षमता हमारी जेनरेशन की नहीं है। बिजली की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उनमें जितना रुपया लगता है और जितनी देर लगती है उतना ही सूद हमें देना पड़ता है। ३५ परसेंट ४० परसेंट तक वह हो जाता है। २५ परसेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी। यह सब भार कंज्यूमर पर पड़ता है। किसान से आप मिनिमम १२० या ११० रुपया ले लेते हैं लेकिन बिजली का कोई मिनिमम गारन्टी नहीं देते। अक्सर जहां भी जायं वहां सवाल आता है कि ट्यूबवेल चल रहा है, दस क्यारी सींचा और ट्यूबवेल बन्द हो गया। आपके यहां बिजली की रोस्टरिंग है लेकिन लाइन बीच में ही कट जाती है। आप रोस्टरिंग करते हैं कि छः दिन इधर देंगे और छः दिन उधर देंगे। रोस्टरिंग करते हैं इसलिए कि बिजली की कैपेसिटी कम है। लेकिन बीच में ही लाइन कट जाती है और ट्यूबवेल बन्द पड़ा रहता है। छोटे उद्योग धंधों वालों का भी मामला ऐसे ही रहता है। अखबार वाले हमसे मिलने आये थे। उनका कहना था कि अखबार छप रहा था, एकदम बिजली बन्द हो गयी। अगर उनका अखबार न निकला तो दूसरे दिन वह रद्दी हो गया और सिवाय इसके कि रद्दी में बेंचकर कुछ पैसा निकाल लें कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप मिनिमम गारन्टी लेते हैं, मिनिमम रेट लेते हैं तो उनको भी मिनिमम गारन्टी दें। अगर हम यह न कर सकें और उनसे मिनिमम लेते चलें तो उनके ऊपर बड़ा भारी बोझ पड़ जाता है।

तीसरी बात की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जितने लाइसेन्सी हैं और जिनके लाइसेन्स खत्म होते जा रहे हैं और जिनको लेते चलते हैं तो वहां के कर्मचारियों के बारे में सोचें। इस विषय में एक निर्णय पहले हो चुका है। हमारे कर्मचारियों को यह सुविधाएं मिलनी चाहिए जोकि हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर अपने यहां दे या पब्लिक सेक्टर में हम दे रहे हैं। अगर इन कर्मचारियों में काम करने की प्रेरणा न रही तो हम समझते हैं कि जेनरेशन में भी नुक्सान हो जाता है। केसा में एक बार २० परसेंट का इंसेन्टिव दिया तो वहां

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जेनरेशन बढ़ गया। इसलिए जिन कम्पनियों को हम ले लेते हैं वहां के कर्मचारियों की सिक्योरिटी और जो सुविधाएं उनकी पहले से रही हैं उनके सम्बन्ध में देखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मुझे अनुभव है। मैं शिकायत नहीं कह रहा हूं। लेकिन वह बहुत ही उपेक्षा करते हैं। चार,-चार साल से बर्कवार्ज में काम कर रहे हैं, परमानेन्ट ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन टेम्पोरेरी पड़े हुए हैं। रिटायर कर जाते हैं, उन्हें पेंशन तक नहीं मिलती। अगर हम अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखें और उनकी जायज मांगों को मानते चलें तो हमारा यह कामर्शियल आर्गेनाइजेशन है इसके कार्यक्रम में वृद्धि हो सकती है।

ट्रांसफार्मर्स की चोरी होती है। किसान से कहा जाता है कि तुम पैसा दो। कौन चोरी करता है, कौन चोरी कराता है यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां पुलिस नहीं है, गांव वाले भी रक्षा नहीं कर पाते। वहां से ट्रांसफार्मर उठा ले गये और सारा कनेक्शन आफ। अब कहा जाता है कि किसान पैसा दे। सरकार बार-बार नहीं लगा सकती। अब यह चोरी किस तरह से रोकी जाय? किसानों का काम ठप्प हो जाता है और नुक्सान होता है। यह देखने की बात है। हमारे विद्युत मंत्री जी को इन बातों की बहुत जानकारी है। मैंने तो सिर्फ इसलिए निवेदन किया कि बहुत थोड़े दिन तक मैंने उस काम को किया तो दिक्कत महसूस होती थी। आपने भी महसूस किया होगा। एक बात और है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, हम सभी के हृदय में यह बात होगी कि प्रदेश का विकास हो। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कभी इधर बैठ जाते हैं तो कभी उधर और जब इधर बैठते हैं तो आवाज दूसरे किस्म की होती है और जब उधर बैठते हैं तो आवाज दूसरे किस्म की हो जाती है।

मैं यह कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे उधर बैठें अथवा इधर बैठें उनकी आवाज एक ही किस्म की रहती है। जैसे कि हमारे भाई कृष्णानन्द राय जी हैं जो आज उधर बैठे हैं वे वैसे ही बोल रहे हैं। यह तो राजनीतिक उलट-पुलट है और यह तो लोकतंत्रीय फेर है लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं कि इस प्रदेश का विकास होना चाहिये जो नहीं हुआ है, इसमें चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हाथ हो या हमारी आपसी लड़ाई झगड़ा का हाथ हो। जितना बड़ा प्रदेश है और जितना इसका विकास होना चाहिये उतना विकास इस प्रदेश का नहीं हो पाया है अथवा हम उसका इतना विकास नहीं कर सके। उसके विकास में दलगत मतभेद हैं और उनको भुला कर हम सभी को उसके विकास के लिये चेष्टा करनी है और सभी का सहयोग चाहे इधर के हों अथवा उधर के हों देना है क्योंकि जिम्मेदारी सभी की बराबर है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में है और अपने प्रदेश की उन्नति करने में सभी को भरपूर शक्ति लगानी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार रचनात्मक कार्यों में, यहां की जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने में हमसे जहां तक हो सकेगा भरपूर सहयोग पायेगी। हम अकारण ही विरोध करने वाले लोग नहीं हैं और न अकारण ही किसी बात का विरोध करेंगे हां, विरोध पक्ष का जो काम है और जिसको मैं जरूरी समझता हूं उसको भी करूंगा। मैं तो हमेशा से ही पीछे हाथ उठाने वाला रहा हूं। मैं क्या जानूं विरोध पक्ष में क्या कुछ किया जाता है क्योंकि मैं तो सरकार के पीछे बैठकर हाथ उठाने वाला रहा हूं। दिमाग को अच्छा करने वाला ज्ञान नारायणदत्त जी, गेंदा सिंह जी अथवा कृष्णानन्द जी जो हैं वह सिखा दें।

एक सदस्य—

आप इधर आ जाइये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपकी कृपा होगी तो पहुंचूंगा।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रदेश के तथा यहां की जनता के हित के कार्यों में जो भी कार्य होगा उसमें मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अगर शासन जनहित के कोई भी कार्य करती है तो उसमें भी सहयोग प्रदान करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। इन शब्दों के साथ आपका जो प्रस्ताव है कि १०० करोड़ कर दिया जाय उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों ही दल शासन में रहे हैं और यदि इसमें किसी प्रकार की कोई उपेक्षा कहीं पर हुई है तो वह भी इन दोनों ही दलों की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज बिजली में बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है। हमारे ग्रामों में जहां कहीं भी नलकूप हैं पम्पिंग सेटस हैं वहां पर हमारे काश्तकारों के साथ बड़ा अत्याचार किया गया है। जो बिजली दी गई है बिड़ला को वह २ पैसे यूनिट के भाव से दी गई है जबकि हमारे काश्तकारों को ३५ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी गई है। यह कितना बड़ा अत्याचार है। हमारे लायक दोस्तों ने समाजवाद का नारा दिया। रामकरन जी ने इन्दिरा गांधी के समाजवाद का नारा दिया। मैं तो कहता हूं कि समाजवाद के सबसे बड़े दुश्मन आप हैं और इसलिये आप हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ आप मजबूत कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपा करके बैठिये।

(व्यवधान)

जब आप छीन-झपट कर एक-दो बात कहने के लिये समय लें तो आपको किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिये क्योंकि फिर दूसरे व्यक्ति को भी मौका मिलेगा कि वह आपकी बात का जवाब दे। आप समाप्त कर चुके हैं, अब आप बैठ जायं।

श्री राजितराम पांडेय—

आज किसानों को लूटा जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिये और बैठ जाइये।

(व्यवधान)

मैं राजितराम जी से यह बता देना चाहता हूं कि अब उनकी स्थिति बदल गई है। विरोध पक्ष से वह अब इधर बैठने लगे हैं इसका भी उन्हें स्मरण रखना चाहिये। आपकी सरकार तो है ही उसको आप कह सकते हैं, लेकिन जो विरोध पक्ष के लोग हैं...

श्री राजितराम पांडेय—

यह लोग किसानों की हमदर्दी की बात कह रहे हैं, किसानों की हालत बदतर हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। आप बैठ जायं। आपको बोलने का मौका दिया तो केवल बिजली की बात पर बोलें और दूसरी बात पर नहीं। मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

श्री राजितराम पांडेय जी ने यह बात कही है कि हम समाजवाद के दुश्मन हैं, मान्यवर मुझे पांडेय जी से कोई शिकायत नहीं है, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि इन्दिरा गांधी समाजवादी हैं या नहीं। मैं कोई इन्दिरा गांधी के साथ हूं नहीं, इस बात को श्री राजितराम पांडेय समझ लें। इस बात का फैसला इनको करना होगा कि यह आज जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के साथ हैं, यह कहां तक समाजवादी पार्टियां हैं और यह दुश्मन हैं कि नहीं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

संजीव गांधी को कार का लाइसेंस देना, यह कहां तक समाजवाद है ? मैं इस तरह के समाजवाद की घोर भर्त्सना करता हूं।

एक सदस्य—

कांतीलाल देसाई की बात आप क्यों नहीं करते ? वह समाजवाद है ?

श्री राजितराम पांडेय—

आप तो मुस्लिम लीग और कम्यूनिस्ट के साथ हैं...

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

मान्यवर, आज मैं ऋणी हूं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का और खास तौर से माननीय नेता विरोधी दल और तिवारी जी का जिन्होंने मेरी इस मांग का समर्थन किया। मैं विद्युत् विभाग में जो कमियां हैं उनकी कोई सफाई देने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। जो कमियां हैं उनको ठीक होना चाहिये और हमारा यह प्रयास होगा, मेरा और विद्युत् बोर्ड का, कि जितनी कमियां हैं और जितनी खराबियां हैं वे जल्दी से जल्दी सब दूर हों। आज एक बात सत्य है कि बिजली की बड़ी भारी कमी है। यह बात भी सत्य है जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि जितनी बिजली आज बनाने की स्कीम है उससे काम चलने वाला नहीं है। हमको अगर आगे बढ़ाना है तो हमको यहां और स्कीमें लेनी पड़ेंगी। बिजली दो तरह से बनती है।एक कोयले से और एक पानी से। बिजली विभाग ने थर्मल पावर हाउस बनाये लेकिन हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बड़ी भारी मात्रा में जल से बिजली बन सकती है। जल से बिजली की शक्ति हम और बढ़ा सकते हैं। बद्रीनारायण साढ़े दस हजार और हरिद्वार, एक हजार फुट पर है जहां पर कि हम २५ लाख किलोवाट बिजली बना सकते हैं। दूसरे प्रदेशों में यह सुविधा नहीं है।बिजली बोर्ड का यह प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्कीमों को सरकार ले। लेकिन हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जब हम अपनी स्कीमों को लेकर प्लानिंग कमीशन के सामने गये तो हमारी उन स्कीमों को किसी न किसी कारण से उन्होंने मंजूर नहीं किया। लेकिन अब हमारा यह प्रयास होगा कि नयी स्कीम्स को खास तौर से जल विद्युत की योजनाओं को हम ज्यादा से ज्यादा लें। इस दिशा में हम कुछ आगे भी बढ़े हैं। सेन्ट्रल पावर कमीशन से भी हम मिले हैं और उनसे मिलकर हम यह प्रयास कर रहे हैं। थोड़े दिनों में इस दिशा में मालूम हो सकेगा कि उस तरफ हम कितने बढ़े हैं।

हरियाणा की बात कही गयी कि वहां पर हर गांव में बिजली दे दी गयी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इसमें कोई सन्देह नहीं है, लेकिन हरियाणा एक छोटा प्रान्त है, ६,६६९ वहां पर गांव हैं जिनमें उन्होंने बिजली लगा दी है। बिजली नजदीक-नजदीक गांव में आसानी से पहुंच जाती है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है।हमारे यहां १,१२,६२४ गांव हैं लेकिन हमने १९,६१९ गांव में अभी तक बिजली दी है जो करीब-करीब १३ परसेंट पड़ती है। आपको मालूम है कि

हमने बिजली देने की, तीसरे योजना में १,५०० गांव की योजना बनायी थी। लेकिन तब भी हमने ६,५०० गांव में बिजली देने की कोशिश की। अभी बहुत बिजली देने की आवश्यकता है, तो उसके लिये बिजली पैदा करना होगा। हमारा यह भी प्रयास है कि जितना रुपया हमको मिल सके वह हम लायें। सरकार के पास जितने साधन हैं उससे हम बराबर प्रयास करते हैं कि जितना भी हम इन योजनाओं पर खर्च कर सकें वह करें। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कुछ रुपया हम बाहर से भी लाये हैं। जो गांवों में बिजली लगाने में मदद करने वाला कारपोरेशन है उनसे भी हमने कहा है। जहां से भी सम्भव हुआ है हमने मांग की है। अगर यह सम्भव हुआ कि हमको और रुपया मिल सकता है तो हम अवश्य इसका प्रयास करेंगे। गांव में बिजली लगाने के लिये बड़ी भारी आवश्यकता है। इसके लिये कुछ सम्भावना हो सकती है कि कुछ रुपया मिल जाय। मैं यह जानता हूं कि कुछ पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं जैसे रेलवे, पोस्ट आफिस और टेलीफून वाले हैं और उनके जो काम करने का तरीका है उनमें कुछ खामियां भी हम देखते हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

बहराइच में जो सरजू परियोजना बन रही है क्या वहां पर मंत्री जी बिजली उत्पादन करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

वहां कैसे पैदा होगी ?

बिजली जहां फाल होता है वहीं से पैदा होती है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

माननीय मंत्री को ज्ञात नहीं है। वहां भी फाल है। वहां से बिजली पैदा की जा सकती है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अगर है तो दिखवा लेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

पूर्वी जिलों का हित चाहते हैं तो सरजू परियोजना से बिजली पैदा करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

कोई अगर ऐसी योजना है जहां बिजली पानी से बन सकती है तो उसको भी दिखवा लेंगे। लेकिन आज मैं कैसे कह दूं कि वहां से बिजली बनेगी। आज भी एक सवाल जिससे हम चिन्तित हैं वह मिनिमम गारंटी का है। बात यह है कि जो बिजली हम पैदा करते हैं उसमें रुपया खर्च होता है और अगर कोयले की स्कीम है तो कोयला जलता है। २४ घंटे बिजली जलती है तो आपके लिए रिजर्व भी करते हैं। अगर २४ घंटे बिजली दे दें और एक घंटा भी इस्तेमाल न करें तो इससे हमारा नुक्सान होगा। जो कोयला जलता है उसका भी नुक्सान होगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

हम लोगों का चार बजे का टाइम था। उसके लिए आप कब समय दे रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मुझे बताया गया है कि साढ़े चार बजे खत्म करना है। उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा। मिनिमम गारंटी हमने लगायी है, केवल ढाई घंटे बिजली का इस्तेमाल करें तो वह पूरा हो जायगा।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

एक बात यह उठायी गयी कि बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। बिजली का ५० वर्ष पहले जो रेट् था उससे आज दो, ढाई गुने से ज्यादा रेट नहीं बढ़ा है लेकिन और चीजें जैसे गेहूं है एक-दो रुपये मन मिलता था आज तीस चालीस रुपये मन चला गया। लेकिन जहां तक बिजली बोर्ड है, उसको घाटा हो रहा है। उसके कई कारण हैं। पंडित जी ने बताया, उन्होंने उस विभाग को पहले भी देखा है। पहले एक आध परसेंट कर दिया था। उससे कुछ हुआ। इस बात को देखेंगे, कोई दूसरा रास्ता निकल सकता हो तो उसको भी देखें।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिहन्ड डैम की जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वह कम हो गयी है, उसकी पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरा ध्यान उस तरफ गया है। वहां पानी बहुत ज्यादा नहीं भरता। अगर सम्भव हुआ और दूसरी तरह से पानी आ सकता हो और अन इकनामिकल न हो तो दिखवा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी नहीं बता सकेंगे। रिहन्ड डैम में जितना पानी होना चाहिए उतना नहीं है। उतनी बारिश वहां नहीं हुआ करती है।

लेकिन हमने बिजली की कमी के लिये ओबरा में थर्मल पावर स्टेशन लगाया है और हाइडल का एक दूसरा स्टेशन भी लगाया है फिर भी बिजली की कमी है.....

श्री चेतराम गंगवार---

उपेक्षित इलाकों के लिये आप क्या कर रहे हैं? बरेली की एक तहसील में ३८३ गांव हैं लकिन तीन ही गांवों में बिजली है, ऐसे उपेक्षित इलाकों के लिये सरकार क्या नीति अख्तियार करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हम प्रयास कर रहे हैं किन्तु बावजूद हमारे पूरे प्रयास के आज हम १३ परसेंट विजली ही दे पाये हैं यानी १९ हजार गांवों में ही बिजली पहुंचा पाये हैं जबकि बिजली देने के लिये हमारे प्रदेश में १ लाख १३ हजार गांव हैं। बहुत से गांव अब भी काफी दिनों तक बिजली नहीं पा सकेंगे लेकिन हमने पिछली दफा इस बात का प्रयास किया था कि डेवलपमेंट इस तरह से न हो कि किसी जगह बिजली बिल्कुल पहुंच ही न पाये।

श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)---

मंत्री महोदय ने एग्रीकल्चर पर मिनिमम गारंटी के प्रश्न को बिलकुल ही टाल दिया। इससे हमारे देहात के रहने वाली जो गरीब जनता है उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हो सकेगी। देहात में जितने उद्योग हैं वे शैशवावस्था में हैं। उनको सब्सिडाइज किया जाता है। गृह उद्योग तथा काटेज इंडस्ट्री की तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पनप रही है। इसको सब्सिडाइज करने के लिये मिनिमम गारंटी को खत्म किया जाय। रिहन्द बांध से जो बिजली आप देते हैं उसमें ३० से ४० परसेंट तक आपने कमी की है तो चूंकि देहात में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शैशवास्था में है उसको प्रगति देने के लिये आप उसी अनुपात में मिनिमम गारंटी को कम कर देने के लिये तैयार हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य को कुछ भ्रम है। उन्होंने तो बहस शुरू कर दी। मुझसे वह बातचीत कर लें तो मुझे विश्वास है कि मैं उन को कंविन्स कर दूंगा और वह मेरी बात मान जायंगे। यहां सदन में हर बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हुं कि मैंने बहुत सी का उत्तर दे दिया है।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। शर्मा जी ने यह कहा कि वह निर्भय नारायण जी को अपने कमरे में कंविंस कर देंगे तो यह तो वह २०, २२ साल से करते आ रहे हैं। आम जनता को कंविंस वह करें तब ईमानदारी है।

(इस समय ४ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रिहन्द के बारे में जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया। माननीय सदस्य कहें तो मैं दो घंटे बात करता रहूं। मुझे विश्वास है मैं उन को भी विश्वास दिला दूंगा लेकिन जो सदन का समय है उसे मैं अधिक लेना उचित नहीं समझता। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी जो मांग है उसे सदन केवल देना ही नहीं चाहता बल्कि इसके लिये भी वह तैयार है कि अगर मैं ज्यादा मांगू तो वह भी देने के लिये तैयार है। इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जितना रुपया आप देंगे.....

(व्यवधान)

और उस में जो खर्चा होगा उससे प्रदेश को ही नहीं सारे देश को फायदा होगा और भविष्य में प्रदेश की तरक्की होगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ (१९४८ की ऐक्ट संख्या ५४) की धारा ६५ की उपधारा (३) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के २५ मार्च, १९६९ की बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा उक्त धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को ५० करोड़ रुपये तक निश्चित करने हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत होने के बाद यह सीमा ५० करोड़ रुपये निर्धारित कर दी गई थी और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को जिसने उक्त धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन अभी तक ४८,१६,९१,५०० रुपये का ऋण प्राप्त किया है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित पीरयोजनाओं के निष्पादन हेतु अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करने के लिये और ऋण की आवश्यकता है, अतएव अब परिषद् की योजनागत निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ, जिनके लिये परिषद् के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, संसाधनों को पूरा करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार राज्य विधान सभा के अनुमोदन से, एतद्द्वारा उक्त धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को पचास करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक सौ करोड़ रुपये तक निर्धारित करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हूआ।)

संयुक्त समाजवादी दल के कुछ नेताओं तथा विद्यार्थियों की विधान भवन के सामने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे सामने कार्य-स्थगन के ५–६ प्रस्ताव आये हैं।

इसमें श्री कमलापति त्रिपाठी, रामकरन सिंह, उदित नारायण शर्मा, गोविन्द सिंह नेगी, रामचन्द्र विकल, हबीब अहमद तथा शमीम आलम, इनकी तरफ से एक कामरोको प्रस्ताव आया है कि ७–१२–१९७० को विधान भवन के सामने प्रदर्शन करने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री उग्रसेन, श्री अर्जुन सिंह भदोरिया तथा श्री मंजूर अहमद, एम० एल० ए० आदि की गिरफ्तारी तथा श्री राजनारायण द्वारा प्रदर्शनकारियों को धमकाना के सम्बन्ध में है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

आप पूरा पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह इस प्रकार है "कल ७ दिसम्बर, को १०–३० बजे और १२.३० बजे के बीच विधान भवन के सामने जिस समय युवक कांग्रेस, छात्र फेडरेशन, समाजवादी श्रम योजन सभा और अन्य छात्र यूनियनों के प्रतिनिधि तथा लोक सभा और विधान सभा के सदस्य विश्वविद्यालय अध्यादेश के विरुद्ध शान्त प्रदर्शन कर रहे थे। श्री राजनारायण सिंह प्रदर्शन कार्यों के बीच में पुलिस अधिकारियों के साथ घूम-घूम कर छात्र आन्दोलनकारियों को धमका रहे थे। गिरफ्तार छात्र जिनको वह इशारा कर देते थे, पुलिस अधिकारी गाड़ियों से उतार देते थे। उनके आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि मानों राज्य सरकार ने उन्हें स्थानीय अधिकारियों के साथ बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का स्थान प्रदान कर रखा है। उनके इस कारण से छात्रों और युवकों तथा जनता में ऐसी भयावह आशंका व्याप्त है मानो राज्य सरकार ने अपने शान्ति व्यवस्था के अधिकारियों को, श्री सिंह जैसे गैर सरकारी व्यक्तियों को समर्पित कर दिया हो। जनता में शांति और व्यवस्था के लिये ऐसी स्थिति में अत्याधिक भय व्याप्त हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा करने के लिये यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी जी के प्रस्ताव में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ४–५ प्रस्ताव हैं। कामरोको प्रस्तावों के बारे में जो फैसला हुआ है वह यह है कि अगर कोई प्रदर्शन नियम विरुद्ध करता है जैसे दफा १४४ लगी हो और अगर वहां कोई बात हो तो वह स्थानीय अधिकारियों की आज्ञा से यह चीज होती है और उसका प्रत्यक्ष गवर्नमेंट से संबंध न होने की वजह से यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है। लेकिन मैंने इतना किया है क्योंकि यह स्थानीय मामला है और जल्दी ही इसकी जानकारी हासिल हो सकती है। कल सबेरे माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें। इसके बाद आगे चर्चा करने के लिये आप को विषय मिल जायेगा। आप उसके ऊपर चर्चा करने के लिये मुझ से यह कह सकते हैं। इसमें कई प्रकार के आक्षेप हैं और वे इस सिलसिले में हैं कि प्रदर्शन किया गया जबकि दफा १४४ लगी हुई है इसलिये यह काम केवल स्थानीय अधिकारियों का ही है और इसमें गवर्नमेंट का संबंध नहीं आता है। आपने लिखा नहीं है कि गवर्नमेंट की आज्ञा से यह हुआ है बल्कि स्थानीय अधिकारियों के अधिकार में यह है। इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय

नहीं बन सकता है। आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं या इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं। लेकिन कल मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट वक्तव्य दे दे प्रश्नोत्तर के बाद। यह मैं उनके पास भेजे देता हूं और इसके ऊपर कल वक्तव्य दिया जायेगा।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला-टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि इतनी बड़ी गम्भीर घटना हो गई, इस सचिवालय के दरवाजे के ऊपर। पार्लियामेंट के मेम्बर्स पीटे गये, विधान सभा के मेम्बर्स पीटे गये और विधान परिषद् के मेम्बर्स पीटे गये तथा विद्यार्थियों को बंदी अवस्था में से अलग कर के पीटा गया। यह स्थानीय महत्व का प्रश्न नहीं है बल्कि बड़ी गम्भीर घटना है। मेरा निवेदन यह है कि जानबूझकर सरकार ने किसी दल के नेताओं को जिस दल के लोग इस सरकार के मंत्रिमंडल में बैठे हुये हैं, समाजवादी दल के नेता उग्रसेन जो पार्लियामेंट के मेम्बर तथा विधान सभा के मेम्बरों को जिनके दल के लोग इस गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनके नौजवानों को बुरी तरह से पीटा गया है। यह प्रश्न स्थानीय महत्व का नहीं है। सरकार को दफा १४४ लगाने की क्या जरूरत है? इस पर प्रश्नोत्तर के बाद वक्तव्य न होकर हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर बहस कराइये जिससे सरकार का नंगा चेहरा और नंगा हो सकता है।

(व्यवधान)

आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे नेता पीटे जाते हैं और तुम लोग मंत्रिमंडल में बैठे हुये हो।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाहते हैं कि हमारे कालेजों और स्कूलों में पढ़ाई बन्द हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह है १८ जुलाई, १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह के सम्बन्ध में लाये गये एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न देते हुये श्री अध्यक्ष ने कहा: "मैं समझता हूं कि इस सदन के जो कानून हैं उनको नोटिस देकर भंग करना, फिर इस सदन में खुद ही जेल जाने के लिये तैयारी करना और फिर इस सदन में आकर उसी पर बहस करना कि बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसी चीज मैं समझता हूं कोई कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती।"

इसमें यह भी लिखा हुआ है इसी के साथ कि २१ अगस्त, १९५७ को जौरा बाजार, तहसील पठरौना में अभिकथित भुखमरी से मृत्यु संबंधी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अब्दुल रऊफ लारी के पांच आदमियों का एक आयोग नियुक्त करने के सुझाव के बारे में श्री अध्यक्ष ने कहा: "यह तरीका यहां का नहीं है। आपको कमीशन के लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा और जब वह बैलट होकर सदन में आ जायेगा और पास हो जायेगा तो कमीशन भी बन जायेगा। लेकिन यह तरीका नहीं है कि कामरोको प्रस्ताव द्वारा कमीशन बैठाया जाय।"

कई ऐसे उदाहरण मैं आप को दे दूं जिसमें प्रत्यक्ष गवर्नमेंट का संबंध नहीं आता लेकिन स्थानीय अधिकारीगण का सम्बन्ध आता है तो ऐसा विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि महत्व का विषय है इसलिये मैंने कहा कि वह वक्तव्य दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह---

यह एस० एस० पी० का घरेलू मामला है।

(इसके पश्चात संभवतः माइक की गड़बड़ी के कारण तथा सदन में हो रहे व्यवधान के कारण भी माननीय सदस्य ने क्या कहा वह बिल्कुल सुनाई नहीं दिया।)

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि इस पर आप पुनः विचार करें तो यह उचित होगा। एक अध्यादेश के विरोध में कोई एक प्रदर्शन होता है। अध्यादेश सरकार का जारी किया हुआ है। ("आपकी सरकार" की आवाजें) जिस अध्यादेश का विरोध एस० एस० पी०, जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), सब ने एक मत से किया, जोर के साथ किया और घनघोर विरोध किया और बार-बार यह मांग हुई कि वह अध्यादेश वापस लिया जाय उस अध्यादेश के संबंध में हमारे दल की जो राय रही है वह भी स्पष्ट रही है और आज जो राजनैतिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसका वह अध्यादेश भी एक कारण रहा है, यह सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है। जो लोग....

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

कुर्सी से उतरने के बाद सब को ज्ञान हो जाता है। इन्हें भी ज्ञान हो गया। उतना ज्ञान तब नहीं हुआ जब पास कर रहे थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह शोभा की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं नेता सदन से कहूंगा कि जो लोग बाधा डाल रहे हैं उनको रोकिये। जब विरोधी दल के नेता बोले या नेता सदन बोलें तो सब को शान्ति से उनको सुनना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं कह रहा था कि यह शोभा की बात नहीं होती कि सरकारी पक्ष से कुछ हुल्लड़बाजी की जाय। यह विरोधी दल की तरफ से की जाय तो वह बुरा इस माने में नहीं है कि यह परम्परा उन्हीं लोगों ने स्थापित कर रखी थी जो उधर बैठे हैं। लेकिन सरकारी पक्ष से ऐसी हुल्लड़बाजी नहीं होती रही है। आज हमारे भाई, मुख्य मन्त्री माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह को ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त हो गया है जो हुल्लड़बाजी करने में एक्सपर्ट हैं। मैं, मान्यवर, निवेदन कर दूं कि जो हमारे मित्र अभी बोल रहे थे और वही नहीं, दूसरे कितनों के नाम मैं ले सकता हूं जो उस पक्ष में बैठे हुए हैं जो सुबह-शाम और दिन-प्रति-दिन मुझसे यह कहा करते थे कि ऐसा अन्याय किया है मुख्य मन्त्री चरण सिंह जी ने आप लोगों के साथ और उनकी सरकार को जल्दी उलटिये, हम आपका साथ देंगे।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

वह मैं आज भी कहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

और कुछ लोग, मान्यवर, उसमें ऐसे भी थे जो आज सरकारी बेंचों पर बैठे हुए हैं जो कहा करते थे कि अगर हम चन्द्रभानु गुप्त जी के पास चले जायं तो हमारे ऊपर उनका इतना प्रेम रहा है कि हम एक बार बात कर लें तो वह मुझे उन कुर्सियो पर बैठा देंगे।

(व्यवधान)

अब दल-बदलू कौन है मान्यवर, यह प्रत्यक्ष है।

यह अध्यादेश, मान्यवर, ऐसा था जिसका कि इस प्रदेश के सारे राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। अवश्य हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी क्योंकि हमारे मंत्री थे, लेकिन हमारे दल ने इसका विरोध किया.....

(व्यवधान)

और वह तमाम पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और जो यह राजनीतिक उलट-फेर हुआ उसका कारण जहां और थे वहां यह अध्यादेश भी एक कारण था। जो प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी ने पास करके प्रस्ताव भेजा उससे स्पष्ट है। आज उस अध्यादेश के विरोध में जुलूस निकला और वह बड़ा शान्त जलूस था, उससे अशान्ति की संभावना नहीं थी।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

मैं माननीय नेता, विरोधी दल से केवल एक जानकारी चाहता हूं कि यदि दल के जो प्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं वह एक चीज को स्वीकार करें और दल दूसरा प्रस्ताव पास कर दें कि हम उसको नहीं मानते तो क्या उस दल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है जिसके प्रतिनिधि बैठकर उस चीज को पास करते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दल की जिम्मेदारी होती है। फर्क यह है कि दल समझता है कि कोई गलती हो गयी तो उसको सुधारने की कोशिश करता है।

(व्यवधान)

आप यह समझें कि अगर यही तरीका बरतेंगे तो सरकारी पक्ष से कोई बोल नहीं पायेगा। इधर भी हल्ला हो सकता है। कुछ परम्पराओं की रक्षा कीजिये।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

यह धमकी नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं कि जब नेता, विरोधी दल बोल रहे हों तो उनकी बात शांति से सुनना चाहिये। इसी तरह से जब नेता सदन बोलें तो उनकी बात भी शांतिपूर्वक सुनना चाहिये। अगर इस तरह से एक दूसरे को शांति से नहीं सुनेंगे तो यहां का कार्य चल नहीं सकता। इसलिये आप उनको शांति से सुनें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं तो केवल यह कह रहा था कि इन परिस्थितियों में कल जो यहां घटना घटी वह सरकारी कर्मचारियों के आदेश से हुआ यह बात सही है। यह सारी घटना विधान सभा भवन के सामने हुई और सरकारी कर्मचारियों की ओर से हुई लेकिन उनके किये हुये कार्यों की कहा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

तक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सरकार पर है यह सोचने की बात है। उनके किये हुये कार्यों का उत्तरदायित्व भी आखिर सरकार के ऊपर ही आता है। यह घटना कहीं पडरौना में नहीं हुई या वह नैनीताल में नहीं घटी। विधान सभा भवन के सामने ही यहीं पर यह घटना हुई और सरकारी कर्मचारियों ने जो कुछ किया उसका उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है, यह कह कर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने का और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अवसर न देना उचित न होगा। इसलिये मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार कर लें। जो आप उचित समझेंगे आप की रूलिंग होगी लेकिन इस तरह से यह विरोधी दल का एक बड़ा भारी अधिकार छीनने की बात हो रही है। यह एक ऐसी घटना घटी है जिस पर यहां चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है, होनी चाहिये क्योंकि वह लाजिमी है और उसका औचित्य भी है।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं अब सब को मौका नहीं दूंगा। जो प्रश्न उठाया गया है केवल उसका उत्तर मैं दिये देता हूं।

(व्यवधान)

बात यह है कि ऐसे विषय चर्चा के विषय होने चाहिये इसको मैं मानता हूं लेकिन यहां की प्रथा यह रही है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिये बहुत से और भी रास्ते हैं। नियम में २ घंटे की चर्चा भी होती है और ढाई घंटे की भी चर्चा होती है, चर्चा कामरोको प्रस्ताव को लेकर भी होती है लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव का सिद्धान्त यह है कि अगर अधिकारियों की गलती से कोई चीज हुई है और सरकार की ओर से वह कार्य नहीं हुआ है तो वह इस तरह से कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय इस रूप में नहीं बन सकता। लेकिन यदि सरकार ने सीधे हुक्म दिया होता कि उनको गिरफ्तार करो या पकड़ो, ऐसा होता तो मैं इसी वक्त इजाजत दे सकता था। इस सम्बन्ध में पुरानी रूलिंग्ज भी कई दिखा सकता हूं। जो कार्य यहां कल हुआ है वह स्थानीय अधिकारियों की ओर से, उनके हुक्म से हुआ है इसलिये सरकार सीधे जिम्मेदार नहीं है, वैसे तो सरकार पूरे प्रदेश के लिये उत्तरदायी है लेकिन कामरोको प्रस्ताव उपस्थित होने का विषय तभी बनता है जब सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा दी हो। यह सब यहां सरकार की आज्ञा से नहीं हुआ। इसलिये इसको दफा ५२ में लाया जा सकता है, उस की मैं इजाजत दे दूंगा क्योंकि सभी लोग इसमें रुचि रखते हैं।

श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा--फतेहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा आन्दोलन हो रहा है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इसलिये इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय न बनाइये और चर्चा का विषय यह बन सकता है। यही सोचकर मैंने कहा है कि कल सबेरे ही जल्द से जल्द सरकार इस विषय में अपना वक्तव्य दे दे और उसके बाद यदि मांग की जायगी तो यह चर्चा का विषय भी हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

इतने अहम मसले पर एक प्रस्ताव नेता, विरोधी दल की ओर से आया। इतना बड़ा कांड यहां विधान भवन के सामने हुआ, जिसमें संसद के सदस्य विधान भवन के सामने पीटे गये

और इस सदन के सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में यह कहा जाय कि कामरोको प्रस्ताव यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह कहना कि सरकारी अधिकारियों के आदेश से ऐसा हुआ और इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, उचित नहीं है। किसी माननीय सदस्य को यह मालूम ही नहीं हो सकता कि सरकारी आदेश किस तरह से कब हुये और हम इस तरह से कभी कामरोको प्रस्ताव ला ही नहीं सकते। यह बात कह कर तो आप यहां एक नई चीज पैदा कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष--

यह पहले से होता रहा है, मैं पुरानी रूलिंग पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल--

यह जिम्मेदारी सरकार की है, यह तो आप नई चीज पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

यह आप कामरोको प्रस्ताव में स्वीकार न करके हमारे साथ और विरोधी पक्ष के साथ अन्याय कर रहे हैं। सारे विरोधी पक्ष की ओर से यह प्रस्ताव आया है। नेता विरोधी दल की ओर से यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और आप उसको कहते हैं कि एक वक्तव्य दिला देंगे। आप एक नयी परम्परा कायम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस बिषय पर फिर से विचार करें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैंने भी एक कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

(शोर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी--

श्रीमन्, मैंने भी एक कामरोको प्रस्ताव उसी प्रकार का दिया था जैसा कि अन्य सदस्यों और माननीय नेता सदन ने दिया था। अभी आपने रूलिंग दी कि अगर शासन की ओर से वह आज्ञा दी गयी होती तो आप चर्चा के लिए मेरा कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कर लेते। लेकिन शासन की ओर से यह चीज नहीं हुयी बल्कि स्थानीय अधिकारियों की ओर से यह गिरफ्तारी वगैरह हुयी। अगर इस प्रकार की घटना विधान भवन के समक्ष हुयी हैं तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इस अपनी रूलिंग के द्वारा आपने एक अजीब परिस्थिति पैदा कर दी। दल की जो घटना हुयी और जो रूलिंग आपने पढ़ कर सुनायी, उसमें काफी अन्तर है। कल ऐसा नहीं था कि कोई विधान सभा का सदस्य...

(व्यवधान)

पुलिस अधिकारियों द्वारा मैजिस्ट्रेट के आर्डर से दफा १४४ के अन्दर गिरफ्तारी हुयी। यह ऐसा कानून नहीं है कि जो शासन से सम्बन्ध न रखता हो। अगर आप यह कहते हैं कि स्थानीय कलेक्टर, एस० पी० या डी० एस० पी० की आज्ञा से हुआ और वे सरकार के अंग नहीं होते हैं तो फिर ये सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं। मैं यह आपसे परिभाषा जानना चाहती हूं। सरकार अपने सारे काम कलेक्टर, एस० पी० या डी० एस० पी० द्वारा चलाती है। सरकारी

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी]

आदेश का तात्पर्य यह नहीं है कि उस पर मंत्री, होम सेक्रेटरी ही हस्ताक्षर करें और फिर गिरफ्तारी हो। कल जो कुछ भी गिरफ्तारी हुयी, उसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। कल जो अमानुषिक तरीके से पीटा गया वह असहनीय है। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि अभी-अभी लोक सभा में कुछ दिन हुए संसद सदस्यों के खिलाफ अभद्र व्यवहार के कारण पुलिस अधिकारियों को माफी मांगनी पड़ी और हमारी सरकार ने हमारी एसेम्बली के सामने ही संसद सदस्यों के कुर्ते फड़वाये। आज के अखबार से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारी जनेश्वर मिश्रा को खींच कर ले जा रहे हैं।

यह व्यवहार संसद सदस्य के साथ हुआ हमारी विधान सभा के सामने। हमारे इलाहाबाद के एक सज्जन, श्री राजाराम अनुरागी थे, उनको भी पीटा गया। उनकी पीठ पर २ निशान पड़े हैं। इसी प्रकार एक और इलाहाबाद के सज्जन थे जिनका नाखून पीटे जाने के कारण फट गया।

(व्यवधान)

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव पर हमें चर्चा करने का अवसर दें।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कोई बात कहने के पहले बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि यह हिस्सा कभी-कभी अछूता रह जाता है। दो बातें इसमें हैं जिनके सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाया गया। एक बात तो यह है कि यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हो सकता है या नहीं। उसमें आपने अपनी व्यवस्था व्यक्त कर दी कि यह सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अधिकारियों से सम्बन्धित है और उसके साथ-साथ आपने कहा कि यह महत्व का प्रश्न है इस पर चर्चा होनी चाहिये और इस बीच में आदरणीय नेता विरोधी दल ने इसके महत्व को बताने के लिये कुछ बातें कहीं। मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न मैं कहता लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल ने इसके महत्व को बताने के सम्बन्ध में, यह अध्यादेश कैसे बना, और इस अध्यादेश का महत्व किस लिये अधिक है, उसको बताया, इस कारण से मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं कि यह अध्यादेश कैसे बना और उसमें आपका और विरोधी दल का क्या सहयोग था। क्योंकि वाकयात की गलत बात सदन के सामने न आवे इसलिये हर सदस्य की और मेरी भी जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में अध्यादेश जब आया तो विरोधी दल की, जो आज विरोधी दल है और बी० के० डी० की सरकार थी....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

कामरोको प्रस्ताव है या....

श्री अध्यक्ष—

समय समाप्त हो गया। समय बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। पांच बज गये हैं। लिहाजा अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ दिसम्बर, १९७०।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर]

एटा जिले में ६ सरकारी कृषि फार्मों पर वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ व १९६८–६९ में बोई गई फसलें, उनकी पैदावार, व्यय तथा पैदावार से अधिक व्यय एवं खर्चे से अधिक पैदावार का विवरण।

क्रम-सं०	बोई गई फसलों का नाम	फसलों के पैदा होने की आय (रुपयों में)	फसलों पर किया गया व्यय (रुपयों में)	पैदावार से अधिक खर्चा (–) खर्चे से अधिक पैदावार (+)
१	२	३	४	५
१	गेहूं ..	४,३७,२६२.१३	१,६८,१६०.६१ (+)	२,३६,१०१.५२
२	जौ ..	२४,८७२.२५	१५,२३७.८१ (+)	६,६३४.४४
३	चना ..	४,८२३.५१	२,७६७.१६ (+)	२,०२६.३२
४	मटर ..	२२,७७६.०६	१३,०६६.३६ (+)	६,७०६.७०
५	बेशड़ ..	१२,२५६.४६	७,४६२.३१ (+)	४,७६७.१५
६	धान ..	२६,८६४.७५	३२,६७६.८६ (–)	३,०८५.११
७	मक्का ..	१८,०४२.७७	२२,७३०.४८ (–)	४,६८७.७१
८	बाजरा	१८,२४२.४५	१३,८०४.४१ (+)	४,४३८.०४
६	मूंगफली	३,३८२.२०	४,८१३.७३ (–)	१,४३१.५३
१०	कपास	१३,०८१.६४	१२,७३५.२१ (+)	३४६.४३
११	मूंग ..	६,०२५.५४	७,७२०.३५ (–)	१६८४.८१
१२	आलू ..	२१,०४८.४४	१६,३६३.३५ (+)	४,६८५.०६
१३	ज्वार ..	६४३.००	३३७.८६ (+)	३०५.११
१४	गन्ना ..	६२६.०६	२,००८.०३ (–)	१,०८१.६४
१५	ज्वार ..	१,१६०.००	३,२४७.२२ (–)	२,०५७.२२
१६	अन्य फसलें	१०,१८६.६२	५,६८८.२७ (+)	४,२०१.३५
	योग ..	६,२४,८६२.६१	३,५६,५१६.०८ (+)	२,६५,१७६.८३

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८५ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची।

(१) खंड २ की पंक्ति २ में शब्द 'से' और 'निरस्त' के बीच का अर्द्ध-विराम (कामा) हटा दिया गया है।

(२) खंड ६ की पंक्ति २ में प्रथम शब्द 'अधिनियम' के पहिले शब्द 'इस' बढ़ा दिया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८५ पर)

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि तथा भू-गृहादि विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची।

(१) खंड २३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (क) (१) की पंक्ति ३ में अंक '३' के स्थान पर शब्द 'तीन' रख दिया गया है।

(२) खंड २३ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (ख) (३) की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'दी' से पहले शब्द 'आज्ञा' जोड़ दिया गया है। (मुद्रण-त्रुटि की शुद्धि)।

(३) खंड २५ में मूल अधिनियम की धारा २७ की प्रस्तावित उपधारा (१-क) की पंक्ति २ में शब्द 'क्षिप्र' के स्थान पर शब्द 'सरसरी तौर से' रख दिये गये हैं।

(४) खंड २७ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नयी धारा ७१-क की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उपलब्ध' के स्थान पर शब्द 'उपलभ्य' कर दिया गया है, और पूर्ण विराम के बाद "चिह्न" रख दिया गया है (मुद्रण-त्रुटि की शुद्धि)।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८९ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को प्राधिकृत किया गया हूं। अतः मैं समिति का प्रतिवेदन, उसके द्वारा संशोधित विधेयक सहित, प्रस्तुत करता हूं।

२---यह विधेयक विधान सभा में २२ मई, १९७० को पुरःस्थापित किया गया और दिनांक २५ मई, १९७० के उत्तर प्रदेश के असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। सदन की प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट करने का निम्नलिखित संशोधन श्री रियासत हुसैन ने राजस्व मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा के इस प्रस्ताव में २९ जून, १९७० को प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

"उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे तथा जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)"

श्री रियासत हुसैन द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त संशोधन २९ जून, १९७० को स्वीकार हुआ। श्री चतुर्भुज शर्मा, राजस्व मंत्री ने १ जुलाई, १९७० को यह प्रस्ताव किया कि:---

"उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर प्रस्तावित प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये जायें:---

(१) श्री सत्तार अहमद,
(२) श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर),
(३) श्री फिरंगी प्रसाद,
(४) श्री मंगल उपाध्याय,
(५) श्री रामकिंकर (उपमंत्री),
(६) श्री शिवकुमार मिश्र (शाहजहांपुर),
(७) श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (झांसी),
(८) श्री रामसूरत सिंह (गाजीपुर),
(९) बेगम हबीबुल्ला (बाराबंकी),
(१०) डा० हरि प्रसाद शाही (गोरखपुर),
(११) श्री रामकुमार दीक्षित,
(१२) श्री गंगा प्रसाद (एटा),
(१३) श्री त्रिवेणी सहाय,
(१४) श्री विजय बहादुर सिंह,
(१५) श्री रामधारी शास्त्री,

(१६) श्री सजीवन लाल,

(१७) श्री सरदार चंचल सिंह,

(१८) श्री माता प्रसाद ।"

३—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५२ के उपनियम (२) के अधीन श्री चतुर्भुज शर्मा, राजस्व मंत्री, जो इस समिति के पदेन सदस्य थे, उपर्युक्त नियमावली के नियम २०१ (१) के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा उक्त प्रवर समिति के सभापति नियुक्त किये गये।

४—दिनांक १९ जलाई, १९७० से राजस्व कार्य विभाग श्री चतुर्भुज शर्मा के पास से मुझे स्थानान्तरित हो जाने के कारण श्री चतुर्भुज शर्मा इस प्रवर समिति के सदस्य नहीं रहे और उनके स्थान पर मैं उक्त समिति का पदेन सदस्य हो गया। श्री अध्यक्ष विधान सभा ने अपने २७ जुलाई, १९७० के आदेश द्वारा मुझे इस प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया ।

५—उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (द्वितीय अंक) के करण संख्या ६१ के अनुसार मैंने श्री अध्यक्ष को एक प्रतिवेदन ३ अगस्त, १९७० को प्रस्तुत किया कि यह समिति अपना कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं कर पायी है और यह समिति अपना कार्य १५ सितम्बर, १९७० तक अवश्य समाप्त कर लेगी। इस समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये आवश्यक समय बढ़ाने का प्रस्ताव यथासमय सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

६—समिति की कुल चार बैठकें विधान भवन, लखनऊ में हुई जिसमें विचाराधीन विधेयक तथा उसके खण्डों में प्राप्त संशोधनों एवं उसके सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया। ये बैठकें ३१ जुलाई, १ अगस्त, २० अगस्त, २१ अगस्त, १९७० को हुई। समिति ने अपने २० अगस्त, १९७० के उपवेशन में विधेयक पर खण्डशः विचार किया तथा उसकी अन्तिम दिन की बैठक में समिति का प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। विधेयक में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति की अभ्युक्तियों का विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है। समिति द्वारा संशोधित विधेयक की प्रतिलिपि तथा समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण क्रमशः नत्थी (क) तथा (ख) के रूप में संलग्न है।

७—खण्ड १ के उप खण्ड (२) द्वारा अधिनियम को १ जुलाई, १९७० से अनुदर्शी प्रभाव देने का उपबन्ध था। यह उपबन्ध इस कारण रखा गया था कि यदि २२ मई, १९७० को विधान सभा में पुरःस्थापित किये गये इस विधेयक का अधिनियमन पहली जुलाई, १९७० के पूर्व हो गया होता तो कृषि वर्ष १९६९—७० के सम्बन्ध में भी सम्बद्ध व्यक्ति यह छूट प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते, जब कि मंशा यह थी कि यह छूट १ जुलाई, १९७० को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से ही दी जाय। किन्तु चूंकि अब इस विधेयक का अधिनियम १ जुलाई, १९७० से पूर्व हो सकने का प्रश्न ही नहीं रह गया है, इसलिये अब यह कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है कि विधेयक द्वारा प्रस्तावित अधिनियम कब से प्रवृत्त होगा। यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ५ (१) (बी) में विद्यमान प्राविधान के अनुसार यह अधिनियम स्वतः ही उस दिनांक को प्रवृत्त हो जायेगा जिस दिनांक को यह गजट में प्रकाशित किया जायेगा। अतः खण्ड १ का उप खण्ड (२) निकाल दिया गया है और छूट १ जुलाई, १९७० को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से प्रभावित हो जाने का उपबन्ध खण्ड ३ में कर दिया गया है, जहां तीन सही एक बटे आठ एकड़ से अनधिक क्षेत्रफल की भूमि को धारण करने वाले भूमिधरों और सीरदारों को मालगुजारी के दायित्व से छूट पाने का अधिकारी बनाया गया है।

८—खण्ड ३ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २४७—ख की उप धारा (३) में निहित प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव सभा सर्किल के सम्बन्ध में छूट के हकदार व्यक्तियों

की सूची प्रकाशित किये जाने का उपबन्ध है। समिति ने इस उपधारा में यह उपबन्ध भी बढ़ा दिया है कि नियत प्राधिकारी ऐसी सूची का संगत उद्धरण सम्बन्धित व्यक्तियों को भी वितरित करायेगा।

९—खण्ड ४ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (२) में प्रस्तावित खण्ड (कक क) की पंक्ति १ में शब्द 'काश्तकारों' के स्थान पर अधिक उपयुक्त शब्द 'खातेदारों' रख दिया गया है।

मैं समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने, विधेयक का अध्ययन करके उसके दोषों को सामने रखा और आवश्यक संशोधनों द्वारा विधेयक में सुधार कराया। मैं विधान सभा सचिवालय तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों व उप-विधि परामर्शों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति के कार्यों में सहायता दी।

श्रीपति मिश्र
सभापति,
प्रवर समिति

लखनऊ,
२१ अगस्त, १९७० ई०।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। विधेयक में से निकाला गया अंश कोष्ठकों [ ] में रख दिया गया है और नया बढ़ाया गया अंश रेखांकित कर दिया गया है।)

छोटे क्षेत्रपतियों के पक्ष में मालगुजारी से छूट देने तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—[(१)] यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

[(२) यह प्रथम जुलाई, १९७० को प्रवृत्त होगा।]

१९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा ३ का संशोधन

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में, खण्ड (८-क) के उप-खण्ड (क) में अंक तथा शब्द "६.२५ एकड़" के स्थान पर अंक तथा शब्द "४.६८७५ एकड़" रख दिये जायं।

नयी धारा २४७-ख का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा २४७-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय दशाओं में मालगुजारी देने के दायित्व से छूट

२४७-ख—(१) धारा २४५, २४६ तथा २४७ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमिधर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल तीन सही एक बटे आठ एकड़ से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को उस वर्ष के संबंध में देय मालगुजारी के दायित्व से छूट होगी। यह छूट प्रथम जुलाई, १९७० से प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से प्रभावी होगी।

(२) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, यह निश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि वह उपधारा (१) में उल्लिखित छूट का हकदार है या नहीं, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायगा जो नियत किया जाय किन्तु कोई ऐसा अवधारण खाते से सम्बन्धित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा।"

(३) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक गांव सभा सर्किल के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की, जो उपधारा (१) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची, जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किये जायेंगे, तैयार करेगा, और ऐसे दिनांक के पूर्व प्रकाशित करेगा, जो नियत किये जायं [।] और ऐसी सूची का संगत उद्धरण संबंधित व्यक्तियों को वितरित करायेगा।

(४) उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगा।

(५) इस धारा के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी खाते के लिये निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायगी, और सभी प्रयोजनों के लिये, और विशेष रूप से, किसी सीरदार की दशा में, धारा १३४ के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं, हैं।

धारा २६४ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा २६४ के उपधारा (२) में खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:

"(ककक) प्राधिकारी जो धारा २४७-ख में उल्लिखित छूट पाने के हकदार [काश्तकारों] खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ऐसी सूची में दर्ज किये जाने वाले ब्योरे, सूची का प्रपत्र, उसके प्रकाशित की रीति, दिनांक जिनके पूर्व प्रकाशित हो जायगी, रीति जिसके अनुसार तथा समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज ब्योरे में किसी लुप्ति के या उसके विरुद्ध आपत्तियां की जा सकती हैं, और रीति जिसके अनुसार तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा, और उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बद्ध विषय"।

धारा ३३७ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा ३३७ में खण्ड (कक) निकाल दिया जाय।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है जिससे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रपतियों को, जिनकी उत्तर प्रदेश में भूमि का कुल क्षेत्रफल तीन सही एक बटे आठ एकड़ से या, बुन्देलखण्ड में या इलाहाबाद, आगरा, इटावा और मथुरा जिलों के यमुना पार भागों में, और मिर्जापुर जिले के कुछ भागों में स्थित भूमि की दशा में, उक्त क्षेत्रफल के डेढ़ गुने से अधिक न हो,मालगुजारी देने के दायित्व से छूट देने के सम्बन्ध में अपने निर्णय को कार्यान्वित कर सके।

२—इस अवसर पर कुल अन्य छोटे-मोटे संशोधन भी किये जा रहे हैं, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है :

(क) उक्त अधिनियम की धारा ३३७ में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६९ द्वारा उसमें संशोधन के पूर्व, यह व्यवस्था थी कि उक्त अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन निश्चित क्षेत्रफल की गणना करने के प्रयोजनार्थ उक्त धारा में अभिदिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो एकड़ की गणना एक एकड़ के रूप में की जायेगी, और इसी आधार पर धारा ३ (८—क) (क) में उक्त क्षेत्रों में "टुकड़े" की परिभाषा का तात्पर्य ६.२५ एकड़ से कम भूमि से था। बाद में, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६९ द्वारा उक्त धारा ३३७ में शब्द "२ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जायगा" के स्थान पर शब्द "डेढ़ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जायगा" रखे गये थे किन्तु असावधानीवश धारा ३ (८—क) (क) में आनुषंगिक संशोधन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस धारा में निर्दिष्ट क्षेत्रों में, ६.२५ एकड़ से कम भूमि "टुकड़ा" ही मानी जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से, विधेयक के खण्ड २ द्वारा आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

(ख) उक्त धारा ३३७ में, उल्लिखित अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ नैनीताल जिले के तराई और काशीपुर परगने का भी उसमें उल्लेख है। हाल के वर्षों में, इन दो परगनों में, कृषि उपज में हुई विशेष वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, उन्हें बुन्देलखण्ड आदि के साथ अब पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिये उक्त धारा में संगत खण्ड निकाला जा रहा है।

चतुर्भुज शर्मा,

राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० अन्तर्ग्रस्त विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान

विधेयक का खण्ड ४ राज्य सरकार को विधेयक के खण्ड ३ द्वारा बढ़ाई गई नई धारा २४७–ख के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये पीछे पृष्ठ १०० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ में संशोधन के लिये एक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम १९७०, कहलायेगा ।

(२) यह ११ अगस्त, १९७० को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, १९६१, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा ३ में—

(१) उपधारा (३) में—

(क) अंक तथा शब्द "६ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "नौ प्रतिशत" रख दिये जायें ;

(ख) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन देय ब्याज, भले ही ऐसे ब्याज के निर्धारण आरोपण या मांग का कोई आदेश या नोटिस किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया या जारी किया गया न हो, वसूल किया जा सकेगा ।" ;

(२) उपधारा (५) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोप से क्षुब्ध कोई व्यक्ति," के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के आदेश या उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोपण के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की उसे सूचना होने के तीस दिन के भीतर" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

वैधीकरण

३—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन देय किसी ब्याज की वसूली के लिये किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही वैध और सदैव से वैध रही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम की धारा २ के खंड (१) (ख) व (२) के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत थे, और तदनुसार ऐसे ब्याज की वसूली

के लिये कोई भी कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पूर्व ऐसे व्याज के निर्धारण, आरोपण या मांग के किसी आदेश या नोटिस के न होने के कारण न तो अवैध समझी जायगी और न कभी अवैध होगी ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ५ का निरसन

४—उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय ५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

प्रवर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ में यह प्राविधान है कि यदि देय कर निर्धारित दिनांक तक भुगतान न किया जाय तो उस पर उस दिनांक से भुगतान के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। अभी हाल में उच्च न्यायालय के एक निर्णय को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अध्याय ५ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ३ को यह स्पष्ट करने के लिये संशोधित किया गया कि ब्याज निर्धारित दिनांक से स्वतः उपार्जित होगी और तदर्थ, अभिव्यक्त आदेश देने या मांग की नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर का लाभ मौजूदा ब्याज की दर को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ाकर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष करने के लिये उठाया गया। इस विधेयक का उद्देश्य उक्त अध्यादेश के अध्याय ५ के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करना है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ १०० पर)

विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०

तराई क्षेत्र में और उसके आसपास उगाय गये अतिरिक्त गन्ने का यथा सम्भव पूरा-पूरा उपयोग करने की दृष्टि से जिससे उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहायता विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के या उसके द्वारा धृत कार्यविरत प्लान्ट का शक्कर के उत्पादन के लिये जो कि एक आवश्यक वस्तु है, उपयोग और पर्याप्त संख्या में लोगों के सेवायोजन की व्यवस्था हो सके तथा उपक्रम का इस प्रकार प्रबन्ध करने की दृष्टि जिससे सामान्य हित का अधिकाधिक पोषण हो, राज्य सरकार को लोकहित में उक्त प्लान्ट को चला सकने के लिये सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त प्लान्ट तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त, नाम

१—यह अधिनियम विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

परिभाषायें

२—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से है जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में यथा परिभाषित ऐसी कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय किच्छा, जिला नैनीताल में है ;

(ख) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिला नैनीतल के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(ग) "न्यायालय" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश, नैनीताल के न्यायालय से है ;

(घ) कम्पनी के "उपक्रम" का तात्पर्य किच्छा, जिला नैनीताल में स्थित कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि और भवनों से है, जिसके अन्तर्गत किच्छा में शक्कर के कारखाने को जैसा वह १२ सितम्बर, १९७० के ठीक पूर्व कम्पनी के स्वामित्व, कब्जा, अधिकार या नियन्त्रण में था स्थापित करने और चलाने [जिसके लिये इंडस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अधीन कम्पनी ने लाइसेंस प्राप्त किया था से सम्बन्धित नालियां, पुलियां, पुल, सड़कें, स्टोरहाउस तथा चिमनी, टरबाइन और बायलर्स जिसमें नींव, उपरी ढांचा (सुपरस्ट्रक्चर) तथा छत भी सम्मिलित है] और रेलवे साइडिंग, नलकूप, विद्युत अधिष्ठान तथा अन्य आनुषंगी पदार्थ (अपार्टीनेन्सेज) और फिक्सचर्स, और किच्छा में स्थित भूमि और भवनों में कम्पनी द्वारा धृतपट्टेदादी अधिकार या कोई अन्य हित भी है और सम्पूर्ण प्लान्ट और मशीनरी और अन्य सज्जा [जिस में मिलिंग प्लांट, बाईलिंग हाउस सज्जा तथा शक्कर बनाने की अन्य मशीनरी

वर्कशाप मशीनरी गन्ना उतारने की सज्जा तथा पावर प्लांट, फर्नीचर, लोकोमोटिव्स और अन्य गाड़ियां, तोलन पट्ट (वे ब्रिज) और क्रेन्स सम्मिलित है और स्टोर्स, प्लांस, सेक्शन्स, ड्राइंग्स, डिजाइन तथा अन्य लेख्य हैं, किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी रोकड़ बाकी, हस्तस्थ रोकड़, रक्षित निधि, विधि नियो और खाता ऋण, या (ऐसी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों से भिन्न जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है,) कोई अन्य सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां जिनका सम्बन्ध उक्त शक्कर के कारखाने की प्रस्तावित स्थापना और उसे चलाने से न हो या ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों से, जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है, सम्बन्धित संविदों से भिन्न किसी संविदा से प्रोद्भूत कोई अधिकार या दायित्व नहीं है ।

निहित होना

३—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, कम्पनी का उपक्रम इस अधिनियम के सामर्थ्य से कम्पनी के या उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगा और उसमें निहित हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी ऋण बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार उपक्रम के स्थान पर धारा ८ में अभिदिष्ट प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा ।

निहित होने का सामान्य प्रभाव

४—इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये कंपनी के उपक्रम से सम्बन्धित सभी संविदायें, जो १२ सितम्बर, १९७० के ठीक पूर्व प्रचलित रही हों और जिनसे कम्पनी पर प्रभाव पड़ता हो, कम्पनी या किसी ऐसे व्यक्ति के जो प्रतिभू हो या जिसने उनके अनुपालन के लिये प्रत्याभूति दी हो विरुद्ध प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जायेगी और राज्य सरकार के विरुद्ध या पक्ष में उसी प्रकार पूर्णतया प्रवृत और प्रभावी होगी और उसी प्रकार पूर्णतया तथा प्रभावकारी ढंग से प्रवर्तनीय होगी मानो उनमें कम्पनी के बजाय राज्य सरकार का नाम हो अथवा वह उनमें एक पक्ष हो ।

सम्पत्ति आदि का कब्जा देने का कर्त्तव्य

५—(१) यदि कोई सम्पत्ति धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाय तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में सम्पत्ति हो, तुरन्त सम्पत्ति कलेक्टर को सौंप देगा ।

(२) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर कम्पनी से सम्बन्धित कोई ऐसे बही, लेखा या अन्य पत्रादि हों जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों और जो कम्पनी के होते यदि कम्पनी का उपक्रम राज्य सरकार में निहित न होता, उक्त बहियों, लेखों आर पत्रादिके लिये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और उन्हें कलेक्टर को सौंप देगा ।

(३) राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये, कलेक्टर ऐसी सभी सम्पत्तियों का जो धारा ३ के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हो, कब्जा लेने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा, और विशेष रूप से ऐसे बल का प्रयोग करने का प्राधिकार दे सकती है, जो आवश्यक हो ।

ब्योरे प्रस्तुत करने का कर्तव्य

६—कम्पनी, ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिये राज्य सरकार तदर्थ अनुज्ञा दे, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को जिससे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे अपने उपक्रम में समाविष्ट सभी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की तथा उनकी प्रतिभूति पर पर उपगत और १२ सितम्बर, १९७० को प्रचलित कम्पनी के सभी दायित्यों तथा आभारों की और धारा ४ में अभिदिष्ट सभी संविदाओं की भी एक पूरी तालिका प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये कम्पनी को सभी उचित सुविधायें देगी ।

कतिपय संविदाओं को अस्वीकार करने का सरकार का अधिकार

७—(१) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी ऐसी संविदा का किया जाना, जिसके अधीन कम्पनी का दायित्व हो या होगा अथवा हो सकता हो, कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से २ वर्ष के भीतर संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकती है, और यदि न्यायालय का इस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि संविदा कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं थी अथवा वह सद्भावना से नहीं की गयी थी तो वह संविदा रद्द करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का आदेश ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, दे सकता है, और तदुपरान्त संविदा प्रभावी न रह जायगी या, जैसी भी दशा हो, ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुये प्रभावी होगी ।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची के आदेश ६ और ७ की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा मानो वह आवेदन वाद-पत्र हो और संविदा के, जिसे रद्द करने या जिसमें परिवर्तन करने की याचना हो, सभी पक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनाये जायेंगे ।

उपक्रम का अर्जन करने के लिये प्रतिकर

८—(१) राज्य सरकार, कम्पनी के उपक्रम का अर्जन करने के लिये कम्पनी को प्रतिकर के रूप में १,३१,५९,३७२ रुपये (एक करोड़ इक्तीस लाख उन्सठ हजार और तीन सौ बहत्तर रुपये) की धनराशि का उसमें से ऋण तथा उस पर ब्याज (जिसके अन्तर्गत दंड स्वरूप ब्याज भी है) और कर (जिसके अन्तर्गत शास्ति की राशि भी है) की उस सम्पूर्ण धनराशि को जो कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को देय हो काटने के पश्चात् भुगतान करेगी ।

(२) प्रतिकर की धनराशि का उक्त शेष उस दिनांक से जब धारा ५ में अभिदिष्ट सम्पत्ति, बहियां, लेख्य या अन्य पत्रादि यथा विधि सौंप दिया जाय या उस दिनांक से जब धारा ६ में अभिदिष्ट ब्योरे यथाविधि दे दिये जायें, जो भी पश्चातवर्ती हों, (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) छः माह के भीतर कम्पनी के नाम न्यायालय में जमा किया जायगा और उक्त दिनांक के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

(३) प्रतिकर की उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक से न्यायालय में जमा किये जाने के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(४) उपधारा (१) में अभिदिष्ट कटौतियों की शुद्धता के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा और यदि न्यायालय यह उपपादित करें कि काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को वस्तुतः देय धनराशि से अधिक है तो राज्य सरकार उपधारा (३) में निर्दिष्ट ब्याज सहित अन्तर का भुगतान करेगी ।

(५) कम्पनी के उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऐसे ऋण बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार आधार पर कोई दावा, जो धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्रतिकर से सम्बद्ध हो, चाहे उसके आधार पर कोई डिक्री प्राप्त की गयी हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः माह के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रत्येक ऐसा दावा सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची के आदेश ६ और ७ की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, मानो वह कोई वाद-पत्र हो ।

(६) न्यायालय उपधारा (१) के अधीन किये गये प्रत्येक भुगतान और उपधारा (५) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे की सूचना कम्पनी को देगा ।

(७) उपधारा (१) या उपधारा (४) के अधीन न्यायालय में जमा की गयी धनराशि न्यायालय द्वारा उपधारा (५) के अधीन किसी दावे के सम्बन्ध में दिये गये अपने न्याय-निर्णय के अनुसार चुका दी जायेगी, और न्यायालय किसी ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग को निकालने या विनियोजित करने के संबंध में ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक और इष्टकर समझे ।

अपील

९—धारा ७ या धारा ८ के अधीन न्यायालय का प्रत्येक अन्तिम विनिश्चय और प्रत्येक ऐसे विनिश्चय के आधारों का कथन, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा २ के क्रमशः खंड (२) और (९) के अर्थ में डिक्री और निर्णय समझा जायगा और मूल डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों पर प्रयोज्य उक्त संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुये, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी और उच्च न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

शास्तियां

१०—(१) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कम्पनी के उपक्रम का भाग हो, रखते हुये, धारा५ के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस सम्पत्ति को कलेक्टर को देने से रोक लेता है ; या

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति का जो कम्पनी के प्रक्रम का भाग हो और जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, अनुचित रूप से कब्जा प्राप्त कर लेता है; या

(ग) किसी ऐसे लेख को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हो और जिसे धारा ५ के अधीन देना उससे अपेक्षित हो कलेक्टर को देने से जानबूझ कर रोकता है या उसको नहीं देता है; या

(घ) धारा ६ की अपेक्षानुसार तालिका जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है; या

(ङ) उससे ऐसी तालिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने पर, उसमें किन्हीं ऐसे ब्योरों को देता है जो मिथ्या हों और जिन्हें वह या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है,

ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(२) उपधारा (१) के खंड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय, अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जायगा, अनुचित रूप से रोकी गयी या अनुचित रूप से प्राप्त की गयी किसी सम्पत्ति अथवा जानबूझकर रोके गये या प्रस्तुत न किये गये किसी लेख्य को सौंप दे या वापस कर दे ।

(३) कोई भी न्यायालय सिवाय राज्य सरकार की या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

११—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो कम्पनी और साथ हीं प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो वह इस धारा में की गयी किसी बात से किसी दन्ड का भागी नहीं होगा ।

(२) उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटेरीज और ट्रेजसर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

१२—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध अथवा कम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

१३—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल १४ दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

१४—विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, १९७० का निरसन

उद्देश्य और कारण

बिष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड, किच्छा, जिला नैनीताल को वर्ष १९५६ में २,००० टन प्रतिदिन पेराई की क्षमता की एक चीनी मिल किच्छा में स्थापित करने के लिये भारत सरकार ने एक लाइसेंस दिया था। राज्य सरकार द्वारा अग्रिम ऋण तथा प्रत्याभूति के रूप में दी गई सहायता के तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्य वित्तीय संस्थाकों द्वारा दी गई सहायता के बावजूद फैक्ट्री अभी तैयार न हो सकी। अतएव राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के हित में एवं तराई अंचल के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रख कर तथा उक्त फैक्ट्री को पूर्ण करने एवं उसके प्लांट को चालू करने की दृष्टि से उसे ले लने का निश्चय किया है। तद्नुसार, बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, १९७०, दिनांक १२ सितम्बर, १९७० को प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

त्रिभुवन नारायण सिंह,
मुख्य मंत्री।

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ १०१ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९७०" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय । — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४७ की धारा १ का संसोधन ।

३—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश १९७० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । — उ० प्र० अध्यादेश सं० १९, १९७० का निरसन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

यूनाइटेड प्राविन्सेस (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९७० को समाप्त हो रही थी। आवास समस्या अब भी जटिल बनी हुई है। नागर क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में, राज्य में नये भवनों का निर्माण नहीं हो रहा है। परिणामतः खाली भवनों की उपलब्धि तथा उनकी मांग में अभी काफी अन्तर है। निवास स्थानों की कमी के कारण उपलब्ध निवास स्थानों को किराये पर उठाये जाने पर नियन्त्रण रखना और बेदखली पर प्रतिबन्ध बनाये रखना आवश्यक है। उक्त ऐक्ट के कार्यान्वयन के दौरान उसमें जो त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं उनका निराकरण करने के लिये एक बृहत विधेयक "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०" विधान सभा में विगत ११ मई, १९७० को पुरःस्थापित किया गया था। उक्त विस्तृत विधेयक, सम्प्रति, विधान मंडल की संयुक्त प्रवर समिति के विचाराधीन है। इसी बीच उक्त ऐक्ट के अवधि को उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७० द्वारा छः माह के लिये, अर्थात् ३१ मार्च, १९७१ तक बढ़ा दिया गया है। चूंकि वृहत विधेयक के विधायन तथा तदुपरान्त उसके विधिवत् प्रशासन के प्रबन्ध में अभी कुछ समय और लगने की सम्भावना है, अतएव, प्रस्तुत विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश (टम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐंन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७० को प्रतिस्थापित करके मूल ऐक्ट की अवधि को अग्रेतर ३० सितम्बर, १९७१ तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है किन्तु उक्त वृहत विधेयक में इस अधिनियम के पूर्व निरसन का प्राविधान कर दिया गया है।

२—तदनुसार, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पुरःस्थापित किया जाता है।

कुदसिया बेगम,
मंत्री
खाद्य तथा रसद विभाग।

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पष्ठ १०१ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि -व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० और यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

उ०प्र० अधि नियम संख्या १, १९५१

विधेयक

उ०प्र० अधि नियम सं० १, १९६१, यू०पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

अध्याय २

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का संशोधन

१९५१ई० का उ०प्र० अधि-नियम सं० १ की धारा ३ का संशोधन

२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ में खंड (८—क) के उप-खंड (क) में अंक तथा शब्द "६.२५ एकड़" के स्थान पर अंक तथा शब्द "१.८९ हेक्टयर (४.६८७५ एकड़)" रख दिये जायं ।

धारा १९८ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १९८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा १९५ और १९७ के अधीन भूमि उठाने में व्यक्तियों का तार-तम्य ।

"१९८—(१) धारा १९५ या धारा १९७ के अधीन व्यक्तियों को सीरदार या आसामी के रूप में भूमि उठाते समय (जिसे और आगे इस धारा में "भूमि की प्रदेशना" कहा गया है) भूमि प्रबन्धक समिति, धारा १७८ के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण करेगी:—

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था जो कृषि , उद्यानकरण अथवा पशुपालन में शिक्षा देती हो या इन विषयों में अन्वेषण कार्य की व्यवस्था करती हो;

(ख) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल

में रहने वाली भूमिहीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां और उसके भूमिहीन माता-पिता;

(ग) मण्डल में रहने वाला कोई व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमि अर्जित करने से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसकी भूमि अनिवार्यत: अर्जित किये जाने के कारण भूमिहीन हो गया हो;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा से (अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न) निवृत्त, निर्मुक्त या सेवामुक्त हो;

(ङ) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित जिसे कोई राजनीतिक पेन्शन न मिली हो;

(च) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(छ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ज) कोई भूमिधर, सीरदार या असामी जिसके पास मण्डल में १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से कम क्षेत्रफल की भूमि हो;

(झ) कोई अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण १—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये—

(१) "भूमिहीन" का अभिदेश ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास या जिसकी पत्नी या, यथास्थिति, जिसके पति या अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और सिवाय खंड (ग) के, न ही प्रदेशन के दिनांक के ठीक पूर्व, दो वर्ष के भीतर इस रूप में, कोई भूमि हो रही हो; और

(२) 'खेतिहर मजदूर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेतिहर-मजदूरी या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भूमि पर कृषि कार्यों के वास्तविक संचालन में ऐसी भूमि की पैदावार में अंशाधिकार के प्रतिफल में उसकी सहायता या उसके साथ मिल कर कार्य करता हो ।

स्पष्टीकरण—२ खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये "राजनीतिक पीड़ित" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे १९३० से १९४७ तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से सम्बद्ध किसी आन्दोलन में भाग लेने के लिये कम से कम तीन माह के लिए निवारक निरोध या कारावास का दण्ड (या तो मौलिक दण्ड के रूप में या अर्थ दण्ड न देने के कारण) भुगतने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा दिया जाय ।

(२) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो

(१) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत

क्षेत्रफल को मिलाकर 5·04 हेक्टेयर (12.5 एकड़) से अधिक न होगा,

(2) उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), या खंड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होगा, और

(3) उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जाय, प्रदेशना के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर 1·26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होगा ।

(3) कलेक्टर ऐसी प्रदेशना के बारे में नियत रीति से स्वतः जांच कर सकता है और भूमि प्रदिष्ट किये जाने से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशना अनियमित है तो वह—

(1) प्रदेशना और, यदि कोई हो, पट्टा निरस्त कर सकता है, और तदुपरान्त प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गयी भूमि में प्रदेशन-गृहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा रखने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जावेंगे, और ऐसी भूमि गांव सभा को लौट जायेगी; और

(2) यह आदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल किये जाने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा तत्काल गांव सभा को दे दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा ।"

नयी धारा 247–ख का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 247–क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

कतिपय दशाओं में मालगुजारी देने के दायित्व से छूट

"247–ख—(1) धारा 245, 246 तथा 247 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी कृषि वर्ष के प्रारम्भ पर भूमिधर या सीरदार के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर (6.25 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को उस वर्ष के संबंध में देय मालगुजारी के दायित्व से छूट होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त छूट 1 जुलाई, 1970 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के दौरान मालगुजारी की केवल रबी किस्त के संबंध में लागू होगी ।

(2) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, यह निश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि वह उपधारा (1) में उल्लि-

खित छूट का हकदार है या नहीं ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा खाते संबंधित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा ।

(3) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की, जो उपधारा (1) में उल्लिखित छूट के हकदार हो, एक सूची, जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से किये जायेंगे, तैयार करेगा, और ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित करेगा, जो नियत किये जायं, और ऐसी सूची के संगत उद्धरण संबंधित व्यक्ति को वितरित करायेगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण, किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिये अंतिम होगा ।

(5) इस धारा के उपबन्धों के होते हुये भी, किसी खाते के लिये निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायगी, और सभी प्रयोजनों के लिये, और विशेष रूप से, किसी सीरदार की दशा में, धारा १३४ के प्रयोजनार्थ, उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों, या नहीं, हैं ।"

5—मूल अधिनियम की धारा 294 की उपधारा (2) के खंड में (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

धारा 294 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा २९४ की उपधारा (2) में खंड (कक) के पश्चात निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(ककक) प्राधिकारी जो धारा २४७—ख में उल्लिखित छूट पाने के हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ऐसी सूची में दर्ज किये जाने वाले ब्योरे, सूची का प्रपत्र, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिनके पूर्व वह प्रकाशित की जायगी, रीति जिसके अनुसार तथा समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज ब्योरे में किसी लुप्ति के या उसके विरुद्ध आपत्तियां की जा सकती है, और रीति जिसके अनुसार तथा प्राधिकारी जिसके द्वारा उन आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा, और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बद्ध विषय ";

धारा 337 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 337 में खंड (कक) निकाल दिया जाय ।

अनुसूची 2 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 20 और 20—क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायं ।

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम १, १९६१ धारा १३ का संशोधन

८—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १३ की उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

प्रतिबन्ध यह है कि भूमि के उस भाग के संबंध में, जिसके अतिरिक्त होने के बारे में या तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन या धारा ११ की उपधारा (२) के अधीन आपत्ति में विवाद नहीं उठाया गया था अथवा अपील में विवाद न उठाया गया हो उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित नहीं किया जायगा, और अट्ठाइस सितम्बर, १९७० के पूर्व इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई स्थगन आदेश, राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर, उस न्यायालय द्वारा तदनुसार परिष्कृत कर दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ धारा ९ या धारा १० के अधीन किसी नोटिस की, या नियत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों की नियमितता, विध्यनुकूलता या वैधता के संबंध में कोई विवाद, स्वतः भूमि का अतिरिक्त होने से संबंधित विवाद नहीं समझा जायेगा।

धारा २६-क का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २६-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम १९६९ के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

"२६-क—किसी व्यक्ति को धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के ठीक पूर्व थी, अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गयी अतिरिक्त भूमि ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जायेगी, और तत्पश्चात उसका बन्दोबस्त धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो, यदि इस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी अतिरिक्त भूमि की गणना न की जाती और यदि वह मण्डल का निवासी होता तो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (ख) से (ज) तक में से किसी खंड के अन्तर्गत आता, तो उस भूमि में से उतनी भूमि का बन्दोबस्त जो उसके द्वारा अन्य प्रकारेण धृत भूमि के क्षेत्रफल को, यदि कोई हो, जोड़ कर १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) से अधिक न होती हो, उस व्यक्ति की इच्छा पर, उक्त अवधि के अन्त में अथवा उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ किया जायगा।"

धारा २७ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(३) किसी शेष अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा ऐसे तारतम्य के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जायगा जो १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ की क्रमशः उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट हैं, सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट, मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी।"

अध्याय—४

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ का संशोधन

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का संशोधन

धारा ४०-ए का संशोधन

११—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है कि धारा ४०—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

आगम-वादों के संबंध में अपवाद।

"४०—ए—धारा ३३, धारा ३५, धारा ३९, धारा ४०, धारा ४१ धारा ५४ के अधीन दिये गये किसी आदेश से किसी खाते में अधिकार के आधार पर अनुतोष के लिये किसी सक्षम न्यायालय में किसी वाद पर कोई रुकावट न होगी।"

धारा ५४ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा ५४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

निर्विवाद प्रविष्टियां और प्रविष्टियों से संबंधित विवादों का अधिलेख अधिकारी द्वारा निस्तरण।

"५४ (१) अभिलेख अधिकारी संबंधित व्यक्तियों को नियत प्रपत्र में वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों और अशुद्धियों तथा विवादों की सूची के उद्धरण देगा।

(२) यदि ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, कोई आपत्ति प्राप्त न हो तो प्रविष्ट निर्विवाद समझी जायेगी।

(३) अभिलेख अधिकारी, स्वतः या उपर्युक्त विहित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त होने पर, किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी विवाद का निर्णय, यथास्थिति, धारा ४० धारा ४१ या धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसार करेगा और यदि विवाद में आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो तो वह उसका निर्णय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात करेगा।"

अध्याय—५

निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १८, १९७०

१३—उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७०, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत करते हुए यह निश्चय किया गया है कि २.५२ हेक्टेयर (६.२५ एकड़) तक के छोटे खातेदारों को मालगुजारी के दायित्व से मुक्त किया जाय ।

२—भूमि हीनों को भूमि वितरित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिये कुछ संशोधन आवश्यक समझे गये । विशेष कर भूमि की कमी तथा भूमि के लिये प्रार्थी व्यक्तियों की समस्या को देखते हुए, एक तो यह जरूरी समझा गया कि प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है केवल उन्हीं को भूमिहीन माना जाय । दूसरे, भविष्य में दिये जाने वाले पट्टे में भूमि की अधिकतम सीमा १.२६ हेक्टेयर (३.१२५ एकड़) रखी जाय । यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम १९६० के अधीन 'अतिरिक्त भूमि' की घोषणा सम्बन्धी आदेशों के विरुद्ध दायर की गयी अपीलों में ऐसे स्थगन आदेश भी जारी हो गये हैं जिनके द्वारा उस भूमि के विषय में भी अग्रेतर कार्यवाही रोक दी गयी थी जिसका अतिरिक्त भूमि होना निर्विवाद है । इसके फलस्वरूप भूमि वितरण कार्यक्रम में बिलम्ब हो रहा है । इस कमी को भी दूर करना आवश्यक समझा गया । इसके अतिरिक्त यह भी वांछनीय समझा गया कि जहां कहीं रेकार्ड आपरेशन के अन्तर्गत नया रेकार्ड बनाया जावे वहां रेकार्ड अधिकारी को यह अधिकार हो कि वह ऐसे व्यक्तियों, जो समय व्यतीत होने के कारण बेदखल नहीं किये जा सकते हैं, के अधिकतर सम्बन्धी विवादों को सरसरी जांच के बाद निस्तारित कर सके । उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये (१) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, (२) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० और (३) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में संशोधन आवश्यक समझा गया और वांछित संशोधनों का समावेश करते हुए उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० सितम्बर २८, १९७० को जारी किया गया ।

३—उपरोक्त निश्चय को कार्यान्वित करने व उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने व कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के हेतु यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है ।

प्रभुनारायण सिंह,
राजस्व मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२० एल० ए०—१९७१—८४५ ।